महानगर नई दिल्ली शनिवार 18 जनवरी, 2020, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

भाजपा की पहली सूची में 57 नाम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

भाजपा ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी उम्मीदवारों के नामों का एलान किया। इस सूची में भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार का एलान नहीं किया है। तिवारी ने बताया कि नई दिल्ली की सीट से उम्मीदवार की घोषणा जल्द की जाएगी। तिवारी ने बताया कि पार्टी के 57 उम्मीदवारों में 11 अनुसूचित जाति समुदाय से हैं और चार महिलाएं हैं।

आम आदमी पार्टी (आप) से भाजपा में आए तीन विधायकों में से बिजवासन के विधायक कर्नल (रिटायर) देवेंद्र सहरावत को टिकट नहीं मिला है। करावलनगर से विधायक रहे कपिल मिश्र को माडल टाउन से और गांधी नगर से विधायक अनिल वाजपेयी को गांधी नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। नई दिल्ली के अलावा जो 12 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं उसमें वे चार सीटें शामिल हैं जो पिछली बार शिरोमणि अकाली दल को दी गई थी। इस बार अभी तक अकाली दल से समझौते की घोषणा बाकी पेज 8 पर

24
नए चेहरे पहली सूची में

जजपा से समझौते की उम्मीद में जाट बहुल नांगलोई सीट पर भी उम्मीदवार की घोषणा टली।

कपिल मिश्र को माडल टाउन से और विधायक अनिल वाजपेयी को गांधी नगर से टिकट

विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

पंजाब विस में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास

चंडीगढ़, 17 जनवरी (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ शुक्रवार को पंजाब विधानसभा में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया गया। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को निरस्त करने के संबंध में राज्य विधानसभा में शुक्रवार को एक प्रस्ताव पेश किया। सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि भाजपा ने इसका विरोध किया। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने संशोधित कानून के तहत नागरिकता देने के लिए समुदायों की सूची में मुसलिमों को भी शामिल करने की मांग की।

मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे दिन इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। मोहिंद्रा ने इस प्रस्ताव को पढ़ते हुए कहा, 'संसद की ओर से पारित सीएए के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और बाकी पेज 8 पर

विरोध-समर्थन

सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि भाजपा ने इसका विरोध किया।

केरल के बाद पंजाब दूसरा राज्य है जहां सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है।

1930 के जर्मनी जैसे हालात : अमरिंदर

चंडीगढ़, 17 जनवरी (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है और दावा किया कि 1930 के दशक में एडोल्फ हिटलर ने जो जर्मनी में किया था वैसी ही कार्रवाई अब देश में हो रही है। कैप्टन ने इस कानून को 'विभाजनकारी' तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी को 'हादसा' करार दिया। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में जो घटनाएं हो रही हैं, वह बाकी पेज 8 पर

एनपीआर का काम तब तक रोकने का आग्रह किया गया है, जब तक कि इससे जुड़े प्रपत्रों या दस्तावेजों को उचित रूप से संशोधित नहीं कर दिया जाता।

सीएए पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार

चंडीगढ़, 17 जनवरी (भाषा)।

पंजाब विधानसभा में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव के ध्वनिमत से पारित होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि केरल की तरह उनकी सरकार भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब और बाकी पेज 8 पर

एनपीआर पर गैर-भाजपा राज्यों ने जताई आपत्ति

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक-सह-सम्मेलन में गैर-भाजपा शासित राज्यों ने बाकी पेज 8 पर

बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की

कई राज्यों के मुख्य सचिव और जनगणना निदेशक भी शामिल हुए

कानपुर से गिरफ्तार हुआ पैरोल के दौरान फरार आतंकी जलीस अंसारी

लखनऊ, 17 जनवरी (भाषा)।

मुंबई में साल 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में पैरोल पर छूटने के बाद लापता हुए सजायाफ्ता आतंकी जलीस अंसारी को शुक्रवार को कानपुर से गिरफ्तार किया गया। उसके नेपाल के रास्ते देश से फरार होने की आशंका थी। वह टाइम बम और टीएनटी को डेटोनेट करने का माहिर माना जाता है।

अंसारी वर्ष 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों समेत 50 से ज्यादा बमकांडों में शामिल था। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने यहां बताया कि राजस्थान की अजमेर केंद्रीय कारागार से हाल में 21 दिन के पैरोल पर छूटा जलीस अंसारी (68) गुरुवार को लापता हो गया था। उसकी बाकी पेज 8 पर

जलीस अंसारी

मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों समेत 50 से ज्यादा बम विस्फोटों में था शामिल

टाइम बम और टीएनटी को डेटोनेट करने का माहिर माना जाता है अंसारी

निर्भया मामले में अब एक फरवरी को होगी दोषियों को फांसी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के कसूरवारों को अब फांसी एक फरवरी की सुबह छह बजे होगी। दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति की ओर से खारिज करने और इसकी लिखित सूचना तिहाड़ जेल की ओर से दिए जाने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया कांड के चारों दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी पर लटकाने के लिए शुक्रवार को नया डेथ वारंट जारी किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा मामले के दोषी मुकेश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें फांसी की तारीख को 22 जनवरी से टालने की मांग की गई थी। इससे पहले दिनभर सरकारी और अदालती कार्यवाही तेजी से बदलती रही। पटियाला हाउस की अदालत दोषियों को पहले से जारी वारंट पर विचार करने के लिए बैठी थी। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दिल्ली की अदालत से निर्भया मामले के चारों दोषियों के खिलाफ मौत की सजा बाकी पेज 8 पर

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा मामले के दोषी मुकेश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें फांसी की तारीख को टालने की मांग की गई थी।

माता-पिता ने जताई खुशी

चार दोषियों में से एक की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से अस्वीकार करने के फैसले का पैरामेडिकल की 23 साल की छात्रा के पिता ने स्वागत किया है। निर्भया की मां ने भी राष्ट्रपति के फैसले पर संतोष बाकी पेज 8 पर

पवन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

मौत की सजा पाने वाले एक दोषी पवन गुप्ता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें अदालत ने दिसंबर 2012 में अपराध के समय उसके नाबालिग होने के दावे को खारिज कर दिया था। (भाषा)

केरल : बीफ पर ट्वीट से भड़का विवाद

तिरुवनंतपुरम, 17 जनवरी (भाषा)।

मकर संक्रांति के दिन केरल के पर्यटन विभाग के 'बीफ' वाले ट्वीट से विवाद खड़ा हो गया है। इसके बाद माकपा नीत एलडीएफ सरकार ने शुक्रवार को सफाई दी कि उनका मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है।

दरअसल पर्यटन विभाग ने मकर संक्रांति पर 15 जनवरी को ट्वीट में एक व्यंजन बनाने की विधि के साथ लिखा, 'खुशबूदार मसालों, नारियल के टुकड़ों और कड़ी पत्ते के साथ धीमी आंच पर भूने गए बीफ के नर्म टुकड़े। मसालों की धरती केरल से शानदार डिश, बीफ उलरतियातु की रेसिपी।'

केरल सरकार की आलोचना करते हुए कर्नाटक के उडूपी से भाजपा की लोकसभा सदस्य शोभा करंदलाजे ने ट्वीट किया, 'केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने राज्य के हिंदुओं के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है।' पर्यटन मंत्री कडकमपल्ली सुरेंद्रन ने केरल के व्यंजन 'बीफ उलरतियातु' पर पर्यटन विभाग के ट्वीट की आलोचना करने वालों पर इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि इस दक्षिणी राज्य में खानपान का धर्म से कोई लेनादेना नहीं है।

सुरेंद्रन ने कहा कि इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने वाले लोग वो हैं, जो यह कहकर विवाद खड़ा कर रहे थे कि विभाग को पोर्क के व्यंजनों की तस्वीरें भी डालनी चाहिए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि वेबसाइट पर पोर्क से बनी कई डिशों की जानकारी पहले ही है।

भाजपा सांसद करंदलाजे ने ट्वीट किया, 'राज्य सरकार मकर संक्रांति के दिन बीफ को महिमामंडित करके हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। केरल के कॉमरेडों की बीमार सोच जाहिर हो रही है। वामपंथ एक बीमारी है। केरल पर्यटन विभाग शर्म करो।' ट्विटर पर एक उपयोगकर्ता ने लिखा, 'क्या आपका दिमाग बाकी पेज 8 पर

पर्यटन विभाग ने मकर संक्रांति पर ट्वीट में एक व्यंजन बनाने की विधि के साथ लिखा, 'खुशबूदार मसालों, नारियल के टुकड़ों और कड़ी पत्ते के साथ धीमी आंच पर भूने गए बीफ के नर्म टुकड़े। मसालों की धरती केरल से शानदार डिश, बीफ उलरतियातु की रेसिपी।'

संरा ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

संयुक्त राष्ट्र ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाते हुए कहा है कि तेजी लाने के लिए संरचनात्मक सुधारों को जारी रखने की जरूरत है। भारत इस समय आर्थिक नरमी से गुजर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की 'विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना- 2020' (डब्ल्यूइएसपी) रिपोर्ट में भारत के जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि अनुमान को भी कम किया गया है। हालांकि, इसमें उम्मीद जताई गई है कि राजकोषीय प्रोत्साहन और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों से खपत में तेजी आएगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, देश की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018 में 6.8 फीसद थी, जो लुढ़क कर 2019 में 5.7 फीसद रही। भारत ने तेजी लाने के लिए मौद्रिक नीति के पूरक के रूप में महत्त्वपूर्ण बाकी पेज 8 पर

भारत से संबंधित वृद्धि दर आंकड़े को संशोधित कर चालू वित्त वर्ष के लिए पांच फीसद और अगले वित्त वर्ष के लिए 5.8-5.9 फीसद कर दिया गया है। -नागेश कुमार

कश्मीर पर भारत के रुख को लेकर शंका नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

भारत में शुक्रवार को कहा कि रूस को कश्मीर पर भारत के रुख को लेकर कोई शंका नहीं है और यह पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है। उन्होंने कहा कि हम कभी कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाए जाने के पक्ष में नहीं रहे, क्योंकि यह भारत और पाकिस्तान के बीच बाकी पेज 8 पर

रूस के राजदूत निकोलई कुदाशेव ने कहा, हम इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का हमेशा विरोध करेंगे

संरा में कश्मीर मुद्दा उठाने का चीन ने किया बचाव -खबर पेज 8 पर

एस-400 मिसाइलों की आपूर्ति 2025 तक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

भारत में रूसी दूतावास के उप प्रमुख रोमन बबुश्किन ने शुक्रवार को कहा कि भारत को सभी पांच एस-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की अपूर्ति 2025 तक कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत को दी जाने वाली एस-400 मिसाइलों का निर्माण शुरू हो गया है। एस-300 का उन्नत संस्करण एस-400 पहले रूस के रक्षा बलों को ही उपलब्ध थीं। इसका निर्माण रूसी अल्माज-एंते करता है और यह 2007 से रूस के बेड़े में शामिल है।

भारत ने अमेरिकी प्रशासन की प्रतिबंधों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए इस सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका ने रूस पर सीएएटीएस (प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका के शत्रुओं से निपटना) कानून के तहत कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। कानून में रूस से रक्षा हार्डवेयर खरीदने बाकी पेज 8 पर

एस-300 का उन्नत संस्करण एस-400 पहले रूस के रक्षा बलों को ही उपलब्ध था।

रविवारी
19 जनवरी, 2020

कुंठा का तेजाब
प्रेम में विफल लड़कों का लड़कियों पर तेजाब फेंकने की घटनाएं चिंता का विषय हैं। इसे रोकने के लिए कई उपाय किए गए, पर अभी तक अपेक्षित नतीजे नजर नहीं आए। फिल्म छपाक में भी इस समस्या को लेकर जागरूकता फैलाने का प्रयास हुआ है। बता रही हैं मीना।

- कहानी/ सोनी पांडेय
- अवदान/ जितेंद्र श्रीवास्तव
- मुद्दा/ अतुल कनक
- शख्सियत/ रांगेय राघव
- दाना-पानी/ मानस मनोहर
- सेहत/ रविवारी डेस्क

सर्दी में सदाबहार पहनावे • अनीता सहराल

- कविता/ गौरव वाजपेयी 'स्वप्निल'
- कहानी/ सीमा श्रोत्रिय

दरअसल

जीसैट 30 उपग्रह देगा कई अहम सेवाएं

कामयाबी का अंतरिक्ष

इसरो के उपग्रह केंद्र के निदेशक ने दी टीम को बधाई

सफल प्रक्षेपण : नए साल में इसरो ने भरी नई उड़ान

बंगलुरु, 17 जनवरी (भाषा)।

भारत ने उच्च गुणवत्ता वाले संचार उपग्रह जीसैट 30 का फ्रेंच गुयाना से गुरुवार देर रात सफल प्रक्षेपण किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एरियन-5 प्रक्षेपण यान के जरिए भेजा गया यह उपग्रह उच्च गुणवत्ता वाली टेलीविजन, दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाएं मुहैया कराएगा।

इसरो ने यहां बताया कि जीसैट-30 उपग्रह ने भारतीय समयानुसार देर रात दो बजकर 35 मिनट पर दक्षिण अमेरिका के उत्तरपूर्वी तट पर फ्रांसीसी क्षेत्र कौरू के एरियर प्रक्षेपण परिसर से उड़ान भरी। यूरोपीय प्रक्षेपण सेवा प्रदाता एरियनस्पेस के एरियन-5 यान ने करीब 38 मिनट की निर्बाध उड़ान के बाद उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। इसरो ने ट्वीट किया,'एरियन-5 वीए-251 के माध्यम से भारत के संचार उपग्रह जीसैट 30 को भूस्थिर अंतरण कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। समर्थन के लिए धन्यवाद।' एरियनस्पेस के सीईओ स्टीफन इस्राल ने सफल प्रक्षेपण की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया, '2020 की मजबूत शुरुआत। एरियन-5 ने दो उपग्रहों यूटेलसैट कनेक्ट और जीसैट 30 को भूस्थिर अंतरण कक्षा में सफलतापूर्वक भेजा। मैं इस मिशन पर भरोसा करने के लिए दोनों ग्राहकों यूटेलसैट और इसरो की सराहना करता हूं।' इसरो के यूआर राव उपग्रह केंद्र के निदेशक पी कुन्हीकृष्णन ने इस सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो समुदाय और एरियनस्पेस टीम को बधाई दी।

कुन्हीकृष्णन इस मौके पर कौरू में ही मौजूद थे। उन्होंने इस प्रक्षेपण को इसरो के लिए 2020 की शानदार शुरुआत बताते हुए कहा, 'मास्टर कंट्रोल सुविधा में मिशन टीम उपग्रह के संपर्क में हैं और वे जल्द ही प्रक्षेपण के बाद के अभियान पूरे करेंगे।' इसके बाद इसरो ने एक बयान में कहा कि कर्नाटक के हासन में इसरो की 'मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी' ने जीसैट 30 के बाकी पेज 8 पर

2020 की मजबूत शुरुआत। एरियन-5 ने दो उपग्रहों यूटेलसैट कनेक्ट और जीसैट 30 को भूस्थिर अंतरण कक्षा में सफलतापूर्वक भेजा। मैं इस मिशन पर भरोसा करने के लिए यूटेलसैट और इसरो की सराहना करता हूं।
- स्टीफन इस्राल, एरियनस्पेस के सीईओ

जीसैट 30

38
मिनट की निर्बाध उड़ान के बाद उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया यूरोपीय प्रक्षेपण सेवा प्रदाता एरियनस्पेस के एरियन-5 यान ने

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

This is to certify that Meera Rawat D/o Sh. Beerpal Rawat & Smt. Pratima Rawat is a bonafide student of this School since 2010 to till date (Class LKG to VIII). According to official record, her DOB IS 05.02.2006. 0040527965-2

I,Sinha Shruti Nikhilesh alias Shruti Nikhilesh Sinha W/o-Devesh Kumar R/o-115,Third-Floor,Ambika Vihar,New Delhi-87,have changed my name to Shruti Sinha for all,future purpose. 0040527859-7

I,Sarabjeet Singh Bhamrah S/O-Harbans Singh Bhamrah R/O-5b/4,5-Block,Vishnu-Garden,Delhi-110018.Have Changedmy Name To Sarabjeet Singh. 0040528044-5

I,Reshma L R W/o-Vimal G Nair R/o-B-001,Rudra CGHS, Sector-6, Plot.No.12, Dwarka, New Delhi-110075,have changed my name to Reshma Vimal for all,future purpose. 0040528013-6

I,Rakesh Kumar Gupta S/o Harish Chander R/o-H/No. 1004,Ravidass Mandir Marg,Pana Paposion, Narela, Delhi-40,have changed to my name Rakesh Kumar for all purpose. 0040528013-1

I,Paramjit Singh S/o Malkit Singh R/o 91 DDA MIG Flats Metro Apartments Jahangirpuri Delhi have changed my minor daughter name from Jaspreet Kaur to Parinaz Kaur permanently. 0040527992-4

I,Geeta W/o Rakesh Kumar R/o H/No.1004,Ravidass Mandir Marg,Pana Paposion,Narela-40,have changed to my name Geeta Rani for all purpose. 0040528013-2

I,Deepak Raj S/O Boota Ram R/O-Flatno.1,Bank Vihar,State Bank-Apartment, Pitampura, Delhi-110034.Changedmy Nameto Deepak Raj Bajaj. 0040528051-1

I,Bhanu Bansal S/o Shyam Sundar Bansal R/o E301 Riviera Tower, ELDECO Green Meadows Greater Noida Uttar Pradesh have changed my name to Bhanuprakash Shyamsundar Bansal permanently. 0040527992-2

I,Ankit Kumar Singh,S/O Shri.Rakeshwar Prasad Singh,R/O-G&JU-83/C,Pitam Pura, Maharaja Agrasen Apartment,New Delhi-110088, have changed my name to Ankit Singh. 0040528044-1

I,Amit Sharma,S/O-Shri Naresh Kumar Sharma R/O-510,Pooth Kalan,Delhi-110086,inform that my son's name is Arshit Sharma and (D.O.B-16.06.2013, as per his birth certificate. 0040528013-3

I,Amareek Virdee(BIKA)S/O Gurubax Singh Virdee R/O-4/16,Plotno.91,Nirankari-Colony,Delhi-110009.Changed My Nameto Amrik Singh Virdee. 0040528035-10

I, Zamir Uddin S/O-Riazuddin Siddiqui Add-G-35, 2nd-Floor, O,Okhla JamiaNagar, AbdulFazal, EnclaveDelhi-110025,Changed My Name To Zameeruddin Siddiqui. 0040528035-2

I, Vinay Kumar s/o Narayan Dass R/o-1175, Shastri Gali, Multani-Mohalla, Gandhi-Nagar, Delhi-110031.have changed my name to Vinay Kumar Dixit.Permanently. 0040528010-9

I, Veena Kumar/Veena Ashok Kumar W/o-Ashok Kumar R/o-R-9/112, Raj-Nagar, Ghaziabad have changed my name to Veena Rani,for all purposes. 0040528010-6

I, Thipphayvanh Vilayvong W/o Beejet Patnaik R/o-H.No.37-D, Pocket-A, SFS-Flats, Mayur Vihar-3, Delhi-110096 have changed my name to Alisha Patnaik. 0040528035-5

I, Tarun Kumar Panjani S/o Surender Kumar Grover R/o-A-44-E, G.F Mahendru-Enclave Delhi-110033.changed my name to Tarun Kumar Punjani. 0040528035-6

I, Taranjot Singh S/O-Inder Pal Singh R/O-Wz-M-53, StreetNo 5, New.MahavirNagar, New-Delhi-110018.Has Changed My Name To Taranjot Singh Saggu. 0040528010-10

I, Tamna W/o Sh. Nikhil R/o D-215-C, Gali No.8, Bhajanpura, Garhi Mandu, Delhi-110053 have changed my name to Tamanna Rani for all purposes. 0040527959-3

I, Sunil Kumar S/o Ved Pal Singh R/o-F-7/50, Sect-15, Rohini Delhi-89,have changed my name to Sunil Rana, permanently. 0040528035-1

I Manoj Kumar Vij S/0-Om Prakash Vig R/0-D6/10 Near-Gurudawara Rana-Pratap-Bagh Delhi-110007.Changed My Name To Manoj Vig. 0040528051-2

I Mahender Singh S/o.Late S.Harbans Singh R/o-391 Chand-Nagar TilakNagar New-Delhi-110018.have changed my name to MAHIN-DER SINGH. 0040528044-8

I, Amit Vohra S/o. Raj Kumar Vohra R/o. AD-74, Tagore Garden,Delhi have changed my name to Amit Kumar Vohra. 0040527962-1

व्यक्तिगत

I, Shipra Scott D/o Rajendra Rodric Scott R/o C-4/1, RITES Flats,Ashok Vihar,Phase-3, Delhi-110052 have changed my name after my marriage to Shipra Allen Singh. 0040528010-1

I, Salatmarry Widow of No. 6865982 Late Sep Binjamin R/o H.No. 306, Sector-6, R.K. Puram, New Delhi-110011 have changed my name to Selth Mary for all purposes. 0040527959-4

I, Rakesh Kumar Luthra or Rakesh Kumar S/o Janak Raj Luthra R/O WZ-523, Third Floor, Gali No 27 Shiv Nagar, New Delhi -58 has changed my name to Rakesh Kumar Luthra for all future purpose. 0040527967-1

I, Rakesh Kumar Batra S/o Harbans Lal Batra R/o Flat-No.222, GH-2, Baghban Apartment, Sector-28, Rohini, Delhi-110042, have changed my name to Rakesh Batra. 0040528035-7

I, Pushpa Joshi d/o Nanda Vallabh Joshi w/o Prakash Pandey r/o A-56, Karampura, Delhi-110015 have changed my name to PAMMY PANDEY. 0040527990-2

I, Priya Rai W/O-Manoj Kumar R/O.Flatno.C-2, 7a/72, III-Floor, Wea-Channa Market, KarolBagh, Delhi-110005. Changedmy Nameto Priya. 0040528010-3

I, Kamlesh W/O-Naveen Sharma R/O-1/235/L-3, 2nd-Floor, Sri.Ram-Nagar, Shahdara,Delhi-32.Have Changed My Name To Kamlesh Dutt. 0040528051-3

I, Prem Devi W/o No. 13932724F Ex Nk Umed Singh R/o VPO-Issapur, New Delhi-110073 have changed my name to Prem Lata for all purposes. 0040527959-5

I, Poonam Devi W/o Sh. Baldev Singh R/o Flat No. 45-B, Ground Floor, Kalyan Vihar, Delhi-110009 have changed my name to Poonam Rana for all purposes. 0040527959-2

I, Naveen Kumar S/O-Bansi Lal R/O-1/235/L-3, 2nd-Floor, Sri.Ram-Nagar, Shahdara, Delhi-32.Have Changed My Name To Naveen Sharma. 0040528051-4

I, Nagama w/o.Faiyaz Ahmad R/o-497, Saray-Allo-2, Khurja-Bulandshahr, U.P-203131.have changed my name to Naghma Begum,for all future purposes. 0040528044-2

I, Mustaqueema Khatoon w/o-Vasid R/o-T-510, Gali-Kabristan-Wali, Chamelian-Road Bara-Hindu-Rao, Delhi-110006,have changed my name to Mustaqeema, permanently. 0040528035-9

I, Kumud Vaisishtha S/o Pramendra Kumar Sharma R/o H.No.-D-1-13-5,DLF, Dilshad Extn-2 Sahibabad, Ghaziabad, U.P.-201005, Have changed My name to Kumud vasisht and shall be hereafter known as Kumud Vasisht. 0040527986-1

I, Kishan Singh Rautela S/o: Shri Bhavan Singh R/o: B-6/5, Near Tigior School, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 have changed my name to Kishan Singh as per Affidavit. 0040528038-1

I, Kashmir Singh (2493232H)S/o Prem Singh R/o-Village-Chakyana P.O.Kot Distt-Mandi H.P.,have changed my wife name,from Salochana Devi to Salochna Devi which is cor-rect,for all future purposes. 0040528010-7

I, Kanwar D/o Anil Kumar Kanwar R/o 133, Anandkunj Apartments, Vikaspuri, ND-18 have changed my name to Saanvi Kanwar for all purposes. 0040528051-7

I, Kanchan Joshi d/o Deen Dayal Joshi w/o Pulkit Pandey r/o A-56, Karampura, Delhi-110015 have changed my name to KANCHAN PANDEY. 0040527968-2

I, Jasishwar Kaur, w/o Sh Saurabh Mehrotra, Resident of ATS Advantage, B-502, Indrapuram, Ghaziabad My Indian Citizenship certificate No.12767. After marriage my Name is Jasishwar Mehrotra ,for all future purposes. Jasishwar Kaur and Jasishwar Mehrotra is the same person. 0040527966-1

I, Ismail Khan S/o Mr. Chhotey Khan R/o H.N.R-42, Gali No.19, Brahampuri, Delhi-110053 have changed my name to Mohammad Ismail for all purposes. 0040527959-6

I, Imtiaz Bano,D/o-Shamshuddin W/o-Sagheer Ahmad R/o-E346, LIG-Flats,GTB-Enclave, Ne Delhi-110093,have changed my name,from Imtiaz Bano to Nikhat Sagheer after-mar-riage,for all purpose. 0040528044-9

I, Haresh Kumar S/o-Kasturi Lal Juneja R/o: Plot.No-21, First-Floor,(Left-Hand-Side), GopalNagar, FatehNagar, New Delhi-18 Have ChangedMy Name to Haresh Kumar Juneja 0040528010-2

I Mithlesh Kumar Jha S/O Sitaram Jha, R/O. House No.F - 1st/218 , 1st FloorMadangir Dr. Ambedkar Nagar Pushpa Bhawan South Delhi Delhi-110062.9555269120 Have Changed My Name To Mithlesh Jha As Per Document. 0070693271-1

I ,Mohd Asif S/o Noor Mohd R/o D-555 F/F Gali No. 22 Near Saeedia Masjid Chauhan Banger ,SeelamPur New Delhi 110053 Have changed my name from Asif to Mohd Asif Permanently. 0040527961-1

I, Ferozuddin S/o Wasiuddin R/o 474, Gali Bahar Wali, Chhata Lal Mian, Darya Ganj, New Delhi- 110002, have changed my daughter's name Alisba to Anusha Qureshi. 0040528000-1

I, Faiyyaz Ahmad s/o Niyaz Ahmad R/o-497, Saray-Allo-2, Khurja-Bulandshahr, U.P-203131.have changed my name to Faiyaz Ahmad.,for all future purposes. 0040528044-3

I, Brahm Prakash S/o-Ram Phal Verma R/o-1178, Jharoda-Kalan, Delhi-110072 have changed my name to Braham Prakash. 0040528010-4

I, Faiyaz Ahmad s/o-Niyaz Ahmad R/o-497, Saray-Allo-2, Khurja-Bulandshahr, U.P-203131.have changed my minor Daughter's Name.from Hamna to Humna Khan.,for all future purposes. 0040528044-4

I, Durshawar D/o-Mohd Rafi W/o-Parvez Shamsi R/o-9990, Nawabganj Azad-Market Delhi-06.Have Changed My Name To Durshewar.For All Purposes. 0040528051-6

I, Divya Mahendru W/o Mr. Avik Anup Prabhu R/o Aashray, Osho Drive, Gadai Pur, Osho Drive, Delhi-110030 have changed my name to Divya M Prabhu for all purposes. 0040527959-1

I, Devender Pathak S/O Late Sh. Ram Murti Pathak R/O Sudesh Vihar Society House No-13,Street No-1, B- Block, Sudesh Vihar, DLF Ankur Vihar, Loni Ghaziabad, U.P-201102 have changed my Name Devendra Kumar Pathak to Devender Pathak Forever. Devendra Kumar Pathak and Devender Pathak both are same and one person 0040527972-1

I, Deepak S/o Sh. Rajesh Sekhri R/o Flat No. M-2, G.F., Galaxy Apartment, F-Block, Vikas Puri, New Delhii-110018 declares that my correct date of birth is 01-10-1993 instead of 30-09-1993. 0040527959-7

I, Braham Jot Singh S/O.Inder Pal Singh R/O-Wz-M-53, StreetNo 5, New. Mahavir Nagar, New-Delhi-110018.Has Changed My Name To Braham Jot Singh Saggu. 0040528010-11

I, Arshia Usmani W/o Mirza Saqib Beg R/o-D-857, NFC, New Delhi have changed my name to Arshiya Usmani permanently. 0040528035-4

I, Archana D/o Sh.Om prakash R/o-H.No.3480A,Gali.No-8,SGM Nagar NIT Faridabad,have Changed my Name Archana to Archana Arora for all future purposes 0040527958-1

I, Amnesh Kumar S/o Mam Chand R/o-Adarsh-Colony, Opp-Chitrayan, Muzaffar nagar, Uttar-Pradesh.have changed my name to Amnesh Karnwal. 0040528035-8

I, Akanksha Ashok Kumar D/o-Ashok Kumar R/o.R-9/112, Raj-Nagar, Ghaziabad.have changed my name to Akanksha Kumar.for all purposes. 0040528010-5

I Yogesh Kumar S/o-Jiwan Das R/o-B-3/59, Third-floor, Paschim-Vihar, New-Delhi-110063,have changed my name to Yogesh Kumar Babbar.for all future purposes. 0040528010-8

I Virender Singh Atwal S/o-Brij Lal R/o-RZ-7 M-Block Ashok-Park West-Sagarpur New-Delhi-110046.have changed my name to Virender Singh. 0040528044-6

I Reena Kumari W/o Ajeet Kumar R/o B-501, New Jyoti Apartment, Plot No.- 27, Sector-4, Dwarka, New Delhi-110075 have changed my name to Reena 0040527980-1

I Ramher s/o Late sh. Ratiram R/O.house. no.149, suryana-gar Phase-2, sector-91.farid-abad.Haryana.have changed my name from Ramher to Ramher singh, for all purposes. 0040528051-5

I Meenakshi Atwal W/o-Virender Singh R/o-RZ-7 M-Block Ashok-Park West-Sagarpur New-Delhi-110046.have changed my name to Meenakshi. 0040528044-7

I Km Pinki Gaurh W/O, Kush Kumar Gond R/o Vill-Barari, Post-Baitalpur, Ps-Gauri Bazar, Drisict-deoria, UP, Pincode-274001 have changed my name to Km Pinki Gond 0040528030-1

I Kamal Jeet Madan,S/o M L Madan R/o-1368, Sec-14, Faridabad,HR.have changed my minor Son's name,from Lakshay Jeet Madaan to Lakshay Jeet Madan (DOB-23/07/2003) 0040528035-3

I Ashutost Kumar Gupta S/O, Shambhu Nath Gupta R/o 6b/K-352 Mahipalpur Extn New Delhi-110037 have changed my name to Ashutosh Kumar Gupta for all purposes. 0040527994-1

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client Kartika Grover W/o Late Rajesh Grover R/o AC 51 A Shalimar Bagh, Delhi the above said property belongs to me all register documents and sale deed is registered in my name. Any person or authority in any manner or mode is restrained from dealing transferring alienating sale-purchase mutation mortgage/pledge and representing /claiming to be owner before any one person or authority either by himself or through his/her representative, assignee and attorney etc. failing which it shall be going at his/her risk and consequences thereof.

Dipendra Kr. Singh, Advocate
442, Lawyers Chamber, Patiala House Courts, New Delhi
M—9718758881

खोया+पाया

Lost my original Master Bill of Lading: COSU6210681800, Shipper:Speedways rubber company.Finder pls contact: Pradeep Thapa,DHL logistics Pvt LTD,DLF Cyber Hub-7838569385. 0040528013-7

Lost my original Property Document of Khasra No-581, Nebsarai, Western Avenue-10A/5, Sainik Farm, Delhi-80 Finder may Contact-Sanjay Kumar, D-3, Rose Aptartment, Sector-14, Rohini, Delhi-110085 0040527845-1

Pramod Nayyar R/o 3/98 Vikas Khand Gomti Nagar Lucknow Inform that I have lost bag in which Allotment Letter of my house issued by LDA and my signed cheque book of State Bank of India has been lost. Finder please contact on 941502858. 0060072248-2

I, Surinder Pal Singh S/o.Harman Singh R/o.WZ-234, Shiv-nagar, Street no.13, Jail-Road, ND-58 have lost receipts of my Flat.no.CGJ 112,DLF Capital Greens, Shivaji Marg Moti Nagar,ND-15. Receipts:
(1)CLG/CRB/01008/0409
(2)CLG/CRB/01020/0409
(3)CLG/CRB/00791/0909
(4)CLG/CRB/00344/1212
(5)CLG/CRB/00393/1212. If anyone found plz return. 0040528051-9

I,Surbhi Malhotra D/o Deepak Malhotra R/o-27.Shankar Nagar St.No.2 Delhi-110051, lost XII-Pass Marksheet/ Certificate Year-2015 Roll No.9617385 CBSE/Delhi. 0040528051-10

I, I Ajay Tyagi S/o Sh. Dayanand Tyagi R/o 468, Takia Chowk, Village Burari, Delhi have lost all original documents of Property No. Kh. No. 22/17, Area measuring 200 sq. yds. situated at Village Jharoda Majra Burari, Hardev Nagar, Delhi-110084. Finders may contact at Mobile No.9992408045. 0040527959-8

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Sushma Sharma W/o Rakesh Sharma R/o Plot. No. 222, Ground Floor Sector-5 Vaishali Ghaziabad UP- 201010 declare that name of my Husband has been wrongly written as Rakesh Kumar Sharma in my service book/record. The actual name of my husband is Rakesh Sharma respectively which may be amended accordingly.

PUBLICE NOTICE

all the public hereby informed that my client Rajender Kumar and Babita Gangwal R/o C-636 JVTS Garden Chhatar Pur New Delhi-74 has descarded their Daughter Diksha Gangwal from all moveable and imovable property due to her ill behavior from 17-01-2020 Those who will have any Concern with her will have Own Risk

Siddhesh Roy (Advocate)
Delhi High court

PUBLIC NOTICE

Be known to General Public my clients Sunita (wife) and Dharambir Singh S/o late Shri Jhanduram, Khasra No. 77/11, Gali No. 3, 25 footaRoad, Satyavihar, Burari, Delhi-34, have disowned son Shri Jatin Singhal @ Manny and wife Smt. Renu, oneson from all immoveable and moveable properties due to disobedient behaviour. My clients cancel Will and POA dt. 25/26-03-2015. My clients have severed relations they have no claim against my clients. Will, POA, Agreement to Sell, Receipt, Affidavit were fraudulently executed by them. Anyone dealing with property may do at their risk. My clients shall not be responsible.

Sd/-
S.P. Bansal, Advocate.
Ch. No. 229 Rohini Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients Harish Kumar Sehgal s/o Kishan Dass Sehgal & **Rekha Sehgal** w/o Harish Kumar Sehgal, R/o D-11, LG-1, Dilshad Colony Delhi- 110095, **disowned their son Saurabh Sehgal and his wife Surbhi Sehgal and his son Granth Sehgal,** from their all moveable immoveable properties as he has abusing and quarreling with my clients and other family members and my clients have broken all relations from them and my clients have no concern with any liabilities or any transactions belongs to them in any manner.

G.L. GOSWAMI (Advocate)
3530, QUTAB ROAD, Delhi- 110006.

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I Bhagwan Dass S/o Ghanshyam Dass R/o AB-108, Shalimar Bagh, Delhi-110088, owner of Property No. AB-108, Shalimar Bagh, Delhi-88 has applied for conversion of the aforesaid property from Lease hold to freehold. File No. F16(1143)/75 LSB(R) in DDA. The original documents i.e. Demand Letter, DDA Possession Letter, Possession Slip, Form C and Form D issued by DDA of above said Property has been Lost. An FIR on this effect has been lodged. Vide LR No. 1848610/2019 dated 06/11/2019 Any person claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/ contact with the above named person at above address/ phone 9210822833 within 15 Days from the date of Publication of this Notice, or write to Dy. Director (LAB) Residential, C-Block, 3rd Floor, Vikas Sadan, New Delhi-110023

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्रीमति रजनी पत्नी श्री बुद्धपाल सिंह एवं श्री बुद्धपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री हरिहर सिंह, निवासीगण–RZ-C-2/77A-78, गली नं. 3 महावीर इन्क्लेव, पार्ट– I, द्वारका– I, नई दिल्ली–110045 ने अपने पुत्र राहुल सिंह उर्फ बिट्टू एवं पुत्रवधु श्रीमति गुंजन से अपने सभी पारिवारिक संबंद्ध विच्छेद कर लिये हैं एवं अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति मेरे उपरोक्त पुत्र व पुत्रवधु के साथ किसी प्रकार लेन–देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा व मेरे उपरोक्त पुत्र व पुत्रवधु किसी प्रकार के आपराधिक मामले में वांछित होते हैं तो वे स्वयं जिम्मेदार होंगे, मेरे मुवक्किल किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे।

GOVIND SINGH-ADVOCATE
Hall No. 4, Seat No. 4, Dwarka Court, Dwarka, New Delhi-110075
Mob.: 9213400106

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्रीमति रजनी पत्नी श्री बुद्धपाल सिंह एवं श्री बुद्धपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री हरिहर सिंह, निवासीगण–RZ-C-2/77A-78, गली नं. 3 महावीर इन्क्लेव, पार्ट– I, द्वारका– I, नई दिल्ली–110045 ने अपने पुत्र राहुल सिंह उर्फ बिट्टू एवं पुत्रवधु श्रीमति गुंजन से अपने सभी पारिवारिक संबंद्ध विच्छेद कर लिये हैं एवं अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति मेरे उपरोक्त पुत्र व पुत्रवधु के साथ किसी प्रकार लेन–देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा व मेरे उपरोक्त पुत्र व पुत्रवधु किसी प्रकार के आपराधिक मामले में वांछित होते हैं तो वे स्वयं जिम्मेदार होंगे, मेरे मुवक्किल किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे।

GOVIND SINGH-ADVOCATE
Hall No. 4, Seat No. 4, Dwarka Court, Dwarka, New Delhi-110075
Mob.: 9213400106

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री परषोत्तम लाल महाजन पुत्र स्व. लभुराम महाजन पता–2032 रानी बाग शकुर बस्ती दिल्ली–34, इस प्रकाशन के माध्यम से अपने पुत्र अजय महाजन व उसकी पत्नी आरती व उनके दोनों बच्चों निखिल महाजन व वंशिका महाजन के अच्छे आचरण को देखकर उन्हें स्वीकार करते हैं और अपने अर्सा करीब नौ साल पूर्व समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अपने पुत्र अजय महाजन व उसकी पत्नी व दोनों बच्चों को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखली प्रकाशन को निरस्त करते हैं। इस प्रकाशन के बाद वे मेरे मुवक्किल के पुत्र/वैध उत्तराधिकारी माने जाएंगे।

विजयन्त वीर (अधिवक्ता)
सीट नं. 74, गजानन्द ब्लॉक,
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली–54

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री जयपाल सिंह पुत्र स्व. श्री राम मेहर निवासी : 555, मुबारकपुर डबास, दिल्ली–81 ने अपने पुत्र राहुल उर्फ जोनी को गलत आदतो एवमं व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल–अचल सम्पति से बेदखल कर अपनेसभी संबंध विच्छेद कर लिये है। भविश्य में उसके द्वारा किये किसी भी कार्य के लिये मेरे मुव्वकिल व मेरे मुव्वकिल के परिवार का कोई भी सदस्य जिम्मेदार नहीं होगा।

एस. के. गुप्ता (अधिवक्ता)
चेम्बर नं. डी–209, कडकडडूमा कोर्ट, दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामकिशन गुप्ता निवासी फ्लाट नं0 436, एस.एम. अपार्टमेंट, सेक्टर–12, पश्चिमपुरी, गाजियाबाद, उ0प्र0– 201012 ने अपने पुत्र मयूर गोयल व पुत्रवधु शिवांगी अग्रवाल को पारिवारिक कारणों से अपनी समस्त धन–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर अपने समस्त पारिवारिक, वैधानिक एवं सामाजिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं। आज के बाद उनका मेरे मुवक्किल से किसी भी तरह का सम्बन्ध नहीं रहेगा तथा भविष्य में इनके द्वारा किए गए कृत्यों के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। नरेश सी. शर्मा, अधिवक्ता, कार्यालय: जैनी–1/13–सी, विकास पुरी, नई दिल्ली–18

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण सूचित किया जाता है कि प्लाट नम्बर 519, सैक्टर–20ए जो कि एल्का इन्टरनेशनल सिटी करनाल में स्थित है, इस प्लाट को सतीश कुमार निवासी मकान नं. 33, गाम रामगढ़, तहसील इंद्री (करनाल), व उषा कुमार निवासी मकान नं. 33, गाम रामगढ़, तहसील इंद्री (करनाल) ने आपसी सहमति से बेचने का फैसला किया है। श्री सतीश कुमार को विभिन्न समय पर कुल 5 लाख रुपये दिये जा चुके हैं। श्री सतीश कुमार के विरुद्ध का उपभोक्ता फोरम श्रीमती सुमनबाला पत्नी श्री राजेश कुमार के साथ इन्साफ करने के लिए प्रयासरत है। अतः किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति एवम् दस्तावेज, एल्का आफोरडेबल हाउसिंग सहकारी लिमिटेड, करनाल (एल्का आफोरडेबल सिटी), सेक्टर–20 ए का कार्यालय नोनी व 9729688777 पर आ कर दिनों के अन्दर दर्ज करा सकता है। यदि उक्त दिनों के अन्दर कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई तो यह समझा लिया जायगा कि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है और वह प्लाट श्रीमती सुमनबाला के नाम ट्रांसफर कर दिया जायेगा।

बलवन्त कुमार
मकान नं. 157, जैनिक विहार,
हिसार रोड, रोहतक,
नई दिल्ली 110001

PUBLIC NOTICE

FREEHOLD SFS FLAT NO. 265, SECOND FLOOR WITH SCOOTER GARAGE, POCKET -1, SECTOR-5, DWARKA, NEW DELHI

Public at large is hereby informed that the captioned property is subject matter of **Equitable / Registered Mortgage with State Bank of India / Other Bank(s) / FI,** and my client **Shri Rakesh Kumar Grover and Smt. Harsha Bala** entered in to an agreement to Sell & Purchase dated 12.01.2020 with the present owner/ seller i.e. Smt. Subha Bansal & Dr. A.K. Bansal in respect of the sale of captioned property and the Conveyance Deed executed in the name of original Allotee Dr. Avinash Prasad & Smt. Mejulata Prasad through SPA Shri Nareshwar Prasad.

It is hereby notified that any person or entity, firm / company, Bank , financial institution having claim any charge, interest or lien or claim on the basis of documents mentioned above or otherwise and / or objection to thereof, he/ she/ they may lodge/ notify the same to the undersigned with documentary proof/ court judgment within 15 days from the day of publication, failing which the title/ Sale Deed executed in favor **Shri Rakesh Kumar Grover and Smt. Harsha Bala or in the name of their nominees** shall be deemed to be clear and marketable without any defect, encumbrance, flaw and impediment and my client (s) is/are free to create Equitable / Registered Mortgage by deposit of Chain of available title documents with any person/ firms, company , financial institution / Bank.

NIRMAL KUMAR (Advocate)
Mobile – 8587898137, Email : nk2verma@gmail.com

PUBLIC NOTICE

Whom so ever it may concern, this is to infom to all that my clientess Smt. Vinita Rani W/o Shri Harendra Pal Duhoon is the title holder of Property bearing Flat No. 66-A, Pocket A & B Group II, Dilshad Garden, Delhi-110095. That the Original DDA Allotment Letter Dated 28.07.1986 in respect of above property i.e. Flat No. 66-A, Pocket A & B Group II, Dilshad Garden, Delhi-110095 has been lost/misplaced in lieu of which an information report dated 10.01.2020 with Delhi Police, bearing LR No. 36122/2020 has been filed. Any person (s), Company(ies),Bank(s) etc. in possession of the above mentioned document or having information of the same is requested to put forward their claim(s), if any with supporting documents, to be delivered to the undersigned within 15 days of publication of this Notice, post expiration of which any claim(s)/objection(s), if raised, shall be treated as null, void and as waived.

Sd./-
Narender Sharma (Advocate)
Ch. No.-634, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054
Mob. : 9811480411

रिक्त स्थान

BALAJI COLLEGE OF EDUCATION

Affiliated to CRSU Jind & Approved by NRC, NCTE- Jaipur
Adarsh Nagar Ballabgarh, Faridabad, Haryana.
M.: 9310902234, 9310002234
Email : balajiedu244@gmail.com

REQUIRES FOR B.Ed.
1. Principal (01)
2. Assistant Professor in Pedagogy Courses - Hindi (01), Mathematics (01), S. Studies (01), Commerce (01), Fine Art (01), Physical Edu. (01), Physical Science (01)
3. Library Attendant (01)
4. Store Keeper (01)

Salary as per Govt. Norms

Note : Please send one set of documents with application in the college address & one set of documents with application send to Colleges branch, CRS University, Jind within 21 days.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

PUBLIC NOTICE

ENTIRE SECOND FLOOR WITHOUT ROOF /TERRACE OF THE PROPERTY NO. 412, BLOCK M , HINDUSTAN CHBS LTD. KNOWN AS GURU HARKRISHAN NAGAR, PASCHIM VIHAR, DELHI

Public at large is hereby informed that the captioned property is subject matter of **Equitable / Registered Mortgage with State Bank of India / Other Bank(s) / FI,** and my client **Shri Nikhil Dua and Smt. Kitty Dua** entered in to an agreement to Sell with the present owner/ seller i.e. (1) Shri Manoj Sharma (2) Smt. Himani Duggal and (3) Shri Vinod Kumar Vaid.

WILL executed by Smt. Lila Wati Vaid in favor of Shri Vinod Kumar Vaid in respect of property at : Entire Second Floor with roof/ terrace rights with one mezzanine room under the staircase of Second Floor and third Floor of the captioned property, duly registered vide Regd. No. 2655, Book No. I, Vol. No. 315, pages 22-24, dated 19.04.2011

It is hereby notified that any person or entity, firm / company Bank , financial institution having claim any charge, interest or lien or claim on the basis of documents mentioned above or otherwise and / or objection to thereof, he/ she/ they may lodge/ notify the same to the undersigned with documentary proof/ court judgment within 15 days from the day of publication, failing which the title/ Sale Deed executed in favor **Shri Nikhil Dua and Smt. Kitty Dua or in the name of their nominees** shall be deemed to be clear and marketable without any defect, encumbrance, flaw and impediment and my client (s) is/are free to create Equitable / Registered Mortgage by deposit of Chain of available title documents with any person/ firms, company , financial institution / Bank.

NIRMAL KUMAR (Advocate)
Mobile – 8587898137, Email : nk2verma@gmail.com

Express Classifieds

EXPRESS EDUCATION

LAW AMBITION LAW INSTITUTE

DJS MOCK INTERVIEW - 2020

Explore the opportunity to get trained by the legal luminaries which also includes the panel of former ADJ's and High Court Judges. Session begins from 19th January 2020
Call to book your slot 8800660301
ambitionlaw1@gmail.com

DJS TOPPERS - 2019

Toll Free No. : 1800-12000-2001
8800660301, 011-47532639
B-10, 1st Floor, above Maharashtra Bank, Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
www.ambitionlawinstitute.com

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service 23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

भीम आर्मी प्रमुख ने जामा मस्जिद पर पढ़ी संविधान की प्रस्तावना

पार्टी बनाने की जगह सीएए का विरोध पहली प्राथमिकता : आजाद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

तिहाड़ जेल से रिहा होने के कुछ ही घंटे बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद शुक्रवार को जामा मस्जिद पहुंचे। वहां उन्होंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इससे पहले वे गोल मार्केट के पास महर्षि वाल्मीकि मंदिर और गुरुद्वारा बंगला साहिब भी गए। उन्होंने समर्थकों से कहा– संशोधित नागरिकता कानून को निरस्त करने की मांग करते हुए देश को एकजुट रखने से ज्यादा महत्त्वपूर्ण कोई और चीज नहीं है। इसके बाद वे इंडियन वूमेन प्रेस कोर में पत्रकारों से मिले, जहां उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी बनाने पर फैसला वे बाद में करेंगे। फिलहाल 'काले कानून' के खिलाफ लड़ाई लड़नी पहली प्राथमिकता है।

पत्रकारों से उन्होंने कहा–सरकार काला कानून लाई हैं। मैं बताना चाहता हूं कि कोई कहीं नहीं जाएगा। सब यहीं रहने वाले हैं। इस कानून के खिलाफ लोगों को एकजुट करेंगे। आजाद ने एक तरह से उन अटकलों पर विराम लगा दिया जिनमें कहा जा रहा था कि वह अथवा उनका संगठन दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। उन्होंने पिछले महीने सक्रिय राजनीति में उतरने की घोषणा की थी।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा– अदालत ने मेरी आजादी छीन ली है। हम कानूनी उपायों पर गौर कर रहे हैं। आशा करता हूं कि अदालत मुझे विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देगी। उन्होंने शाहीन बाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और देश के अन्य हिस्सों में सीएए विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए महिलाओं की तारीफ की। आजाद ने कहा–सीएए विरोधी आंदोलन देश के भविष्य, हमारी पहचान और संविधान बचाने के लिए है। इसे मजबूत करना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि संविधान बचाना लोगों का मूल कर्तव्य है। उन्होंने लोगों से सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आग्रह किया।

अदालत ने सेंगर की सजा निलंबित करने से किया इनकार

नई दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा)।

भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को शुक्रवार को दिल्ली

कॉमेडी के साथ ट्रेजडी

फिल्म समीक्षा
रवींद्र त्रिपाठी

जय मम्मी दी

रेटिंग– ★ ½

निर्देशक– नवजोत गुलाटी

कलाकार– सनी सिंह, सोनाली सैगल, पूनम ढिल्लो, सुप्रिया पाठक, शिवानी सैनी।

फिल्म 'जय मम्मी दी' की कहानी दिल्ली आधारित है। एक जमाने में पिंकी (पूनम ढिल्लो) और लाली (सुप्रिया पाठक) के बीच काफी बहनापा था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के बीच ठन गई और ठनती चली गई। दोनों के परिवारों में भी अनबन का सिलसिला चलता गया। लेकिन प्रेम नाम की जो चीज है न, वो जब होनी होती है तो होती है माता-पिता भले लाख खिलाफ हों। सो लाली के बेटे पुनीत (सनी सिंह) और पिंकी की बेटी सांझ (सोनाली सैगल) के बीच इश्क हो जाता है।

दोनों के परिवारों के बीच झगड़े को देखते हुए इनकी शादी संभव नहीं दिखती है। दोनो माताएं यानी लाली और पिंकी अपनी-अपनी संतानों की शादी भी दूसरी जगहों पर तय कर देते हैं। लेकिन अगर प्रेम सच्चा हो तो प्रेमी और प्रेमिका आसमान से तारे तोड़ कर ला सकते हैं। कम से कम ऐसा माना जाता है। देखना यह है कि पुनीत और सांझ अपनी अपनी मम्मियों के बीच जंग को खत्म कर पाते हैं या नहीं। अगर कर लेते हैं तो दोनों की शादी भी हो जाएगी। फिल्म पटकथा के स्तर पर बेहद लचर है। निर्देशक नवजोत गुलाटी यह तय नहीं कर पाए कि उनको एक कॉमेडी बनानी है या रोमांस दिखाना है। अकारण नहीं कि ये दोनों पहलू कमजोर हो गए हैं। फिल्म में जिस तरह से किरदारों का चरित्रांकन किया गया है वो भी भरावट लिए नहीं है।

गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

बुराड़ी थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान रेखा रानी (29) के तौर पर हुई है। महिला के ससुराल पक्ष का कहना है कि उसने चुन्नी से पंखे से लटक आत्महत्या की है। वहीं, परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उसकी हत्या की गई है। फिलहाल बुराड़ी थाना पुलिस ने इस संबंध में दहेज हत्या के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। जानकारी के मुताबिक रेखा रानी अपने परिजनों के साथ लक्ष्मी नगर में रहती थी।

भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
में
निदेशक (विनिर्माण व्यवसाय)
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि
09.03.2020 (15.00 बजे तक) है।
जानकारी के लिए वेबसाइट
http://www.pesb.gov.in में लॉग इन करें।

किरोड़ीमल कॉलेज
(दिल्ली विश्वविद्यालय)
नार्थ कैम्पस, दिल्ली – 110007 दूरभाष : 011-27667861
वेबसाइट : www.kmcollege.ac.in

विज्ञा. सख्या KMC/01/TS Apptt. /2020 दिनांक 18.01.2020

कॉलेज में विभिन्न विभागो में सहायक प्रोफेसर पद 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स के शैक्षणिक वेतन स्तर 10 पर नियुक्ति हेतु वेब लिंक http://colrec.du.ac.in पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन फार्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 03.02.2020 है। जानकारी के लिए कृपया कॉलेज की वेबसाइट www.kmcollege.ac.in पर जाएं।

क्र.सं.	विषय का नाम	सहायक प्रोफेसर					
		एस. सी.	एस. टी.	ओ.बी. सी.	यू.आर.	*पी.डब्ल्यू. बी.डी.	ई.डब्ल्यू. एस.
1	बंगाली	02	–	–	–	–	–
2	वनस्पति विज्ञान	03	–	–	02	–	01
3	रसायन विज्ञान	02	01	01	01	–	01
4	कॉमर्स	–	01	–	01	01 वीआई	–
5	कम्प्यूटर साइंस	01	–	–	–	–	–
6	अर्थशास्त्र	–	01	–	–	–	–
7	अंग्रेजी	01	–	–	01	–	–
8	भूगोल	–	–	–	01	01 एलडी	–
9	हिन्दी	01	02	–	–	–	–
10	इतिहास	–	–	01	01	–	01
11	गणित	03	–	01	02	–	01
12	भौतिक विज्ञान	04	01	02	04	–	–
13	राजनीति विज्ञान	01	01	–	02	–	01
14	संस्कृत	01	–	01	01	–	–
15	सांख्यिकी	02	01	–	–	–	–
16	उर्दू	–	–	–	01	–	–
17	प्राणिविज्ञान	01	02	01	02	–	–
	कुल	22	10	7	19	02	5

*पीडब्लयूडी उम्मीदवार किसी भी श्रेणी के यानी यू०आर०/एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० में आवेदन कर सकते हैं।

नोटः यू०आर०– अनारक्षित, एस०सी०–अनुसूचित जाति, एस०टी–अनुसूचित जनजाति, ओ०बी०सी०–अन्य पिछड़ा वर्ग, पी०डब्लयू०बी०डी०–दिव्यांग्ता विशेष व्यक्ति, वी०आई०–दृष्टि– बाधिता जिसमें दृष्टि– हीनता और कम दृष्टि समाहित है, और एल०डी०–लोकोमोटर दिव्यांग्ता, जिसके अंतर्गत कुष्ठ रोग से मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित और मांसपेशीय दुर्विकास है, ई०डबल्यू०एस०–आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।

पात्रता और योग्यता :
1. सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता एक भारतीय विश्वविद्यालय से संबधित/प्रासंगिक/संबद्ध विषय में 55% अंकों (या समकक्ष) के साथ मास्टर डिग्री या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री है।
2. उपयुक्त योग्यता को पूरा करने के अलावा, उम्मीदवार ने यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो। नेट परीक्षा की छूट पीएचडी डिग्री धारक को यूजीसी के नियमों के अनुसार दी जायगी।

महत्वपूर्ण नोट:
1. योग्यता, प्रकाशन, अनुभव, स्क्रीनिंग दिशानिर्देश और सूचक प्रोफार्मा आदि के बारे में विवरण कॉलेज की वेबसाइट पर इस विज्ञापन के साथ उपलब्ध है। फॉर्म भरने से पहले आवेदकों को इन विवरणों को पढ़ना आवश्यक है।
2. किसी भी अनुशेष/शुद्धिपत्र को केवल कालेज की वेबसाइट में पोस्ट किया जाएगा।

(प्रो० विभा सिंह चौहान)
प्रधान अध्यापक

21 जनवरी को दिल्ली में हो सकती है बूंदाबांदी

मौसम विभाग ने बताया है कि इस साल ठंड के मौसम में होने वाली बारिश में इजाफा देखने को मिला है। यह बढ़ोतरी एक से 15 जनवरी के बीच 157 फीसद देखी गई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 21 जनवरी को एक बार फिर दिल्ली में बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद सक्रि य एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ का असर 25 जनवरी से पहाड़ों में देखने को मिलेगा। (ज.सं.)

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

इंडिया हैबीटाट सेंटर : स्वास्थ्य को लेकर मनोवैज्ञानिकों की चर्चा, काजुरिना सभागार, लोधी रोड, शाम सात बजे।

विविध

इंडिया हैबीटाट सेंटर : फिल्म, गुलमोहर सभागार, लोधी रोड, शाम सात बजे।

Art Culture

मैथिली- भोजपुरी अकादमी, दिल्ली
(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार)
7-9, आपूर्ति भवन, आराम बाग लेन, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055

गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन

मुख्य अतिथि
श्रीमती मनीषा सक्सेना (आई.ए.एस.)
माननीय सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री, दिल्ली सरकार

विशिष्ट अतिथि
श्री संजय जैन
माननीय उप सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री, दिल्ली सरकार

अध्यक्षता
श्री हरिराम द्विवेदी
जानल-मानल साहित्यकार

रविवार, 19 जनवरी, 2020 ------ दोपहर 2.00 बजे
मेघदूत ओपन थिएटर, कापरनिक्स मार्ग (निकट मण्डी हाउस)
संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली-110001

प्रवेश निःशुल्क

आमंत्रित कविगण

मैथिली
सर्वश्री अवधेश झा, आनन्द मोहन, आभा झा, आरती, किसलय कृष्ण, चन्द्रमणि, छोटू कुमार, दीप नारायण विद्यार्थी, बिमलेन्दु कुमार (सागर), बुद्धिनाथ झा, मुख्तार आलम, सरयू प्रसाद 'सौम्य', सांत्वना मिश्र, श्रीचन्द कामत

भोजपुरी
सर्वश्री अरूण आशीष पाण्डेय, आकृति विज्ञ अर्पण, आरती आलोक वर्मा, किशोर शरण मिश्र (राजन मिश्र), कृष्ण मुरारी राय, दिलीप कुमार पाण्डेय (पैणाली), नूरैन अंसारी, मुकेश चन्द्र शुक्ला, रमापति रसिया, (नथुनी प्र. कुशवाहा), विनय कुमार शुक्ल, 'विनम्र', सरोज सिंह, सर्वेश कुमार तिवारी, 'श्रीमुख', सुशांत कुमार शर्मा, स्वाति ठाकुर

अपने सादर आमंत्रित छी।
रउवाँ सादर आमंत्रित बानीं

संचालन
डॉ चन्दन कुमार झा

गुरभेज सिंह गुराया
सचिव

दूरभाषः 23629681, 23629682
नोटः अधिक जानकारी के लिये अकादमी कार्यालय में सम्पर्क करें।
DIP/Shabdarth/ 1281/ 19-20

SIGNATURE GLOBAL
MAKING INDIA AFFORDABLE
ICRA

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध है)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइजर/डेवलपर	सिग्नेचरग्लोबल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस नं./वर्ष – 89 of 2019 दिनांक: 02-08-2019, निर्माण योजना स्वीकृति तिथि: 22.11.2019 मेमो न.: ZP-1351/AD(RA)/2019/28677. हरियाणा रेरा प्रमाणित न.: 77 of 2019 दिनांक: 31.12.2019
3. स्थान	सेक्टर 89, गुरुग्राम, हरियाणा।
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 5 एकड़ में कुल 720 अपार्टमेंट में से 720 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ: 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक आँगनवाड़ी–सह–क्रेश।

5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम

अपार्टमेंट के विवरण

कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)*	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
2BHK TYPE-01	172	581.396	83.873	23,67,520	1,18,376	4,73,504
2BHK TYPE-02	300	588.586	85.176	23,96,933	1,19,847	4,79,387
2BHK TYPE-03	172	598.220	86.801	24,36,281	1,21,814	4,87,256
2BHK TYPE-04	40	590.169	84.906	24,03,128	1,20,156	4,80,626
2BHK TYPE-05 (MQ)	2	588.263	89.653	23,97,880	1,19,894	4,79,576
2BHK + STORE (MQ)	34	645.345	123.560	26,31,379	1,31,569	5,26,276

ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान प्रति 6 महीने की बराबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चूक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।

6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	• फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़कियाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाज़ों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बांड डिसटेंपर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्चर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC फ्रेम स्ट्रक्चर को SESMIC फोर्स से बचाव के लिए, डिजाइन किया गया है।
8. आवेदन की समय सीमाएँ	i) आवेदन पत्र दिनांक 11.01.2020 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर SignatureGlobal (India) Pvt. Ltd., Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001, 0124-4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें : 7053–121–121 ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 10.02.2020. iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।

योग्यता - 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान 'प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास' प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे फ्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस्ड कॉलोनी में अपना फ्लैट/प्लॉट नहीं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक फ्लैट चुनना होगा।

आवंटन के मानक - 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध जिले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइजर के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएँगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध है)।

REGISTERED REHA
SIGNATURE GLOBAL Proxima I SECTOR-89, GURUGRAM
SIGNATURE GLOBAL (INDIA) PRIVATE LIMITED | CIN: U70100DL2000PTC104787
Regd. Office: Unit No. 1304 At 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, New Delhi-110001
Corp. Office: Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 | www.signatureglobal.in
HOME LOAN PARTNER: HDFC HOME LOANS, Piramal Housing, ICICI Bank Home Loans, YES BANK, ICICI Home Finance
AVAIL INTEREST SUBSIDY BENEFITS OF ₹2.67 LAC (APPROX) UNDER PMAY (PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA)**
Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon or to be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore, requested to make personal judgment prior to submitting an application for allotment. The images shown here are indicative of design and for illustration purposes only. Further, the actual design may vary in fit and finished from the one displayed above. Project details / specifications can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority website https://haryanarera.gov.in/. Journey time shown, if any, is based upon google maps which may vary as per traffic at relevant point of time. *Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges, if applicable, T & C Apply. 1 Sq. mt = 10.7639 sq. ft. **The subsidy differs as per the eligibility of the client's profile and the loan amount. This is the max amount of subsidy that a client can receive and the same goes with the loan amount tag for availing the subsidy. Please note that the loan can be sanctioned more than 12 lacs but subsidy can be availed only till 12 lacs of loan amount.
7053-121-121

SIGNATURE GLOBAL
MAKING INDIA AFFORDABLE
ICRA

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध है)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइजर/डेवलपर	सिग्नेचर इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस नं./वर्ष – 121 of 2019 दिनांक: 14-09-2019, निर्माण योजना स्वीकृति तिथि: 26.12.2019 मेमो न.: ZP-1359/AD(RA)/2019/31954. हरियाणा रेरा प्रमाणित न.: 02 of 2020 दिनांक: 03.01.2020
3. स्थान	सेक्टर 89, गुरुग्राम, हरियाणा।
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 4.73125 एकड़ में कुल 690 अपार्टमेंट में से 690 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ: 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक आँगनवाड़ी–सह–क्रेश।

5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम

अपार्टमेंट के विवरण

कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)*	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
2BHK TYPE -01	163	581.396	83.873	23,67,520	1,18,376	4,73,504
2BHK TYPE -02	327	588.586	85.176	23,96,933	1,19,847	4,79,387
2BHK TYPE -03	164	598.220	86.801	24,36,281	1,21,814	4,87,256
2BHK TYPE -04	2	588.263	89.653	23,97,880	1,19,894	4,79,576
2BHK+STORE (MQ)	34	645.345	123.560	26,31,379	1,31,569	5,26,276

ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान प्रति 6 महीने की बराबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चूक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।

6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	• फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़कियाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाज़ों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बांड डिसटेंपर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्चर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC फ्रेम स्ट्रक्चर को SESMIC फोर्स से बचाव के लिए, डिजाइन किया गया है।
8. आवेदन की समय सीमाएँ	i) आवेदन पत्र दिनांक 11.01.2020 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर Signature Infrabuild Pvt. Ltd., Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001, 0124-4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें : 7053–121–121 ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 10.02.2020. iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।

योग्यता - 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान 'प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास' प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे फ्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस्ड कॉलोनी में अपना फ्लैट/प्लॉट नहीं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक फ्लैट चुनना होगा।

आवंटन के मानक - 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध जिले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइजर के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएँगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध है)।

REGISTERED REHA
SIGNATURE GLOBAL Proxima II SECTOR-91, GURUGRAM
SIGNATURE INFRABUILD PRIVATE LIMITED | CIN: U70100DL2013PTC247676
Regd. Office: Unit No. 1310 At 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, New Delhi-110001
Corp. Office: Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 | www.signatureglobal.in
HOME LOAN PARTNER: HDFC HOME LOANS, Piramal Housing, ICICI Bank Home Loans, YES BANK, ICICI Home Finance
AVAIL INTEREST SUBSIDY BENEFITS OF ₹2.67 LAC (APPROX) UNDER PMAY (PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA)**
Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon or to be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore, requested to make personal judgment prior to submitting an application for allotment. The images shown here are indicative of design and for illustration purposes only. Further, the actual design may vary in fit and finished from the one displayed above. Project details / specifications can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority website https://haryanarera.gov.in/. Journey time shown, if any, is based upon google maps which may vary as per traffic at relevant point of time. *Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges, if applicable, T & C Apply. 1 Sq. mt = 10.7639 sq. ft. **The subsidy differs as per the eligibility of the client's profile and the loan amount. This is the max amount of subsidy that a client can receive and the same goes with the loan amount tag for availing the subsidy. Please note that the loan can be sanctioned more than 12 lacs but subsidy can be availed only till 12 lacs of loan amount.
7053-121-121

ऐ भाई...

दिल्ली में प्रचार करते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार मनीष सिसोदिया व आतिशी।

पूर्व सांसद ने सुरक्षा की गुहार लगाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

सुरक्षा के लिए पूर्व सांसद हरीश नागपाल ने अदालत और पुलिस से गुहार लगाई है। दिल्ली के पंजाबी बाग थाने के एसएओ को दिए शिकायत में उन्होंने जान पर खतरे का अंदेशा जताया है। उन्होंने शिकायत में उनको और परिवार को मिल रही धमकियों का जिक्र किया है। हरीश नागपाल ने संवाददाताओं से कहा कि छह पेज की दी शिकायत में पुलिस को पिछले घटनाओं की सिलसिलेवार जानकारी दे दी दै। दिल्ली पुलिस पर उनका पूरा भरोसा है। लेकिन उन्होंने एक याचिका के जरिए इसकी गुहार अदालत से भी लगाई है ताकि मामले को प्राथमिकता मिले। और उनके परिवार को संभावित वारदात के भय व नुकसान के अंदेशा से मुक्ति मिल सके।

'आप' का दांव कहीं अति आत्मविश्वास न साबित हो

बागी नेता मुकाबले को बना सकते हैं त्रिकोणीय

मनोज मिश्र
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में पांच साल रहने के बाद दोबारा सत्ता में आने के अतिआत्मविश्वास के साथ आम आदमी पार्टी (आप) ने सबसे पहले अपने सभी 70 उम्मीदवारों की घोषणा करके चुनाव प्रचार जैसा चुनाव में भी बढ़त लेने का प्रयास किया है। ऐसा करके 'आप' ने दूसरे दलों को एक तरह से चुनौती दी है लेकिन जिस तरह कुछ अच्छी छवि वाले विधायकों के टिकट कटने के बाद उनके बगावत करने का खबर आ रही है, उससे खतरा है कि 'आप' का यह दांव कहीं घाटे का सौदा न बदल जाए। अभी तक तो यही लग रही है कि विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला 'आप' और भाजपा में होने वाला है लेकिन अगर कांग्रेस 'आप' के टिकट बंटवारे से नाराज नेताओं को अपने पक्ष में लाने में कामयाब हो गए तो कुछ सीटों पर चुनाव को कांग्रेस तिकोना बना देगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और 'आप' के संयोजक अरविंद केजरीवाल का पहला प्रयास तो यही है कि 2015 की तरह चुनाव बिजली-पानी के साथ-साथ उनके नाम पर हो। भाजपा चुनाव को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के काम पर लड़ने के अलावा चुनाव को विधायकों के कामकाज पर लड़ना चाहती है। भाजपा का संकट यह है कि वह मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। कांग्रेस तो अपने वजूद का लड़ाई लड़ रही है। भाजपा 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और कांग्रेस 15 साल लगातार सत्ता में रहकर छह साल बाहर रहने में ही बिखरने लगी है।

कांग्रेस के बड़े नेताओं में से ज्यादातर इस बार चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। जिस तरह से सीलमपुर से पांच बार विधायक रहे चौधरी मतीन अहमद 'आप' विधायक हाजी इशहाक को चुनाव में साथ देने की घोषणा कर चुके हैं उसी तरह अन्य 'आप' के बागी विधायकों को भी कांग्रेस या भाजपा अपने पक्ष में टिकट देकर या पद देकर ला सकती है। कांग्रेस नेतृत्व का प्रयास है कि सभी बड़े स्थानीय नेता चुनाव लड़ें जिससे पार्टी पिछले दो विधानसभा चुनावों की हार से उबरे। माहौल अनुकूल न होने से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा या चुनाव अभियान समिति के प्रमुख कीर्ति आजाद माहौल बना नहीं पा रहे हैं।

संयोग है कि 'आप' के दागदार कई विधायक टिकट पा गए और बाहर से जिन नेताओं को पार्टी में लाकर टिकट दिए गए हैं उनमें रामसिंह नेताजी, दयावती चंदेला और शोएब इकबाल पर अपराधिक मामले हैं। 'आप' सरकार में मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर पर भी फर्जी डिग्री का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले तीसरे नंबर पर आई 'आप' के नेता केजरीवाल ने पिछले छह महीने में सरकारी खजाने से घोषणाओं का झड़ी लगा दी ताकि जो वर्ग उनके साथ 2013 और 2015 के विधानसभा चुनाव में जुड़ा वह अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में भी जुड़ा रहे। 2015 के बाद के हर चुनाव में 'आप' ने कांग्रेस को मुख्य मुकाबले से बाहर करने का प्रयास किया और तब के कांग्रेस जनों ने उसे ज्यादा सफल नहीं होने दिया। अगर निगमों के चुनाव में कुछ बड़े नेता बगावत नहीं करते तो कांग्रेस इस मई के लोकसभा चुनाव जैसा दूसरे नंबर पर होती। तमाम उठा-पटक के बाद प्रदेश अध्यक्ष बन कर चुनाव लड़ी शीला दीक्षित ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भाजपा के मुकाबले ला दिया लेकिन पार्टी की गुटबाजी ने वापस कांग्रेस को वहीं ला दिया जहां वह 2015 के विधानसभा चुनाव में दस फीसद से कम वोट लाकर पहुंच गई थी।

सालों से यह माना जाता था कि पाकिस्तान से आए विस्थापित, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और मध्यमवर्ग भाजपा के साथ होते हैं। गरीब, अनधिकृत कॉलोनियों, देहात, अल्पसंख्यक आदि कांग्रेस के समर्थक होते हैं। पिछले तीन दशकों में पूर्वांचल के प्रवासियों की बड़ी तादात दिल्ली और आसपास में आने के बाद सारे समीकरण बदल गए। अब कांग्रेस समर्थक 'आप' के वोटर माने जा रहे हैं। 70 विधान सभा सीटों में से 50 में पूर्वांचल के प्रवासी 20 से 60 फीसद तक हो गया हैं। 2016 में बिहार मूल के भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर और इस चुनाव से ठीक पहले करीब 1800 कालोनियों में मालिकाना हक देकर भाजपा ने इस वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया है

चुनावी दांव

'आप' के 66 में से 46 दोबारा बने उम्मीदवार

'आप' ने अपने 66 विधायकों में से 46 को दोबारा उम्मीदवार बनाया। पांच उन विधायकों का टिकट कटा जिन्हें 'आप' से बगावत करने पर पार्टी से निकाला गया। 15 विधायकों के टिकट काटे गए और 12 ऐसे नेताओं को टिकट दिए गए जो पार्टी में अभी शामिल हुए हैं। संयोग से 'आप' ने जिन विधायकों के टिकट काटे हैं उनमें आदर्श शास्त्री, पंकज पुष्कर, नारायण दत्त शर्मा, कमांडो सुरेन्द्र, चौधरी फतेह सिंह, हाजी इशहाक और अवतार सिंह जैसे नाम शामिल हैं। बताया जाता है कि इन्होंने अपने काम के बूते इलाके में अपनी पहचान बनाई थी। इनमें से ज्यादातर ने बगावत करके चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। चौधरी फतेह सिंह जैसे पुराने भाजपा नेता वापस भाजपा में जा सकते हैं लेकिन ज्यादातर कांग्रेस के उम्मीदवार बन सकते हैं।

हरित घोषणापत्र से राजनीतिक पार्टियों को घेरा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले, पर्यावरण के लिए काम कर रहे दो गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और मेट्रो ट्रेनों एवं सरकारी बसों से सफर करने वालों के लिए आयकर में छूट देने की मांग की। एनजीओ- नई दिल्ली नेचर सोसाइटी और ग्रीन सर्कल ने सभी उम्र के विद्यार्थियों के स्कूल पाठ्यक्रम में पर्यावरण को अनिवार्य विषय के तौर पर शामिल करने और एकल प्रयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के सख्त क्रियान्वयन की भी मांग की।

इन संगठनों ने मांग की कि जो भी पार्टी सत्ता में आए वह मेट्रो या बस से सफर करने वालों को आयकर में छूट दे और बड़े दफ्तरों को पास के राज्यों के खुले इलाकों में स्थानांतरित करे। 'हरित घोषणापत्र' में कहा गया, 'पर्यावरणीय लक्ष्यों के लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए और हरित कानूनों को सख्ती से एवं पूरी तरह लागू किया जाए।' एनजीओ ने मांग की कि कचरा भराव क्षेत्रों को शहर से दूर बंजर भूमि पर ले जाया जाए और कारखानों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य दिए जाएं।

भाजपा ने उतारे सिर्फ चार महिला उम्मीदवार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी की गई 57 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची इस प्रकार है। नरेला से नीलदमन खत्री, तिमारपुर से सुरेंद्र सिंह बिट्टू, आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, बादली से विजय भगत, रिठाला से मनीष चौधरी, बवाना (अ.जा.) से रवींद्र कुमार इंद्राज, मुंडका से मास्टर आजाद सिंह, किरारी से अनिल झा, सुल्तानपुर माजरा (अ.जा.) से रामचंद्र छावरिया, मंगोल पुरी (अ.जा.) से करम सिंह कर्मा, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, शकूर बस्ती से डॉ एससी वत्स, त्रिनगर से तिलक राम गुप्ता, वजीरपुर से डॉ महेंद्र नागपाल, मॉडल टाउन से कपिल मिश्रा, सदर बाजार से जय प्रकाश, चांदनी चौक से सुमन कुमार गुप्ता, मटिया महल से रवींद्र गुप्ता, बल्लीमारान से लता सोढ़ी, करोलबाग (अ.जा.) से योगेंद्र चंदोलिया, पटेल नगर (अ.जा.) से परवेश रतन, मोती नगर से सुभाष सचदेवा, मादीपुर (अ.जा.) से कैलाश सांखला, तिलक नगर से राजीव बब्बर, जनकपुरी से आशीष सूद, विकासपुरी से संजय सिंह, उत्तम नगर से कृष्ण गहलोत, द्वारका से प्रद्युमन राजपूत, मटियाला से राजेश गहलोत, नजफगढ़ से अजीत खरखरी, बिजवासन से सतप्रकाश राणा, पालम से विजय पंडित, राजेंद्र नगर से सरदार आरपी सिंह, जंगपुरा से सरदार इमरित सिंह बख्शी, मालवीय नगर से शैलेंद्र सिंह मोंटी, आरके पुरम से अनिल शर्मा, छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर, देवली (अ.जा.) से अरविंद कुमार, आंबेडकर नगर (अ.जा.) से खुशी राम, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, तुगलकाबाद से विक्रम बिधूड़ी, बदरपुर से रामवीर सिंह बिधूड़ी, ओखला से ब्रह्म सिंह, त्रिलोकपुरी (अ.जा.) से किरण वैद, कोंडली (अ.जा.) से राजकुमार ढिल्लो, पटपड़गंज से रवि नेगी, लक्ष्मी नगर से अभय कुमार वर्मा, विश्वास नगर से ओपी शर्मा, गांधी नगर से अनिल वाजपेई, रोहताश नगर से जितेंद्र महाजन, सीलमपुर से कौशल मिश्रा, घोंडा से अजय महावर, बाबरपुर से नरेश गौड़, गोकुलपुर (अ.जा.) से रणजीत कश्यप, मुस्तफाबाद से जगदीश प्रधान, करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट मैदान में हैं।

शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, बल्लीमारान से लता सोढ़ी, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, और त्रिलोकपुरी से किरण वैद मैदान में।

उम्मीदवारों की सूची के साथ मनोज तिवारी।

दिल्ली कांग्रेस का चुनाव प्रचार गीत जारी

'कांग्रेस वाली दिल्ली खुशहाल दिल्ली'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को प्रचार गाना जारी किया। 'कांग्रेस वाली दिल्ली खुशहाल दिल्ली' गाने का लांच करते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि आज से दिल्ली कांग्रेस सोशल मीडिया के साथ-साथ प्रचार के अन्य सभी माध्यमों से इस गाने की मदद से दिल्ली में प्रचार किया जाएगा। यह गाना 120 सेकेंड का है। कांग्रेस के शासनकाल में दिल्ली क्या थी, दिल्ली को बेहाल किसने किया है और अब दिल्ली की स्थिति कैसी है? उसका फोटो और वीडियो के माध्यम से जिक्र किया गया है। चोपड़ा ने कहा कि कांग्रेस वाली दिल्ली खुशहाल दिल्ली थी। पार्टी भूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर से कांग्रेस दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगी।

सुभाष चोपड़ा ने कहा कि जब कांग्रेस साल 1998 में पहली बार दिल्ली की सत्ता में आई तो उस वक्त दिल्ली पूरी तरह से बेहाल थी। ना तो दिल्लीवासियों को पीने के लिए पानी नसीब होता था और ना ही बिजली की पर्याप्त व्यवस्था थी।

परिवहन के साधन भी उपलब्ध नहीं थे। मेट्रो और फ्लाईओवर का निर्माण कांग्रेस की सरकार ने ही दिल्ली में शुरू करवाया था। हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए दिल्ली को पुरस्कार मिला था, लेकिन आज वहीं दिल्ली बीते पांच साल में हो हो गई है। कांग्रेस के सोशल मीडिया के चेयरमैन रोहन गुप्ता कहा कि ऑडियो, वीडियो और फिल्म के माध्यम से चुनाव में प्रचार किया जाएगा।

चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद ने कहा कि दिल्ली की जनता एक बार फिर से शीला दीक्षित के किए गए कार्यों को याद करने लगी है। इस गाने से उन कार्यों को याद दिलवाया जाएगा। मुकेश शर्मा ने कहा कि इस गाने के साथ होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और घर-घर जाकर कार्यकर्ता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे।

राहुल को नागरिकता कानून के बारे में कोई ज्ञान नहीं : नड्डा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास संशोधित नागरिकता कानून का कोई ज्ञान और समझ नहीं है। साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी इस कानून पर 10 वाक्य बोलकर दिखाएं। राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए नड्डा ने यहां एक समारोह में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पड़ोसी देशों के उन अल्पसंख्यकों के लिए है जिन्हें उन देशों में सालों तक धार्मिक प्रताड़नाएं सहनी पड़ी हों और उन्होंने बाद में भारत में शरण ली हो।

वे भारतीय बौद्ध संघ की ओर से दिल्ली में आयोजित धम्म सम्मेलन में बोल रहे थे। बौद्ध संघ के अध्यक्ष भंते संघप्रिय राहुल के मुताबिक यह सम्मेलन संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में बुलाई गई थी। इस मौके पर नड्डा ने कहा कि नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोग वास्तव में देश को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि विपक्षी दलों के पास मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं बचा है। सरकार ने 70 साल से अधिक समय से लंबित समस्याओं को छह महीने में सुलझा लिया।

कीर्ति आजाद के रीट्वीट को निर्भया की मां ने नकारा

केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार बनाने की थी चर्चा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

दिल्ली कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शुक्रवार शाम तक नहीं की थी। पर चर्चा है कि नई दिल्ली सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार निर्भया की मां हो सकती हैं। उनके नाम को लेकर ट्वीटर पर उस वक्त जोरों से चर्चा शुरू हो गई, जब दिल्ली चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद ने एक ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। उन्होंने जिस ट्वीट का रीट्वीट किया है उसमें लिखा था कि निर्भया की मां नई दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस का उम्मीदवार हो सकती हैं। कीर्ति आजाद ने अपने ट्वीट में लिखा कि 'ऐ मां तुझे सलाम' आपका स्वागत है। हालांकि जब कीर्ति आजाद से इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरा देश निर्भया की मां को सलाम करता है तो कांग्रेस पार्टी या फिर वह खुद उनको सलाम करते हैं तो क्या बुरा है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वह शामिल होंगी कि नहीं। इस बारे में निर्भया की मां से उनकी बात नहीं हुई है, लेकिन यदि वह शामिल होती हैं तो पार्टी में उनका स्वागत है। कीर्ति आजाद के ट्वीट के बाद कांग्रेस में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। कुछ घंटे बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने ट्वीट किया कि कांग्रेस में हमेशा सब का स्वागत होता है, लेकिन चुनावी माहौल में टिकट वितरण के मामले बिना किसी पुष्टि के कोई समाचार आ रहा है तो बता दूं कि विषय में किसी से कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर वह पार्टी में शामिल होती हैं तो उनका स्वागत है। वहीं, निर्भया की मां ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस में किसी से टिकट को लेकर बात नहीं की है। वह सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय चाहती हैं। निर्भया की मां ने कहा कि वह दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकते देखना चाहती हैं।

दिल्ली अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने ट्वीट कर सफाई दी कि इस संबंध में कोई बात नहीं हुई।

बयानबाजी

डीजीपी की नियुक्ति खारिज

चंडीगढ़, 17 जनवरी (भाषा)।

पंजाब सरकार को बड़ा झटका देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने पुलिस प्रमुख पद पर दिनकर गुप्ता की नियुक्ति शुक्रवार को खारिज कर दी। कैट अध्यक्ष एल नरसिम्हा रेड्डी और एम जमशेद के दो सदस्यीय पीठ ने मोहम्मद मुस्तफा और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की एक अपील पर यह फैसला दिया।

पीठ ने 54 पृष्ठों के अपने आदेश में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और पैनल तैयार करने वाली समिति को डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए तीन वरिष्ठतम अधिकारियों का एक नया पैनल बनाने और चार सप्ताह के भीतर यह कवायद पूरा करने का निर्देश दिया। पिछले साल दायर याचिका में दोनों पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे गुप्ता से वरिष्ठ हैं और उनके सेवा रिकॉर्ड बेहतरीन हैं।

बेहमई जनसंहार मामले में फैसला आज

कानपुर, 17 जनवरी (भाषा)।

डकैती छोड़कर नेता बनीं दिवंगत पूर्व सांसद फूलन देवी की कथित संलिप्तता वाले चार दशक पुराने बेहमई कांड मामले में कानपुर की एक विशेष अदालत शनिवार को फैसला सुना सकती है।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव पोरवाल ने शुक्रवार को बताया, 'हमें काफी उम्मीद है कि बेहमई कांड मामले में अदालत शनिवार को अपना फैसला सुनाएगी।' बचाव पक्ष के वकील गिरीश नारायण दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की कुछ सुनिश्चित व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए विशेष अदालत से कहा है कि वह मामले में निर्णय देते वक्त इनका भी ध्यान रखे।

बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
पंजी. कार्यालय: 21, एनएस रोड, कोलकाता-700 001
सीआईएन:: L15492WB1924GOI004835
फोन: 033 22225313, ई-मेल: bhavsar.k@balmerlawrie.com
वेबसाईट: www.balmerlawrie.com

सूचना

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 29 एवं विनियम 47 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 31 दिसेम्बर, 2019 को समाप्त तृतीय तिमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलोन एवं एकीकृत) पर विचार एवं अनुमोदन करने हेतु मंगलवार, 4 फरवरी, 2020 को कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन किया जाएगा।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट **www.balmerlawrie.com** तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **www.bseindia.com** एवं **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

कृते बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड
कविता भावसार
कम्पनी सचिव
एफ-4767

स्थान : कोलकाता
तिथि : 17 जनवरी, 2020

J&K Bank
Serving To Empower

द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
बाधित परिसंपत्ति पोर्टफोलिओ प्रबंध विभाग
अंचल कार्यालय उत्तर, प्लॉट नं. 132-134,
सेक्टर-44, गुड़गांव (हरियाणा)
टे.:0124-4715800; ई-मेल: iapmd.del@jkbmail.com

1. मै. आनंद क्रिएशन्स, द्वारा श्री गुरप्रीत सिंह आनंद, पुत्र श्री जोगिन्दर पाल सिंह, पंजी. कार्यालयः ओ-2, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019
2. श्री गुरप्रीत सिंह आनंद, पुत्र जोगिन्दर पाल सिंह, निवासीः अंसल सुशांत इस्टेट, फ्लैट नं. 704, टावर-6, सेक्टर-52, गुड़गाँव, हरियाणा-122002
** साथ हीः आनंद विला, पाइन एन्क्लेव बरजुल्ला बगात श्रीनगर (जेएंडके)
3. श्री जोगिन्दर पाल सिंह, पुत्र श्री माखन सिंह आनंद, निवासीः एस.आर.गंज, फायर स्टेशन के निकट, श्रीनगर, कश्मीर-190002
** साथ हीः आनंद विला, पाइन एन्क्लेव बरजुल्ला बगात श्रीनगर (जेएंडके) (गारन्टर/मार्टगैजर)
* साथ हीः असंल सुशांत इस्टेट, फ्लैट नं. 704, टावर नं. 6, सेक्टर-52, गुड़गाँव, हरियाणा
** साथ हीः एच. नं. 111, ग्रीन एवैन्यू मकबूल रोड, अमृतसर पंजाब-143001
4. श्रीमती जसमीन आनंद, पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह आनंद, निवासीः एच. नं. 111, ग्रीन एवैन्यू मकबूल रोड, अमृतसर पंजाब-143001
** साथ हीः निवासीः असंल सुशांत इस्टेट, फ्लैट नं. 704, टावर नं. 6, सेक्टर-52, गुड़गाँव, हरियाणा

प्रिय महोदय/महोदया

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि., जेएंडके कंपनी अधिनियम, 1977 (संवत) के अंतर्गत स्थापित एक बैंकिंग कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय एम.ए. रोड, श्रीनगर में है तथा अन्य स्थानों सहित एक शाखा कार्यालयः बी-205, दूसरा तल, अंसल प्लाजा, खेल गाँव मार्ग, एन्डूज गंज, नई दिल्ली, तात्कालिक बिजनेस यूनिट, साउथ एक्स्टेंशन, नई दिल्ली में है, यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित (जिसकी अवधारणा के आशय में उसके उत्तराधिकारी तथा एसाइन्स, रुचि रखने वाले उत्तराधिकारी आदि शामिल हैं) के लिए तथा उसकी ओर से मै, अनिल कुमार हंडू वर्तमान में एक्जीक्यूटिव प्रबंधक, बाधित परिसम्पत्ति पोर्टफोलियो प्रबंध विभाग, अंचल कार्यालय दिल्ली (उत्तर) गुड़गांव, हरियाणा के रूप में पदस्थापित तथा इस संदर्भ में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत, एतद्द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निम्नलिखित सूचना सर्व करता हूं।

1. आपके अनुरोध पर वर्ष 2014 में बैंक ने आपको आरंभिक रूप से आपके प्रॉप्राइटरशिप प्रतिष्ठान, नाम मै. आनंद क्रिएशन्स के पक्ष में रु. 74.00 लाख का सुगम कार्यरत साख सुविधा स्वीकृत किया था जिसे बाद में 2016 से बढ़ाकर रु. 93.00 लाख (रुपए तिड़ानवे लाख मात्र) कर दिया गया। यह सुविधा 2016 में आपके पक्ष में स्वीकृत की गई थी तथा सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने अन्य प्रतिभूतियों के अतिरिक्त बैंक कै पक्ष में विभिन्न साख दस्तावेज निष्पादित किये तथा अन्य बातों के अलावे बैंक के पक्ष में निम्न प्रतिभूति परिसम्पत्तियों पर प्रतिभूति हित का निर्माण किया।
क) गोदाम, शो रूम अथवा अन्यत्र पड़ी स्टॉक्स, बुक डेब्ट्स, रिसीवेवल्स तथा प्लान्ट एवं कच्चे माल, तैयार तथा अर्ध-निर्मित वस्तुओं का स्टॉक
ख) पाइन एन्क्लेव, सनत नगर इस्टेट, मैन रोड, बगात बर्जुल्ला, तहसील एवं जिला बड़गाम (जेएंडके) में स्थित खसरा नं. 1330/496, खाता नं. 183, खेवत नं. 16 के अंतर्गत उसके नीचे की भूमि, माप 17 मरला के साथ मकान की सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।

2. आप/आपके प्रतिष्ठान ने उपरोक्त सुविधाऐं प्राप्त की, लेकिन प्रतिभूत ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की है तथा इस प्रकार आपने उस नियमों तथा शर्तों का उल्लंघन किया है जिस पर आपको साख/ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार 31.3.2019 से आपकी खाता को बैंक द्वारा ''गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति'' के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। अब, 31.12.2019 को आपकी ऋण-खाता में अधोलिखित राशि देय हैः
ईजी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी रु. 10172909.56

ऊपर पैरा 2 में वर्णित बकाया राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत परिभाषित रूप में बैंक ''प्रतिभूत क्रेडीटर'' है।

अतएव अब, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै, ऊपर नामित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत एतद्द्वारा आपको निर्देश देता हूं कि क्रेडिट्स, यदि कोई हो, को घटाकर समय- समय पर बैंक द्वारा वहन की गई/ वहन की जाने वाली अन्य लागतों तथा चार्जेज के साथ मासिक रेस्ट्स के साथ एक वर्ष एमसीएलआर+3.50% वर्तमान के 11.90% के साथ 1.1.2020 से उस पर फ्लोटिंग दर ब्याज के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर बैंक की लेखा पुस्तकों में आप के प्रति बकाया रु. 10172909/- (रुपये एक करोड़ एक लाख बहत्तर हजार नौ सौ नौ मात्र) की राशि का भुगतान कर बैंक के प्रति अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा बैंक आपकी जोखिम एवं लागतों पर अधिनियम (सुप्रा) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अपनी प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित किसी या सभी उपायों का अवलंबन करेगाः

i. प्रतिभूत परिसंपत्तियों की उगाही के लिए लीज, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कब्जा करना।
ii. प्रतिभूत परिसंपत्तियों की उगाही के लिए लीज, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन का अधिग्रहण करना।
iii. प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंध के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना।
iv. लिखित में सूचना द्वारा किसी भी समय ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्राप्त करना जो बैंक को भुगतान के लिए आपसे किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्तियों को अर्जित किए हों।

3. उक्त अधिनियम की धारा 13(13) का ध्यान रखें कि इस सूचना के बाद बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से आप बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का अंतरण करने से आप निषिद्ध किये गये हैं। पुनः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद आप प्रतिभूत क्रेडीटर के हित के विरुद्ध किसी भी रूप में उपरोक्त परिसंपत्तियों का व्यवसाय नहीं करेंगे। साथ ही, आप प्रतिभूत परिसंपत्तियों जिसके आप ट्रस्टी हैं को संरक्षित रखने के कर्त्तव्य से बंधे हैं। यदि आपने पहले ही इन परिसंपत्तियों को अंतरित कर दिया हो अथवा इस सूचना की सर्विस के बाद अंतरित करेंगे तो आप इस अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई के भागी होंगे।

4. पुनः, कृपया ध्यान रहे कि यदि आप इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करने में विफल होते हैं तथा बैंक अधिनियम (सुप्रा) की धारा 13 की उप-धारा 4 के अंतर्गत कोई कार्रवाई करता है तो आप पुनः इस सिलसिले में बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चे का बैंक को भुगतान करने के लिय उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री राशि से बैंक की संपूर्ण बकाया वसूल नहीं होती है तो बैंक आप तथा उसके देनदार किसी अन्य व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से शेष बकाये की वसूली की कार्रवाई करेगा।

5. यह सूचना लम्बित ऋण वसूली कार्रवाई अथवा किसी अन्य न्यायालय/ अपीलीय अधिकरण/ प्राधिकरण में बैंक के सभी अधिकारों, उपचारों तथा तर्कों तथा साथ ही उपरोक्त देयता के संदर्भ में बैंक में प्रस्तुत की गई किसी अन्य प्रतिभूति से बकाए की वसूली करने के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह-रहित जारी की जाती है।

6. कृपया ध्यान रहे कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अनुसार आप सार्वजनिक सूचना द्वारा, जनता से कोटेशन/ निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ संपूर्ण बकाये राशि का भुगतान कर सकते हैं।

कृपया यह भी ध्यान रहे कि यदि सार्वजनिक सूचना द्वारा, कोटेशन, जनता से निविदा आमंत्रण या निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन्स से पूर्व आप लागतों, चार्जेज, बैंक द्वारा वहन की गई खर्चे के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

7. यह मांग सूचना ऋण राशि का रिकॉल है तथा यदि इस सूचना के अनुसार प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन के बाद यदि आपकी देयता पूरी तरह से वसूल नहीं होती है तो शेष राशि की वसूली करने के लिये बैंक के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह-रहित बकाया राशि के प्रतिभूत क्रेडीटरों की आपसे मांग है। पुनः कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना को हमारी बकाया राशि के संदर्भ में आगे मांग करने के अधिकार की सीमा के बिना उससे युक्त हमारे किसी भी अधिकारों अथवा उपचारों की छूट के रूप में नही मानी जाये।

तिथि: 6.1.2020 (अनिल कुमार हांडु)
स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, द जे एंड के बैंक लि.

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities.
Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.

ITI

ITI LIMITED

Our Company was originally incorporated as Indian Telephone Industries Private Limited on January 25, 1950 at Bengaluru, Karnataka, India as a private limited company under the Mysore Companies Act, XVIII of 1988. Subsequently, the name of our Company was changed to Indian Telephone Industries Limited pursuant to a notification no. G.S.R 1234 dated December 30, 1958 issued by the Ministry of Commerce and Industry. Our Company became a deemed public limited company under Section 43A (1A) of the Companies Act, 1956 with effect from July 1, 1975. Thereafter, the name of our Company was changed from Indian Telephone Industries Limited to its present name, ITI Limited, and a fresh certificate consequent upon change of name dated January 24, 1994 was issued by the Registrar of Companies, Karnataka at Bengaluru ("**RoC**"). For further details relating to incorporation, corporate structure, change in registered office of our Company, please refer to the chapter "*History and Certain Corporate Matters*" beginning on page 144 of the Red Herring Prospectus ("**RHP**").

Registered and Corporate Office: ITI Bhavan, Doorvaninagar, Bengaluru 560 016, Karnataka, India; **Tel:** +91 80 2561 7486; **Fax:** +91 80 2561 4400;
Company Secretary and Compliance Officer: S. Shanmuga Priya, Company Secretary and Compliance Officer; **Tel:** +91 80 2561 7486; **Fax:** +91 80 2561 7525; **E-mail:** cosecy_crp@itiltd.co.in; **Website:** www.itiltd-india.com
Corporate Identity Number: L32202KA1950GOI000640

PROMOTER OF OUR COMPANY: THE PRESIDENT OF INDIA, ACTING THROUGH THE DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS ("DOT"), MINISTRY OF COMMUNICATIONS, GOVERNMENT OF INDIA

FURTHER PUBLIC OFFERING OF UPTO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF ITI LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") AGGREGATING UPTO ₹[•] MILLION (THE "ISSUE") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UPTO 180,000,000 EQUITY SHARES FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), (THE "NET ISSUE") AND AN ADDITIONAL ISSUE OF UPTO 1,800,000 EQUITY SHARES CONSTITUTING 1% OF THE NET ISSUE WHICH SHALL BE RESERVED FOR ALLOCATION AND ALLOTMENT ON A PROPORTIONATE BASIS TO ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (THE "EMPLOYEE PRICE"). THE ISSUE SHALL CONSTITUTE [•]% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, AND THE NET ISSUE SHALL CONSTITUTE [•]% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

QIB Portion: Not less than 75% of the Issue
Retail Portion: Not more than 10% of the Issue
Non-Institutional Portion: Not more than 15% of the Issue
Reserved Category - Employee - 1% the Net Issue

ASBA* | **Simple, Safe, Smart way of Application!!!**
*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below.
Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.

UPI — UNIFIED PAYMENTS INTERFACE
UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Bidders ("RIBs").**
Applicants to ensure PAN is updated in Bank Account being Blocked by ASBA Bank.

**ASBA has to be availed by all the investors. UPI may be availed by Retail Individual Bidders.*
*For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 344 of the RHP. The process is also available on the website of AIBI and Stock Exchanges in the General Information Document. ASBA Forms can be downloaded from the websites of BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**", and together with BSE, the "**Stock Exchanges**") and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.*
***List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. • For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. ICICI Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Issue, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018. For issue related grievance investors may contact: BOB Capital Markets Limited - Nivedika Chavan (+91 22 6138 9300) (iti.fpo@bobcaps.in); Karvy Investor Services Limited – P. Balraj/ Bhavin Vakil (+91 40 2342 8774) (cmg@karvy.com); PNB Investment Services Limited – Abhishek Gaur/ Vinay Rane – (+91 22 2653 2745) (iti.fpo@pnbisl.com). For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number: 18001201740 and Mail Id: ipo.upi@npci.org.in*

Risks to Investors:
- **The three Book Running Lead Managers associated with the Issue have handled two public issues in the past three years out of which one closed below the issue price on listing date.**
- **The Issue Price at the upper end of the Price Band is at ₹[•] per Equity Share.**

BID / ISSUE PROGRAMME*
BID/ISSUE OPENS ON JANUARY 24, 2020*
BID/ISSUE CLOSES ON JANUARY 28, 2020

**Our Company may, in consultation with the BRLMs, consider closing the Bid/ Issue Period for QIBs one day prior to the Bid/ Issue Closing Date, in accordance with the 2018 SEBI ICDR Regulations.*

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Issue Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. In case for force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Price Period for a minimum of three Working Days subject to Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a public notice and also by indicating the change on the websites of the BRLMs at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Bank. However, in case of Revision of Price Band Bid Lot shall remain the same.

The Issue is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 41 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended ("**2009 SEBI ICDR Regulations**"). The Issue is being made through the Book Building Process in compliance with Regulation 26(2) of the 2009 SEBI ICDR Regulations, wherein at least 75% of the Net Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") ("**QIB Portion**"). Further, 5% of the QIB Category shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the QIB Category shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further, not more than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not more than 10% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the 2018 SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further, upto 1,800,000 Equity Shares shall be available for allocation on a proportionate basis to the Eligible Employees, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All potential Bidders are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**"), process providing details of their respective ASBA accounts, and the UPI ID, in case of RIBs, if applicable, by providing the details of their respective bank accounts, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs. For details, see "*Issue Procedure*" on page 344 of the RHP.

Bidders/Applicants should ensure that DP ID, PAN and the Client ID and UPI ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the DP ID, PAN, Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Bidders/Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder/Applicant may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for giving Allotment Advice or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to the Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders/Applicants' sole risk.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects of our Company, investors are requested to see "*History and Certain Corporate Matters*" on page 144 of the RHP and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see "*Material Contracts and Documents for Inspection*" on page 422 of the RHP.

LIABILITY OF THE MEMBERS OF OUR COMPANY: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of the RHP, the authorised share capital of our Company is ₹ 35,000,000,000 divided into 2,800,000,000 Equity Shares of ₹ 10 each and 70,000,000 Redeemable Cumulative Preference of ₹ 100 each. The issued, subscribed and paid-up Equity share capital of our Company is ₹ 8,970,000,000 divided into 897,000,000 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the capital structure, see "*Capital Structure*" on page 73 of the RHP.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Governor General of India by V K R Menon, A. F. Bennett, V K R Menon and R Narayanaswami and were alloted 10,000, 6667, 100 and 100 equity shares respectively. For details of the share capital history and capital structure of the Company see "*Capital Structure*" beginning on page 73 of the RHP.

LISTING: The Equity Shares are listed on BSE and NSE. Our Company has received an 'in-principle' approval from the BSE and the NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to their letters dated October 19, 2018 and December 11, 2018, respectively. For the purposes of this Issue, BSE shall be the Designated Stock Exchange. A copy of this Red Herring Prospectus and the Prospectus shall be delivered to the RoC for filing in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents which shall be available for inspection from the date of filing of this Red Herring Prospectus with the RoC, until the Bid/ Issue Closing Date, see "*Material Contracts and Documents for Inspection*" on page 422 of the RHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): SEBI only gives its observations on the offer documents and this does not constitute approval of either the Issue or the specified securities stated in the Issue Document. The investors are advised to refer to page 323 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of SEBI.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (The Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Red Herring Prospectus has been cleared or approved by BSE Limited nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Red Herring Prospectus. The investor is advised to refer to the page 328 of the Red Herring Prospectus for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to page 328 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of NSE.

GENERAL RISKS: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares offered in this Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "*Risk Factors*" on page 14 of the RHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS			REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
BOBCAPS **BOB Capital Markets Limited** 1704, B Wing, 17th Floor, Parinee Crescenzo, Plot No.C- 38/39, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai 400 051; Maharashtra, India **Tel:** +91 22 6138 9300; **Fax:** +91 22 6671 8535 **E-mail:** iti.fpo@bobcaps.in **Investor grievance e-mail:** investorgrievance@bobcaps.in **Website:** www.bobcaps.in **Contact Person:** Nivedika Chavan **SEBI Registration No.:** INM000009826	KARVY INVESTMENT BANKING **Karvy Investor Services Limited** Plot No. 31, 8th Floor, Karvy Millenium, Nanakramguda Financial District, Gachibowli, Hyderabad 500 032 Telangana, India **Tel:** +91 40 2342 8774 **Fax:** +9140 2337 4714 **E-mail:** cmg@karvy.com **Investor grievance e-mail:** cmg@karvy.com **Website:** www.karvyinvestmentbanking.com **Contact Person:** P. Balraj/ Bhavin Vakil **SEBI Registration No:** MB/INM000008365	pnb investment services ltd **PNB Investment Services Limited** PNB Pragati Tower, 2nd Floor, C-9, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400051 Maharashtra, India **Tel:** +91 22 2653 2745 **Fax:** +91 22 2653 2687 **E-mail:** iti.fpo@pnbsi.com **Investor grievance e-mail:** complaints@pnbsi.com **Website:** www.pnbisl.com **Contact Person:** Abhishek Gaur/ Vinay Rane **SEBI Registration number:** INM000011617	KFINTECH **KFin Technologies Private Limited** *(Formerly known as Karvy Fintech Private Limited)* Selenium Tower B, Plot No – 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, 500 032 Telangana, India **Tel:** +91 40 6716 2222, **Fax:** +91 40 2343 1551 **E-mail:** iti.fpo@kfintech.com **Investor grievance email:** einward.ris@kfintech.com **Website:** www.kfintech.com **Contact Person:** M. Murali Krishna **SEBI Registration No.:** INR000000221	**Ms. S. Shanmuga Priya** ITI Limited ITI Bhavan, Doorvaninagar Bengaluru 560 016, Karnataka, India **Tel:** +91 80 2561 7486; **Fax:** +91 80 2561 7525 **E-mail:** cosecy_crp@itiltd.co.in **Website:** www.itiltd-india.com Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer, the BRLMs or the Registrar to the Issue or the respective SCSBs in case of any pre-Issue or post-Issue related problems, such as non- receipt of Allotment Advice, noncredit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, or non-receipt of refund orders and non receipt of funds by electronic mode.

AVAILABILITY OF RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the "*Risk Factors*" beginning on page 14 of the RHP before applying in the Issue. A copy of the RHP is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the BRLMs at www.bobcaps.in, www.karvyinvestmentbanking.com and www.pnbisl.com and the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORM: Bid cum Application Form can be obtained from the Registered Office of Company, **ITI Limited:** Tel: +91 80 2561 7486; Fax: +91 80 2561 4400; **BRLMs: BOB Capital Markets Limited**, Tel: +91 22 61389300, Fax:+9122 6671 8535; **Karvy Investor Services Limited**, Tel: +91 40 23428774, Fax: +91 40 23374714 and **PNB Investment Services Limited**, Tel: +91 22 2653 2745, Fax: +91 22 2653 2687; **Syndicate Member: Emkay Global Financial Services Limited**, Tel: +91 22 6612 1266, Fax: +91 22 6612 1299 and **Prabhudas Lilladher Private Limited**, Tel: +91 22 6632 2222, Fax: +91 22 6632 2229 and at selected locations of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated RTA Locations and Designated CDP Locations for participating in the Issue. Bid cum Application Forms will also be available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and at all the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the websites of the Stock Exchanges and SEBI.

SUB-SYNDICATE MEMBERS: Anand Rathi, Axis Capital Limited, Bonanza Portfolio Limited, Centrum Broking Limited, Edelweiss Securities Limited, Eurekha Stock & Share Brokers Limited, HDFC Securities Limited, HEM Securities Limited, ICICI Securities Limited, IDBI Capital Markets & Securities Limited, IIFL Securities Limited, JM Financial Services Limited, Keynote Capital Limited, Kotak Securities Limited, LKP Securities Limited, Motilal Oswal Financial Services Limited, Prabhudas Lilladher Private Limited, Pravin Ratilal Share & Stock Brokers Limited, RR Equity Brokers Private Limited, SBICAP Securities Limited, Sharekhan Limited, SMC Global Securities Limited, TradeBulls Securities Private Limited, YES Securities (India) Limited, Zerodha Capital Private Limited.

BANKER(S) TO THE ISSUE: ICICI Bank Limited.

PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/REFUND BANK/ SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited.

UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI mechanism.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For **ITI Limited**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Bengaluru
Date: January 17, 2020

ITI Limited is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a further public offer of its equity shares (**"Equity Shares"**) and has filed a red herring prospectus (**"RHP"**) with the Securities and Exchange Board of India and the Registrar of Companies, Karnataka situated at Bengaluru. The RHP is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the websites of the book running lead managers, BOB Capital Markets Limited, Karvy Investor Services Limited and PNB Investment Services Limited at www.bobcaps.in, www.karvyinvestmentbanking.com and www.pnbisl.com, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see "Risk Factors" on page 14 of the RHP.

This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933 or an exemption from such registration. Any public offering of securities to be made in the United States will

जनसत्ता

18 जनवरी, 2020

फिर फजीहत

यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के आंतरिक मामलों में बेजा दखल देने की कोशिश की हो और उसे मुंह की खानी पड़ी हो। विडंबना यह है कि ऐसी स्थितियों का सामना करने और वैश्विक स्तर पर बने समीकरणों के बावजूद पाकिस्तान अब भी भारत को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करता रहता है। इसी तरह की एक बेमानी कवायद के तहत न्यूयॉर्क में बुधवार को बंद कमरे में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन ने कश्मीर का मामला उठाने की कोशिश की। जाहिर है, यह पाकिस्तान की मंशा और उससे चीन की दोस्ती के नाते संभव हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों के दौरान वैश्विक स्तर पर बनी राजनीतिक तस्वीर को नजरअंदाज करते हुए कमजोर गणित के साथ यह कोशिश की गई। यही वजह है कि सुरक्षा परिषद में चीन के इस प्रस्ताव को बाकी के चार स्थायी सदस्यों यानी फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के साथ-साथ दस अन्य सदस्यों ने साफ लहजे में कहा कि यह मामला यहां उठाने की जरूरत नहीं है। हालांकि पिछले साल जब भारत ने कश्मीर में अनुच्छेद-370 के सवाल पर बड़ा फैसला लिया था, पाकिस्तान तभी से गाहे-बगाहे इस पर अपनी छटपटाहट जाहिर करता रहता है।

मुश्किल यह है कि इस मामले में वैश्विक मंचों पर वह अकेले कुछ कर पाने की स्थिति में तो नहीं ही है और जिन देशों का सहारा मिलने की उसे उम्मीद होती है, उनसे भी कुछ खास हासिल नहीं हो पाता। दरअसल, इससे पहले भी पाकिस्तान और चीन ने कश्मीर के मसले पर संयुक्त राष्ट्र में भारत को घेरने की कोशिश की थी। मसलन, पिछले साल अगस्त में चीन ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुला कर जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटा कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने का मसला उठाया था, जो नाकाम रहा। इसके बाद फिर बीते दिसंबर में भी कश्मीर मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में बहस कराने का प्रस्ताव चीन को इसलिए वापस लेना पड़ा था, क्योंकि रूस और ब्रिटेन ने खुले तौर पर भारत का साथ देते हुए कहा था कि इस मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में चर्चा की जरूरत नहीं है। सवाल है कि बार-बार हाथ लगने वाली नाकामी के बावजूद पाकिस्तान और चीन को यह समझने में क्यों मुश्किल हो रही है कि कश्मीर में जो कुछ भी है, वह भारत का आंतरिक मामला है और यहां की समस्याओं से निपटना आखिरकार भारत की जिम्मेदारी है!

सुरक्षा परिषद के कई सदस्यों ने यह भी कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देशों के बीच बातचीत से ही इसका हल होना चाहिए। इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि अगर कोई देश अपनी सीमा में किसी इलाके में खड़े हुए किसी मुद्दे से जूझ रहा है तो यह उसका आंतरिक मामला है और इसमें किसी तरह की गैरजरूरी दखल देने की स्थिति से दूसरे देशों को बचना चाहिए। सवाल है कि क्या पाकिस्तान और चीन इस तथ्य से अनजान हैं कि किसी संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में बिना उसकी मांग के किसी भी तरह का दखल देना ठीक नहीं है, वरना इस तरह की प्रवृत्ति के नतीजे में होने वाली उथल-पुथल की मुश्किल किसी भी देश को झेलने की नौबत आ सकती है? गौरतलब है कि इस साल भारत में होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान को भी निमंत्रण भेजने की चर्चा है। यानी पाकिस्तान की बेमानी हरकतों के बावजूद अगर संबंधों को सहज बनाने के लिहाज से भारत का रुख सकारात्मक है तो क्या पाकिस्तान और चीन को अपने रवैये पर विचार नहीं करना चाहिए?

बकाए का संकट

बकाया पैसा चुकाने के मामले में दूरसंचार कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अब इन कंपनियों को 23 जनवरी यानी हफ्तेभर के भीतर एक लाख सैंतालीस हजार लाख करोड़ रुपए सरकार को चुकाने होंगे। जाहिर है, यह कोई मामूली रकम नहीं है और इसे चुकाने में कंपनियों के पसीने छूटने स्वाभाविक हैं। पिछले साल 24 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे तीन महीने के भीतर सरकार को लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के मद में एक लाख सैंतालीस हजार लाख करोड़ रुपए चुकाएं। इसके बाद भारती एअरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने राहत की गुहार लगाते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की थी। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उसे अब खारिज कर दिया है। हालांकि इन कंपनियों ने उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी है और क्यूरेटिव याचिका दायर करने की बात कही है। पर सुप्रीम कोर्ट ने जैसा रुख अपनाया है, उसमें राहत की उम्मीद लगभग नहीं है। ऐसे में अगर कंपनियां संकट से नहीं उबर पाईं तो दो ही रास्ते बचेंगे, या तो कारोबार समेटें या जो पैसा भरें, उसका बोझ ग्राहकों पर डालें।

दूरसंचार कंपनियों और सरकार के बीच एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है। दूरसंचार विभाग शुरू से कहता आया है कि एजीआर में दूरसंचार सेवाओं से होने वाली आय के अलावा दूसरे जरिए जैसे किराए, लाभांश और ब्याज से होने वाली आमद को भी इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन कंपनियां इससे सहमत नहीं हैं। इस मामले को लेकर सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन से साल 2005 में पहला मामला दायर किया था और दलील दी थी कि सरकार जिन घटकों को एजीआर में शामिल कर रही है, वे टेलीग्राफ एक्ट और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों के अनुरूप नहीं हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें स्पष्ट कर चुका है। ऐसे में अब विवाद की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद संकट को देखते हुए सरकार ने किस्तों में यह रकम चुकाने का विकल्प दिया था। लेकिन कंपनियों की मुश्किल ये है कि इतना पैसा लाएंगी कहां से।

भारत का दूरसंचार उद्योग एक तरह से गंभीर संकट में पड़ गया है। कुछ ही बड़ी कंपनियां मैदान में बची हैं। कंपनियों पर एक लाख सैंतालीस हजार लाख करोड़ रुपए का जो बकाया है, उसमें पचहत्तर फीसद हिस्सा ब्याज, जुर्माने और जुर्माने पर ब्याज का है। ऐसे में अगर ये रकम भरनी पड़ी तो ज्यादातर कंपनियों को अपना बिस्तर बांधना पड़ सकता है। वोडाफोन-आइडिया ने तो कह भी दिया है कि अगर कोई राहत नहीं मिलती है तो हम कारोबार बंद कर देंगे। तब रिलायंस जियो और एअरटेल जैसी कंपनियां ही बाजार में रह जाएंगी। यानी एक तरह से बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी और दो बड़ी कंपनियों का ही दबदबा रह जाएगा। कंपनियां अपनी जेब से तो कोई पैसा भरने वाली हैं नहीं, वे सेवाएं महंगी करेंगी और उपभोक्ताओं पर बोझ डालेंगी। विकल्प के अभाव में लोग महंगी सेवा लेने पर मजबूर होंगे। दूसरी समस्या यह होगी कि आर्थिक संकट में फंसी कंपनियां कैसे 5-जी सेवाएं की दिशा में कदम बढ़ा पाएंगी? भारत में दूरसंचार सेवाओं का नेटवर्क भले बढ़ गया हो, लेकिन सेवा-गुणवत्ता के मामले में दयनीय हालत है। अगर सरकार आगामी बजट में दूरसंचार क्षेत्र के लिए ऐसी घोषणाएं करती है जिससे कंपनियां सेवाएं महंगी करने पर मजबूर न हो, तभी उपभोक्ताओं का भला होगा।

कल्पमेधा

मूर्ख का मस्तिष्क दर्शन को भूल में, विज्ञान को अंधविश्वास में और कला को पांडित्य में हजम कर लेता है।

– जॉर्ज बर्नार्ड शॉ

बच्चों की मौत से उठते सवाल

ऋतु सारस्वत

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुपोषण, उचित इलाज और देखरेख के अभाव में करीब आठ लाख नवजात शिशुओं की मौत हर साल हो जाती है। शिशु मृत्यु दर आकलन के लिए बाल मृत्यु दर अनुमान एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसतन हर दो मिनट में तीन नवजातों की मौत हो जाती है। इसका कारण पानी, स्वच्छता, उचित पोषाहार एवं बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है।

पिछले दिनों राजस्थान के कोटा, जोधपुर और बीकानेर के सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में बच्चों की मौतों ने उस प्रश्न को पुनर्जीवित कर दिया है जिसे हम हर स्थिति में दबाए रखना चाहते हैं कि 'हम बच्चों के जीवन के प्रति इतने असंवेदनशील क्यों हैं?' सरकार की लापरवाही और असंवेदनशीलता से नाराज होकर ही राजस्थान उच्च न्यायालय का यह प्रश्न आवश्यक और अपरिहार्य हो जाता है कि सरकारी अस्पतालों में नवजात क्यों दम तोड़ रहे हैं। प्रश्न सिर्फ राजस्थान में हुई बच्चों की मौतों का नहीं है, यह स्थिति बदस्तूर उत्तर भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की भी है।

बच्चों के जीवन के प्रति बरती जाने वाली घोर असंवेदनशीलता की फेहरिस्त बहुत लंबी है। साल 2017 में गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से साठ से ज्यादा बच्चों की मौत, इससे पहले अगस्त 2013 में कोलकाता के बी.सी. रॉय चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक सौ बाईस बच्चों की जान चले जाना या फिर पिछले वर्ष बिहार में चमकी बुखार से हुई बच्चों की मौत यह बताने के लिए काफी है कि भारत ने 1992 में जिस अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, वह समझौता हमारे लिए कोई महत्त्व नहीं रखता है। हमारे बच्चे तो जन्म लेने के बाद से ही जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। अगर जन्म के बाद उनतीस दिन तक जीवित रह जाएं, तो उनके लिए आने वाले जीवन के पांच वर्ष जीवन-संघर्ष के होते हैं। जब हम बच्चों के जीवित रहने के अधिकारों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके विकास और सहभागिता का प्रश्न दूर की कौड़ी है।

यूनिसेफ की पिछले साल (2019) की रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग साढ़े आठ लाख बच्चों की मृत्यु हुई। भारत दुनिया में ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा बच्चों की मौतें होती है। इसका सबसे बड़ा कारण जरूरी संसाधनों की कमी है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था कई गंभीर मानकों पर असफल साबित हो रही है। यहां चिकित्सकों की प्रतिभा और अस्पतालों में मिलने वाली सेवाओं की हालत बदतर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चौवन फीसद स्वास्थ्य पेशेवरों यानी डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा सहायक और दाइयों के पास पर्याप्त योग्यता नहीं है। अध्ययन के मुताबिक कार्य का विभाजन और स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों की योग्यता, भारत के लिए बेहद गंभीर संकट होता जा रहा है। अमूमन यह तर्क दिया जाता है कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का कारण जनसंख्या का विशाल आकार है। लेकिन बच्चों की ज्यादा मौत के लिए जनसंख्या का तर्क निराधार है, क्योंकि हमसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश चीन में 2017 में पांच से चौदह वर्ष की आयु के करीब पैंसठ हजार और पांच वर्ष से कम आयु के एक लाख सत्तर लाख बच्चों की मौत हुई यानि हमसे इक्यासी फीसद कम।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने कोटा की घटना के बाद सरकार से कहा था कि 'अस्पताल में बच्चे मरते रहेंगे और आप वित्त विभाग की ओर देखते रहेंगें।' प्रश्न किसी एक राज्य भर का नहीं है। देश के सभी राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की लचर स्थिति के पीछे धन की कमी का हवाला दिया जाता है। दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत अपनी जीडीपी का महज डेढ़ फीसद ही स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करता है, जो दुनिया के सबसे कम खर्च करने वाले देशों में से एक है। अमेरिका स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का अठारह फीसद और ब्रिटेन करीब दस फीसद खर्च करता है।

भारत में हर साल सैकड़ों बच्चे अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। गोरखपुर, जोधपुर, कोटा, राजकोट सहित देश के कई राज्यों के अस्पतालों की हालत लगभग एक जैसी ही है, जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार हर अस्पताल में पीएचसीएस-एनबीएसयू और एसएनएससीयूए उपलब्ध होने जरूरी है। पीएचसीएस का अर्थ है कि जन्म के समय या प्रसव के लिए आई महिला के बच्चे का बिना किसी परेशानी के प्रसव करना, जबकि थोड़ी बहुत परेशानियों के लिए एनबीएसयू (नवजात स्थिरीकरण इकाई) जहां शिशु की हालत को स्थिर किया जा सकता है, परंतु हकीकत में ये सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध ही नहीं हैं। भारत में बच्चों की निरंतर होती मौतों का कारण सिर्फ सरकारी अस्पतालों की बदतर स्थिति नहीं है, बल्कि कई और भी कारण

हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 2018 में हर घंटे पांच साल से कम आयु के चौदह से अधिक बच्चों की मौत निमोनिया से हुई थी। वैश्विक स्तर पर इस बीमारी के कारण होने वाली बच्चों की मौतों के मामले में भारत शीर्ष पांच देशों में से एक है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुपोषण, उचित इलाज और देखरेख के अभाव में करीब आठ लाख नवजात शिशुओं की मौत हर साल हो जाती है। शिशु मृत्यु दर आकलन के लिए बाल मृत्यु दर अनुमान एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसतन हर दो मिनट में तीन नवजातों की मौत हो जाती है। इसका कारण पानी, स्वच्छता, उचित पोषाहार एवं बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पैदा होने के पहले महीने में बच्चों की मौत की सबसे बड़ी वजह थी- जन्म के वक्त होने वाली जटिलताएं। ये कोई महामारी नहीं है, बल्कि ऐसी वजह है जिसमें अगर मां और बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती, तो बच्चों की मौत नहीं होती।

'स्वस्थ जीवन' हर बच्चे का पहला अधिकार है। मानवाधिकारों को लेकर विश्व में तमाम मोर्चे पर अपनी हिस्सेदारी सिद्ध करता भारत यह क्यों भूल जाता है कि बुनियादी अधिकारों के संरक्षण की सबसे अधिक आवश्यकता तो उन बच्चों को है, जो अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा सकते। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और जीवन के लिए आम सहमति और सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है। यह हकीकत है कि बच्चे वोट बैंक का हिस्सा नहीं होते, इसलिए देश के नीति-निर्धारकों की दृष्टि में उनका कोई महत्त्व नहीं है। नफे-नुकसान का गणित करता समाज, बच्चों को लाभ के तराजू में तो कतई तोलता नजर नहीं आता।

भारत में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अक्सर चिंता तो जताई जाती है और उससे निपटने के उपायों के बारे में चर्चा भी की जाती है, लेकिन धरातल पर उपायों का क्रियान्वयन नहीं होता। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, जनता की दूसरी सबसे बड़ी मांग सेहत और स्वास्थ्य सेवाएं ही है, परंतु इन मांगों पर सरकारें कितना ध्यान देती हैं, यह जगजाहिर है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था भारत की सबसे बड़ी चुनौती है, फिर भी इसके लिए अपर्याप्त बजट का कारण यह है कि हमारे देश में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करतीं। इसका कारण हमारा सामाजिक ढांचा है, जहां जीवन से कहीं ज्यादा महत्त्व जाति-धर्म को दिया जाता है। जबकि विश्व के अनेक देश इस ओर बेहद संवेदनशील है। न्यूजीलैंड की सरकार ने 30 मई 2019 को दुनिया का पहला 'वेल बींग बजट' पेश किया। उसने अपने बजट में आर्थिक विकास को महत्त्व न देते हुए लोक कल्याण को प्राथमिकता दी। बच्चों के कल्याण के लिए एक अरब डॉलर से अधिक बजट निर्धारित किया गया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का कहना है कि 'जब बच्चे अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे।' सच भी यही है, पर हमारी नीतियों में, हमारी सोच में यह 'सच' नजर नहीं आता। आर्थिक विकास की हर परिभाषा तब तक अधूरी है, जब तक बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकारों का संरक्षण नहीं होगा।

बिछुड़ने की पीड़ा

सुरेशचंद्र रोहरा

दुनिया मेरे आगे

हमारी कॉलोनी में एक परिचित रहते थे। अचानक एक दिन सुना कि वे कॉलोनी छोड़ कर कहीं और जा रहे हैं। फिर एक दिन सुना कि वे वहां से भी किसी अन्य बेहतर कॉलोनी में चले गए हैं। दरअसल, पिछले कुछ समय से हमारी कॉलोनी के दसियों लोग धीरे-धीरे दूसरे अत्याधुनिक कॉलोनियों में जाकर अपनी रिहाइश बना रहे हैं। वहां शायद बड़े कहे जाने वाले लोग रहते हैं, अच्छी सुविधाएं हैं। ऐसे में मैं सोचता हूं कि लोगों का स्तर किस तरह ऊपर की ओर उठ रहा है या फिर तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है!

खैर, हमारे वे पड़ोसी मोहल्ले के सिरमौर थे। वे सीधे, सरल, हंसमुख और हर एक सामाजिक काम में आगे रहते हैं। ऐसे में जब वे चले गए तो मेरे दिमाग में आया कि अब उनकी जगह किस तरह भरी जाएगी। मुझे कॉलोनी से उनका चले जाना एक तरह के खालीपन से भर गया। हालांकि इसी तरह हमारे आसपास के कितने ही लोग, गाहे-बगाहे एक-एक कर चले जा रहे हैं। यह एक ऐसा मसला है जिसमें सब कुछ व्यक्तिगत होता है और यह संबंधित व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। हर आदमी को यह अधिकार है कि वह अपना अच्छा और बुरा अपनी नजर से देखे और परिवार के हित में निर्णय ले। इसमें भला कोई किसी को कैसे रोक सकता है!

दरअसल, करीब दो दशक पहले लगभग इसी तरह की त्रासदी मेरे सामने भी खड़ी हो गई थी। मेरे एक बेहद करीबी संबंधी ने एक दिन अचानक घोषणा कर दी कि मैं यहां नहीं रहूंगा... हम पत्नी और बच्चों के साथ अब रायपुर जा रहे हैं। यह सुनने के बाद परिवार में एक सन्नाटा-सा खिंच गया। उन्होंने महज औपचारिकता या झूठ के लिए ही सही, किसी से परामर्श लेने की तकलीफ भी नहीं की। घर के बुजुर्ग शून्य आंखों से उन्हें देखते रहे। उन संबंधी की ससुराल रायपुर में है। इसलिए हम सभी समझ रहे थे कि वहां उनके ससुराल के लोगों के यहां उनका आश्रय रहेगा। इस बीच हम उम्मीद में लगे रहे, लेकिन कुछ समय बाद सचमुच मेरे वे संबंधी हमारे परिवार के सभी लोगों को पीछे छोड़ कर रायपुर चले गए।

उस प्रसंग को याद कर आज भी आंखें भर आती हैं। हृदय में एक हूक-सी उठती है। लेकिन सच से कितना मुंह चुराया जा सकता है। हो सकता है कि यह उनकी इच्छा और जरूरत रही हो, लेकिन उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि मैं क्यों जा रहा हूं... और हमने भी नहीं पूछा कि क्यों जा रहे हो या मत जाओ! बहुत-सी बातें हम निःशब्द भी कह जाते हैं। संबंधों की सघनता हमें मौन कर देती है। मगर हम सब कुछ समझते जानते हैं। जिंदगी की जद्दोजहद में कुछ फैसले वर्तमान में दुखद जान पड़ते हैं, जो कई बार आगे चल कर सुखद स्वरूप में हमारे सामने आते हैं।

ऐसे ही एक अन्य पितातुल्य संबंधी का परिवार एक दिन दूसरे शहर कटनी प्रस्थान कर गया। एक अन्य संबंधी रायपुर जा बसे। ये घटनाएं मनोमस्तिष्क में ऐसी छाप छोड़ती हैं, जिन्हें आप जिंदगी भर नहीं भुला सकते। एक संयुक्त परिवार एक मुहल्ले में सांस लेने वाले आगे चल कर कैसे बिछड़ जाते हैं, यह कालचक्र निर्धारित करता चलता है। अपनी जन्मभूमि, अपना मोहल्ला, जहां आप खेले-कूदे, बड़े हुए, उसे छोड़ कर चले जाना शायद एक दर्द का सैलाब दे जाता होगा। कोई भी आदमी क्यों अपना कुनबा, अपनी जमीन छोड़ कर कहीं और जाता है! मुमकिन है कि कुछ मजबूरियां रहती होंगी। आने वाले समय की खुशियों के लिए यह दर्द तो सहना ही पड़ता है।

मगर इन दिनों जाने कैसी हवा बह रही है! कॉलोनी के कितने ही लोग जो कई पीढ़ियों से रह रहे थे... भाई बंधुओं, चिर परिचितों को छोड़ कर दूसरे शहर, दूसरी कॉलोनियों में चले जा रहे हैं। ठीक है कि परिवार बढ़ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बड़े मकान और ज्यादा सुविधाएं चाहिए, मगर लोग यह कैसे कर पाते हैं, यह मैं कभी समझ नहीं सका। अपनी जड़ों को छोड़ना निस्संदेह उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता होगा और अगर मन में अपनेपन की संवेदना बची होगी तो याद आने पर उनके आंसू भी निःसृत होते होंगे, जिन्हें हम शायद नहीं देख पाते हैं।

बहरहाल, हमारी कॉलोनी के वे पड़ोसी शहर में ही दूसरी कॉलोनी के एक मकान में जाकर बस गए हैं। अब मोहल्ले के लोग उनसे अपना मकान बेचने और खरीदने की मोल-तोल में लगे हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि कितने में बेचोगे, तो वे अपना मूल्य बता देते हैं। मगर एक दिन वे फट पड़े। बोले- 'मैं चला गया, लेकिन क्या एक भी आदमी ने यह नहीं कहा कि मैं क्यों चला गया या क्यों जा रहा हूं... क्या दिक्कत है? कैसे लोग हैं?' उनके स्वर में दर्द था। कह रहे थे- 'आप लोगों की बात तो छोड़ो, भाई तक ने नहीं पूछा कि मैंने यह निर्णय क्यों लिया? ठीक है, सब अपनी दुनिया में रहो।' उनके स्वर का दर्द कोई महसूस नहीं कर रहा। यही हमारी त्रासदी है।

चौपाल

किसका गुनाह

भाजपा जब से सत्ता में आई है, पुलिसिया जांच के तरीके ही बदल गए लगते हैं। पहले तो पीड़ित की सुनने में हजार अड़चनें, किन्हीं हालात में सुनना पड़ ही जाए तो उस पर कार्रवाई नहीं। करने का जन-दबाव बने तो फिर पीड़ित को ही गुनहगार साबित करने की कसरत! जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राएं नकाबपोश गुंडों के हाथों पीटती रही। पुलिस नहीं आई। पता नहीं यह प्रशासन की नहीं तो किसकी शह पर हो रहा था! सोशल मीडिया में पीटने वालों की तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहे। हाथ में डंडे, रॉड, बैट लिए नकाब लगाए भक्तिभाव में डूबे मुस्टंडे पुलिस के सामने से निकल कर जाते रहे। क्या पुलिस वहां उनसे आशीर्वाद लेती और देती रही? सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और तस्वीरों से बहुत हल्ला मचा तो बाद में पुलिस कुछ और ही कहानी ले आई और जो बुरी तरह पीटे गए और घायल हुए, उसी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर दी।

यह सब किसके कहने पर हुआ? यह सरकार पीड़ित की न तो सुनती है और न ही उसके साथ न्याय करती है। पिछले पांच साल सात महीनों से हम देख रहे हैं कि यह हमेशा ताकतवर के पक्ष में खड़ी रहती है। लोग जिस न्यायापालिका से उम्मीद करते हैं, आजकल उसकी हालत भी कुछ वैसी है। यह बार-बार हमने महिलाओं के बलात्कार के मामलों में देखा है। मसलन, राम रहीम से लेकर आसाराम, चिन्मयानंद से लेकर बाहुबली कुलदीप सेंगर और आए दिन न जाने कितने जुड़ते जाते और भी बड़े-बड़े नाम। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में चंद्रशेखर 'आजाद' की जमानत पर सुनवाई के दौरान माननीया जज की टिप्पणियों ने जो कुछ उम्मीद जगाई थी, वह अगले ही दिन काफूर हो गई। उन्होंने पहले पुलिस को फटकार लगाई कि प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है; जामा मस्जिद में प्रदर्शन से कहां दिक्कत है? क्या वह पाकिस्तान में है? अगर पाकिस्तान में हो, तब भी प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वह भी अविभाजित भारत का अंग है। लेकिन अगले ही दिन जमानत देने पर शर्त लगा दी कि चंद्रशेखर को चार हफ्ते दिल्ली से बाहर रहना होगा और मुजफ्फरनगर थाने में हाजिरी देना होगा।

एक दिन में ऐसा क्या बदला कि भाषा बदल गई! सशर्त जमानत के साथ पीएम की आलोचना से मनाही और संस्थाओं के सम्मान की हिदायत भी चंद्रशेखर को दी गई। धारा 144 अनिश्चितकालीन नहीं हो सकती और इंटरनेट को अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ने वाला शीर्ष अदालत का आया एक निर्णय भी सुकून भरा था, जिसमें कहा गया कि अगर इन पर पाबंदी जरूरी हो तो भी इसकी समीक्षा की जाए। इस निर्णय से कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन इनका असर कहीं दिखाई दिया है।

● *रामचंद्र शर्मा, टोंक रोड, जयपुर*

तार-तार भरोसा

वर्दी पहने जवान फिर वह सेना का हो या पुलिस का हो, उसे देखकर पूरा देश चैन की नींद सोता है ओर निश्चिंत रहता है कि देश सुरक्षित है। लेकिन अगर देश की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी ही आतंकवादियों को पनाह देने लगे तो देश किस तरफ जाएगा, इसकी कल्पना करना भी बेहद खतरनाक है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अपने ही एक डीएसपी देविंदर सिंह को आतंकवादियों के साथ एक संदिग्ध कार में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। उनमें एक आतंकवादी सैयद नवीद मुश्ताक, दूसरा आसिफ राथर तथा तीसरा इरफान अहमद मीर था। नावेद पुलिस से भागा बीस लाख रुपए का इनामी आतंकवादी था, जो हिज्बुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था। जबकि इरफान मीर पांच बार पाकिस्तान जा चुका है।

जाहिर है, इस तरह के आतंकवादियों के साथ अगर एक डीएसपी गाड़ी में अवैध हथियार लेकर जा रहा था तो वह शांति स्थापना की यात्रा तो नहीं हो सकती थी! श्रीनगर में डीएसपी के आवास की तलाशी के दौरान भी अवैध हथियार बरामद हुए। इस प्रकार की घटनाओं को देख कर समझ में आता है कि क्यों पाकिस्तान जैसे दिवालिया देश भारत जैसे शक्तिशाली राष्ट्र से लड़ने और परमाणु हमलों की चेतावनी देते रहते है। यह बेहद गंभीर मामला है। इस तरह के देशद्रोहियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जो भविष्य के लिए एक मिसाल बने।

● *सुनील कुमार सिंह, मेरठ, उत्तर प्रदेश*

अट्ठाईस का महीना

मोबाइल कंपनी वालों की मनमानी देखते ही बनती है। लाइफ टाइम इनकमिंग का दावा कर-के अब बिना रिचार्ज किए इनकमिंग बंद कर दिया जाता है। 4-जी के पैसा लेकर 2-जी की सेवा देता है। और तो और, एक महीना के रिचार्ज पर 28 दिन की ही सेवा देता है। सवाल है कि क्या अब महीना 28 दिनों के हो गया है? ट्राई इस पर मौन साधे हुए है। शायद 'अच्छे दिन' होने पर कुछ भी मुमकिन है। कितना बदल गया भारत? सब कुछ लोग सहन कर ले रहे हैं और उफ्फ तक नहीं करते। क्या सचमुच देश सो गया है या अंधभक्ति की भांग पिला दी गई है। निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी, मंदी, मॉब लीचिंग, नोटबंदी, जीएसटी, जैसे अनेक मुद्दों ने जनता को रुलाया, लेकिन लोग हंस-हंस के झेले।

यह अलग बात है कि पांच राज्यों में सरकार की विदाई हुई ,लेकिन अंधभक्ति कमने के बजाय बढ़ती गई। इसका हाल का उदाहरण दीपिका पादुकोण की फिल्म 'छपाक' ने कुछ लोगों को फिल्म समीक्षक बना डाला और एक पर एक फिल्मों के ज्ञान मुफ्त में परोसे गए। मोबाइल कंपनी वाले अगर बारह दिनों का महीना बना दे तो उदार चित्त वाले भारतीयों को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ईश्वर ने इसे भी सहन करने की हमें अपार शक्ति दी है। फिर ट्राई वाले अपनी आंख क्यों दिखाए? कोई न्यायालय क्यों ले संज्ञान ले? क्यों कोई उपभोक्ता फोरम में जाए? जब चमन लूटने और बर्बाद करने के लिए खुद माली ही तैयार है, तब चमन को कैसे बचाया जाए?

● *प्रसिद्ध यादव बाबूचक, पटना*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

विचित्र तोहमत

अपनी पार्टी की सरकार हो और उसमें अपने पास अहम ओहदा हो फिर कैसा असंतोष। लेकिन अनिल विज तो जैसे चिर असंतुष्ट ठहरे। हरियाणा के गृहमंत्री हैं। तो भी डरे हैं कि उनके टेलीफोन कॉल टैप किए जा रहे हैं। ऐसी टैपिंग तो गृहमंत्रालय ही कराता है। फिर विज को किससे डर है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के बीच कभी सद्भावपूर्ण और भरोसेमंद रिश्ता बना ही नहीं। पहली बार विधानसभा में पहुंचे और आरएसएस के प्रचारक के नाते भाजपा में सेवा देने डेपुटेशन पर आए खट्टर को जब पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था तो अनिल विज अपमान का घूंट पीकर रह गए थे। विधानसभा के तजुर्बे के हिसाब से तो वही भाजपा में सबसे वरिष्ठ थे। लेकिन भाग्योदय हो गया मनोहर लाल खट्टर का। पिछला चुनाव तो खैर भाजपा ने खट्टर को बाकायदा मुख्यमंत्री घोषित करके ही लड़ा था। सो, विज तनिक भी चूं-चपड़ नहीं कर पाए। हां, किस्मत उनकी भी थोड़ी चमकी और उन्हें छोड़ भाजपा सरकार के सारे मंत्री विधानसभा चुनाव हार गए। नतीजतन विज को इस बार अहम गृहमंत्रालय मिल गया। पर इसमें भी मुख्यमंत्री ने सेंध मार दी। सीआइडी इस विभाग से हटा लिया। जो अब सामान्य प्रशासन के अधीन होने के कारण मुख्यमंत्री के पास है। यानी विज ने नाम बेशक न लिया हो पर टेलीफोन टैप कराने का आरोप परोक्ष रूप से तो उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री पर लगा दिया।

बेबाक बोल

'लगे रहो केजरीवाल' गाने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक झूम रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि जिस फिल्म से यह बोल लिया गया है उसके किरदार मुन्ना भाई की तरह आपके प्रमाणपत्र भी जाली न हों। अब इस 'बाजीगरी' पर तो सवाल उठ ही सकते हैं कि बिजली, पानी और महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर काम चुनावों के चंद महीने पहले क्यों पूरे पांच साल क्यों नहीं हुए। पहले जो काम केंद्र और उपराज्यपाल नहीं करने दे रहे थे वही अब आपकी इच्छाशक्ति से हो गए। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में मतदाताओं का गरम मिजाज देख दिल्ली में पक्ष और विपक्षी दल नरम पड़ चुके हैं। पूर्ण राज्य और अन्य केंद्रीय मुद्दों को छोड़ बिजली-पानी और शिक्षा पर बात हो रही है। एक-दूसरे के खिलाफ आक्रामक खेल को छोड़ अब दोस्ताना मैच सा दिख रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दलों के बदले बोल पर बेबाक बोल।

दिल्लीनामा-2020

मुकेश भारद्वाज

'चमन में इख्तिलात-ए-रंग-ओ-बू से बात बनती है
हम ही हम हैं तो क्या हम हैं तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो'

केंद्र में सत्ताधारी भाजपा और हाशिए पर धकेली गई कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल और इन दोनों के खिलाफ विकल्प में उठी आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर है। 2014 के पहले से ही दिल्ली के मैदान नए सामाजिक और राजनीतिक कथ्य का निर्माण कर रहे हैं। जो दिल्ली कभी अण्णा आंदोलन, राष्ट्रीय गान, तिरंगा झंडा और भ्रष्टाचार विरोधी नारों के साथ पूरे देश में गूंज रही थी, आज वह पूरी दुनिया में शाहीन बाग के लिए जानी जा रही है। तिरंगा और राष्ट्रीय गान के साथ एक नई चीज जुड़ी है भारत का संविधान। पिछले साल पंद्रह दिसंबर से दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने पूरा परिदृश्य ही बदल दिया है। कुछ महीनों पहले जहां तीनों दल एक-दूसरे पर आक्रामक थे, जनता की चीख गूंजते ही गरम दल से नरम दल में तब्दील हो गए हैं। दिल्ली के चुनाव में जब केंद्रीय मुद्दों के हावी होने की उम्मीद थी तो अब निकाय चुनाव जैसे बिजली-पानी और सड़क के मुद्दे ही हावी हैं। पिछले पांच सालों से चल रही आक्रामक राजनीतिक पारी अचानक दोस्ताना मैच में तब्दील दिख रही है।

पूर्ण राज्य से लेकर मुफ्त बिजली और पानी तक। केंद्र के साथ रिश्ते बदलते ही दिल्ली के मैदान के खिलाड़ियों का मुद्दा भी पूरी तरह बदल जाता है। पूर्ण राज्य एक ऐसा मुद्दा है जिसे तीनों दलों ने बहुत जोर-शोर से उठाया। इनमें से दो दलों को मौका भी मिला इस वादे पर अमल करने का क्योंकि वे दोनों केंद्र की सत्ता में शक्तिशाली हुए। अब यह विडंबना ही है कि कांग्रेस ने पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया और केंद्र की सत्ता में आते ही इस पर बात करने से परहेज किया। भाजपा ने भी पूर्ण राज्य पर आंदोलनकारी रवैया अपनाया तो केंद्र में कमान मिलते ही इस पर आधे-अधूरे मन से बात करने लगी। अब रही बात आम आदमी पार्टी की जिसका केंद्र की सत्ता में अस्तित्व नहीं है। पिछली दो बार आम आदमी पार्टी ने पूर्ण राज्य के मुद्दे पर बहुत शोर मचाया। दिल्ली मेट्रो से लेकर ऑटो और कोने-कोने तक इसके विज्ञापनों पर खर्च किया। यूं लगा कि दिल्ली की सारी समस्याओं की जड़ उसका पूर्ण राज्य नहीं होना है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल भी पूर्ण राज्य पर बात करने से परहेज कर रहे हैं। केंद्र ने जो नहीं करने दिया वह नहीं, बल्कि जो किया, कर सकते हैं और आगे करेंगे उसी का प्रचार कर रहे।

कांग्रेस और भाजपा के बाद केजरीवाल ने भी पूर्ण राज्य पर चुप्पी क्यों साधी? सबसे पहले तो एक चीज उन्हें समझ आ गई कि पूर्ण राज्य के दर्जे का मतलब है केंद्र सरकार से सीधी टकराहट। अपनी सत्ता के शुरुआती दिनों में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से पूरी तरह टकराव मोल कर जनता से सहानुभूति हासिल करने की रणनीति रखी। 'काम नहीं करने देते हैं जी, हमारे पास कोई शक्ति ही नहीं है' उनका प्रिय संवाद था। लेकिन विधानसभा चुनाव के छह महीने पहले वो सारे काम अचानक से होने लगे जो अब तक केंद्र सरकार उन्हें नहीं करने देती थी। खास कर प्रधानमंत्री को लेकर

उनकी भाषा एकदम से बदल गई। अब अगर भाजपा ने दिल्ली के पानी की गुणवत्ता पर हमला बोला तो केजरीवाल ने बहुत नरम शब्दों में कह दिया कि हम मिल कर पानी की गुणवत्ता ठीक करेंगे और इसका श्रेय प्रधानमंत्री को दे देंगे।

तो कल तक पंगा करने वाले अब केंद्र के साथ सब कुछ चंगा वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं? इसकी एक सबसे बड़ी और बुनियादी वजह है वह वोट बैंक जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच समान है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से लेकर राष्ट्रवाद तक के मुद्दे पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के सुर एक थे तो मतदाता लक्ष्य भी एक है। आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से मतदाताओं के इस वर्ग को खोना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदायों का वर्ग है जो अभी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भाजपा से खासा नाराज है। केजरीवाल इस वर्ग को भी अपने साथ रखना चाहते हैं।

फिलहाल अरविंद केजरीवाल भाजपा विरोधी और कांग्रेस विरोधी दोनों वोटों पर नजर रखे हुए हैं। इसलिए उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर चुप्पी सी साध ली है। आंदोलन से जन्मी और विकल्प की पहचान वाली पार्टी एक ऐतिहासिक आंदोलन पर चुप है। नागरिकता कानून पर कोई पक्ष लेने के बजाए आम आदमी पार्टी के नेता किंतु-परंतु की भाषा बोल रहे हैं। इस कानून के खिलाफ रणनीति को लेकर कांग्रेस की अगुआई में हुई विपक्षी दलों की बैठक से आम आदमी पार्टी ने खुद को दूर ही रखा। बैठक में नहीं शामिल होने पर संजय सिंह ने हास्यास्पद तर्क दिया कि उन्हें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। अब यह तो साफ दिख रहा है कि वे जाना चाहते तो इस बैठक के बारे में पता भी होता और इसके लिए कुछ वक्त तो निकाल ही लिया जाता। लेकिन केजरीवाल किसी भी मंच पर कांग्रेस के हाथ मजबूत करते हुए नहीं दिखना चाहते हैं। साथ ही अल्पसंख्यक वोटों को भी पाना चाहते हैं। इसलिए उनकी नीति है कि पूर्ण राज्य और नागरिकता कानून जैसे मुद्दों के बजाए बिजली-पानी और शिक्षा को ही केंद्र में लाकर बहस का विषय बनाया जाए।

सत्ता पक्ष ने खुद को स्थानीय और जन से जुड़े मुद्दों पर जोड़ लिया तो उसका असर विपक्ष की रणनीति पर भी पड़ा। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने केंद्र की सत्ता वाली भाजपा को एक बड़ी टक्कर सबसिडी के मुद्दे पर दी है। जहां केंद्र सरकार सबसिडी को कम से कम करने की वकालत कर रही है वहीं केजरीवाल ने बिजली-पानी के शून्य बिल का शोर मचा दिया। मेट्रो और डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के वादे ने पूरे देश का ध्यान खींचा, जिसमें सरकारी बसों में यह वादा पूरा भी किया गया।

विभिन्न मंचों पर जब भाजपा और आम आदमी पार्टी के मतदाता एक हैं तो वह सबसिडी का मुद्दा है जो भाजपा पर भारी पड़ रहा है। जनता को रियायत देने का मसला केंद्र में लाने का असर यह है कि लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा तो अलग है स्थानीय अलग। महिलाओं की मेट्रो और डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के मुद्दे का पहले तो भाजपा के स्थानीय नेताओं ने जमकर मजाक उड़ाया और बाद में उसी को लेकर संवेदनशील हो गए। विपक्षी दल कहने लगे कि सिर्फ महिलाओं को क्यों मर्दों ने क्या कसूर किया है, बजुर्गों और छात्रों को क्यों नहीं? रियायती सेवा पर आम आदमी पार्टी इक्कीस तो साबित हो चुकी है क्योंकि अब भाजपा और कांग्रेस उसी के मुद्दे पर उन्नीस-बीस कर रहे हैं। पहले केजरीवाल की रियायती योजना का मजाक उड़ाने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अब आंसू बहाते हुए 'गरीबी' का रोना रोते हुए एक समय वह था जब मैं भी गरीब था जैसी बात कहने के लिए मजबूर हो गए हैं।

हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड का सबक दिल्ली के दलों पर साफ दिख रहा है। स्थानीय मुद्दों के हावी होने के बाद कल तक एक-दूसरे के जानी दुश्मन अब दोस्ताना मैच खेलते दिख रहे हैं। जब जनता गरम होती है तो राजनीतिक दलों को नरम होना ही पड़ता है। अब देखना है गरम जनता का दिल किसके लिए नरम रहेगा।

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं।
हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

सद्भाव और शांति हो

दशकों से प्रज्वलित एक विचारधारा का अखंड दीप जेएनयू से यदि आज मध्यम हो रहा है और दूसरी ज्योति की लौ वह स्थान ग्रहण कर रही है तो तकाजा यही है कि हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ के बिना सूखते वैचारिक वृक्ष के जड़ में सद्भाव और शांति का उर्वर रसायन पोषित किया जाए। तथाकथित 'जनाब' को भी रुख्सत कर बिगड़े माहौल पर काबू पाने का एक सही कदम हो सकता है।

-डॉक्टर अशोक कुमार, पटना ।

युवाओं पर भरोसा मजबूत हुआ

आपने जनाब को बेनकाब करके यह दिखा दिया है कि संवेदनहीनता, गैरजिम्मेदारी और सत्ता के हाथों की कठपुतली बन जाने की हदें कहां तक जा सकती हैं। अच्छा हुआ कि देश को बदलने की सारी जिम्मेदारी युवाओं पर आ गई। युवाशक्ति पर भरोसा मजबूत हुआ जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी होता है।

-शोभना विज

राजनीति से दूर रहें शिक्षण संस्थान

किसी भी देश के विकास में शिक्षण संस्थानों का अहम योगदान रहता है। शिक्षण संस्थानों को राजनीति से दूर रखना चाहिए लेकिन सुशिक्षित व सभ्य समाज के लिए विद्यार्थियों का जागरूक होना भी जरूरी है। शिक्षण संस्थानों में गुंडागर्दी की इजाजत भी नहीं दी जानी चाहिए। जेएनयू में नकाबपोशों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया। आखिर ऐसी गुंडागर्दी की इजाजत किसने दी? क्या यह जायज है? अगर नहीं तो उन नकाबपोशों की पहचान कर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

-जफर अहमद, रामपुर डेहरू, मधेपुरा

आम नागरिक की भूमिका

देश में लोकतंत्र की नींव पड़ने के बाद से जेएनयू ने हमेशा सत्ताधारी दलों को मनमाने ढंग से काम करने पर लगाम लगाने का प्रयास किया है, जो सफल भी रहा है। जेएनयू में पढ़ने वाले विद्यार्थी ग्रामीण कमजोर तबके से निकल कर आगे आ रहे हैं, जिनकी वार्षिक आय बहुत अच्छी नहीं होती है कि वे महंगे विश्वविद्यालय और विदेशों में जाकर पढ़ाई कर सकें। ऐसे में उन विद्यार्थियों के लिए जेएनयू ही बचता है। इस विश्वविख्यात संस्थान में नामांकन कठिन स्पर्धा से गुजरने के बाद ही होता है। ऐसे में अगर विश्वविद्यालय के परिसर में कोई बाहरी नाकाबपोश व्यक्ति आकर मारपीट व तोड़फोड़ कर रहा है और पुलिस बाहर कुलपति की अनुमति का इंतजार कर रही है तो साफ मालूम पड़ता है कि अब हमारी पुलिस व्यवस्था भी पंगु हो चुकी है। जबकि पुलिस का पहला काम आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। अगर इस तरह की हिंसा विभिन्न विश्वविद्यालयों में शुरू हो जाए और पुलिस अनुमति के इंतजार में बाहर खड़ी होकर तमाशा देखती रहे तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिम है। तो अब वह दिन दूर नहीं जब अनेकों विश्वविद्यालय को इस तरह के संकट से होकर गुजरना पड़ेगा? ऐसे में कुछ लोगों द्वारा जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय को बंद कराने की मांग उठाना लोकतंत्र पर संकट के बादल मंडराने जैसा ही है। जिसे बचाने के लिए छात्र समेत अभिभावक व आम नागरिक को भी आगे आना होगा। पूरे देश के छात्र आंदोलनरत हैं तो हमें उनकी बात सुननी ही होगी।

- नितेश कुमार सिन्हा, मोतिहारी, बिहार।

'कुल' के ही खिलाफ

'कुलपति' शब्द से परिलक्षित हो रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कुल मतलब परिवार का हर तरह से रक्षा, स्नेह, प्यार-दुलार और भरण-पोषण करता होगा, वह अपने परिवार रूपी विश्वविद्यालय के हर छात्र-छात्रा व अपने मातहत हर स्टाफ व प्राध्यापकों, प्रोफेसरों की हर कठिनाई में मददगार होगा। लेकिन जेएनयू में घटित उस खौफनाक मंजर के समय उनकी भूमिका का सूक्ष्मता से आकलन करिए, तो पता चलता है, वे अपने कुल के रक्षक नहीं, अपितु कुलहंता की भूमिका में थे। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सरकार जेएनयू में संवाद चाहती थी, जिसे कुलपति ने होने नहीं दिया। इन पर लगे आरोप पहली नजर में सही साबित हो रहे हैं। इन्हें अपने पद की भूमिका ठीक से नहीं निभाने की सजा मिलनी ही चाहिए।

-निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद।

राजपाट

मंझधार में नैया

बसपा सुप्रीमो मायावती हताशा से उबर नहीं पा रही हैं। बुधवार को अपना जन्मदिन लखनऊ में मनाया। इससे पहले कई बार लखनऊ तो ज्यादातर देश की राजधानी में मनता था देश के सबसे बड़े सूबे की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकीं दलित नेता का जन्मदिन। इस बार गौर करने वाला पहलू यह था कि समर्थकों ने उन्हें फिर सूबे का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दोहराया। जबकि अतीत में उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने के दावे होते थे। लंबे अरसे बाद मायावती को ऐसे दौर से गुजरना पड़ रहा है जब वे किसी भी सदन की सदस्य नहीं हैं। लोकसभा में 2014 में तो उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया था। इस बार गनीमत रही कि समाजवादी पार्टी से तालमेल कर चुनाव लड़ा तो दस सीटें मिल गईं। पर राज्यसभा में तो संख्या लगातार घट रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी अब गिनती के सदस्य हैं। पर हार से सबक लेकर कोई प्रभावी रणनीति अपनाने को तैयार नहीं। कभी बहुजन तो कभी सर्वजन के सहारे सत्ता के शिखर पर पहुंचने में सफल रहीं। पर मोदी और भाजपा के उभार ने उन्हें महज दलित वोटबैंक तक ही सीमित कर दिया। लोकसभा में पिछले सात महीने में पांच बार नेता बदल चुकी हैं। तय नहीं कर पा रहीं कि किन वर्गों को जोड़कर आगे बढ़ें। पहले दानिश अली को नेता बनाया। फिर उनकी जगह श्याम सिंह यादव को ले आईं। फिर यादव को हटा वापस दानिश अली को पद लौटाया। अब फिर दानिश अली की छुट्टी कर रितेश पांडेय को नेता बनाया है। दलील दी है कि एक मुसलमान मुनकाद अली यूपी बसपा के अध्यक्ष हैं तो दूसरा मुसलमान क्यों अहम पद रखे। पर इस दलील से तो रितेश पांडेय भी सही चयन नहीं ठहरते क्योंकि एक ब्राह्मण सतीश मिश्र राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं तो दूसरे सदन में भी ब्राह्मण क्यों? मायावती एक तरफ से भाजपा और कांग्रेस से डरी हैं कि वे उनके दलित वोटों में सेंध मारने के फेर में हैं तो दूसरी तरफ भीम आर्मी जैसे नए उभर रहे दलित संगठन उनकी नींद उड़ा रहे हैं। दलितों में उभर रहे युवा वर्ग को अब मायावती के रहन-सहन की राजसी शैली, जमीनी संघर्ष से परहेज, दलितों के हितों के बजाए अपनी सियासी महत्वाकांक्षा के लिए मौकापरस्ती और धन-दौलत की भूख कतई नहीं भा रही। किससे छिपा है कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी शुल्क वसूलती हैं। टिकट बेचती हैं और किसी भी सवाल पर स्पष्ट फैसला करने से कतराती हैं। मुसलमानों के बिना जीत नहीं पातीं पर उन पर भरोसा भी करने को तैयार नहीं। याद कीजिए इस पार्टी के संस्थापक कांशीराम को। जिन्होंने मेहनत और तिकड़म से बसपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाया था। अब हाल यह है कि बाकी राज्यों को तो छोड़ ही दें, यूपी तक में पार्टी अपने पांव ठीक से नहीं जमा पा रही।

तजुर्बे की कद्र

बंसीधर भगत उत्तराखंड में भाजपा के नए सूबेदार बने हैं। अभी तक अजय भट्ट यह जिम्मा संभाले थे। भट्ट की तरह ही भगत भी ब्राह्मण हैं। उत्तराखंड में भाजपा शुरू से ही राजपूत-ब्राह्मण समन्वय की राजनीति करती रही है। मुख्यमंत्री या विधायक दल का नेता राजपूत हो तो पार्टी की कमान ब्राह्मण के हाथ देने की नीति। चूंकि मौजूदा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राजपूत हैं सो पार्टी की कमान तो किसी ब्राह्मण को ही मिलनी थी। कांग्रेस ने अलबत्ता दलित तबके को भी कई बार कमान सौंपी। माना जा रहा है कि भगत को सूबेदारी दिलाने में केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की अहम भूमिका रही है। जिनका मुख्यमंत्री से छत्तीस का आंकड़ा माना जाता है। दरअसल निशंक खुद भी मुख्यमंत्री रहे हैं और इस कुर्सी पर उनकी निगाह आज भी टिकी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोशिश नैनीताल की लालकुंआ सीट के विधायक नवीन दुमका को पार्टी अध्यक्ष बनवाने की थी। पर वे पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। तुलना करें तो भगत काफी अनुभवी हैं। नैनीताल से वे उत्तराखंड के गठन से पहले ही तीन बार विधायक रहे। इस समय छह बार के विधायक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। समाज के सरोकारों से गहराई तक जुड़े हैं। तभी तो कालाडूंगी की रामलीला में अभी भी दशरथ का अभिनय करते हैं। सियासी सफर अपने गांव के प्रधान के नाते शुरू किया था। भाजपा का एक खेमा सांसद अजय भट्ट को ही दूसरी बार पार्टी की कमान सौंपना चाहता था। पर संघ परिवार के हस्तक्षेप ने भगत को अहमियत दिलाई। उनका चयन आम राय से हुआ है। पर भगत के लिए पार्टी को आगे बढ़ाने से भी पहले अपने मुख्यमंत्री के साथ सही तालमेल बिठाने की चुनौती होगी।

आस-निराश

अशोक गहलोत ज्यादा ही निष्ठुरता दिखा रहे हैं। मलाईदार पदों को बांटने को तैयार ही नहीं। जबकि सरकार बने सवा साल पूरा होने को आ गया। अपनी पार्टी का राज हो तो भला पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सत्ता सुख भोगने के अरमान क्यों न संजोएं। ये अरमान तो वे भी संजोए बैठे हैं जो कम से कम विधानसभा के सदस्य तो हैं। मंत्री पद नहीं मिला तो किसी निगम की चेयरमैनी ही सही। पहले भरोसा दिया कि लोकसभा चुनाव निपटने के बाद करेंगे नियुक्तियां। चुनाव निपटे तो फिर चुप्पी साध गए। कभी बहाना बनाया कि आलाकमान से चर्चा नहीं हो पाई है। अब पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव आड़े आ गए। लाल बत्ती तो तब बंटे जब मंत्रिमंडल का विस्तार निपट जाए। निर्दलीय और बसपा से पार्टी में समाहित हुए विधायकों की बेचैनी भी तो बढ़ी है। उन्हें सरकार बनवाने और चलवाने का पुरस्कार चाहिए। ऐसे में गहलोत के लिए भी तो फैसला आसान नहीं। मंत्री तो 29 से ज्यादा हो नहीं सकते। मजबूरी में इन तेरह विधायकों को ही लालबत्ती वाले ओहदे देने पड़ गए तो क्या करेंगे? अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को तो सब्र ही रखना पड़ेगा। निगम, बोर्ड और आयोग की कुर्सियां बांटने से पहले तो जिला स्तर की समितियों में भी खपा सकते हैं काफी लोगों को। चर्चा तो यही है कि इन समितियों में मनोनीत किए जाने वालों की सूची तो तैयार है। रही बात लालबत्ती बांटने की तो उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की सिफारिशों को भी पूरी तरह नजर अंदाज नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा बेचैनी तो उन वरिष्ठ विधायकों को है, जो पहले की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

आधार, पैन कार्ड नागरिकता के प्रमाण नहीं : दिलीप घोष

हावड़ा, 17 जनवरी (भाषा)।

पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने शुक्रवार को कहा कि आधार और पैन कार्ड नागरिकता के प्रमाण नहीं हैं। उन्होंने शरणार्थियों से आग्रह किया कि वे संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत अपनी नागरिकता प्राप्त करें।

घोष यहां सीएए के समर्थन में आयोजित एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं के 'जाल' में नहीं आएं जो कह रहे हैं कि दशकों से पश्चिम बंगाल में रह रहे उन शरणार्थियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है जिनके पास आधार और पैन कार्ड है।

घोष ने कहा, 'यह गुमराह करने वाली बात है क्योंकि शरणार्थियों को नए सिरे से नागरिकता कानून के जरिए नागरिकता लेनी होती है। यदि आप अपना विवरण जमा नहीं करते हैं, तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे।' अपने भाषण में उन्होंने देश भर में सीएए के खिलाफ हो रही रैलियों पर भी निशाना साधा और कहा 'जब हिंदुओं को पड़ोसी देशों से भारत भागना पड़ा तो बुद्धिजीवी कभी सड़कों पर नहीं उतरे।' प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सीएए शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है न कि नागरिकों से इसे छीनने के लिए।

उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नागरिकता के लिए आवेदन करने की खातिर तीन से चार महीने का समय देंगे।

आप सभी को नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहिए। आपको कुछ भी साबित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है, बस अपने माता-पिता के नाम के साथ फॉर्म भरें और आपको नागरिकता मिल जाएगी।

दिल्ली पुलिस आयुक्त को मिला किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार

नई दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा)।

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान किया है। सूत्रों ने बताया कि रासुका कानून ऐसे व्यक्ति को एहतियातन महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है, जिससे प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा महसूस हो।

अधिसूचना के मुताबिक उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) का इस्तेमाल करते हुए 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया। यह अधिसूचना राज्यपाल की मंजूरी के बाद 10 जनवरी को जारी की गई थी। यह फैसला ऐसे समय आया है जब राष्ट्रीय राजधानी में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं।

दिल्ली भाजपा : अहम सीटों पर फैसला फंसा

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

- 13 सीटों के लिए बाद में होगा फैसला
- कई नेताओं की सीट बदली, विरोधियों को मिल सकता वाकओवर

भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री के चेहरों वाली अहम सीटों पर केंद्रीय नेतत्व के फैसले का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। पार्टी ने 57 सीटों के ऐलान के साथ इन अहम सीटों में पेच फंसा दिया है। अब 13 सीटों के लिए पार्टी बाद में आखिरी फैसला लेगी। हालांकि कई नेताओं की सीट में फेरबदल कर केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय नेताओं के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी है।

13 सीटों में से सबसे अहम सीट नई दिल्ली विधानसभा है। इस सीट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं। इस सीट पर पार्टी ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। अब तक तर्क दिया जा रहा था कि इस सीट से लड़ने के लिए कई चेहरे हैं हालांकि पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि बार-बार हो रहे नुकसान की वजह से अब तक पार्टी सीट का फैसला नहीं ले पा रही है। यह सीट एक अहम सीट है और जो भी नेता यहां दावेदारी ठोक रहे हैं उनमें लड़ने से ज्यादा मुख्यमंत्री के खिलाफ चेहरा बनने की कोशिश ज्यादा है। इस सीट पर भाजपा अब से पूर्व नुपुर शर्मा, विजेंद्र गुप्ता, पूनम आजाद और कीर्ति आजाद को आजमा चुकी है।

नई दिल्ली सीट के बाद दो अहम सीटों में कृष्णा नगर, बुराड़ी और सीमापुरी सीट है। इन सीटों को भी मुख्यमंत्री के चेहरे से जोड़ा जा रहा है। दरअसल कृष्णा नगर सीट डॉ हर्षवर्धन की सीट है और इसी प्रकार बुराड़ी सीट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी सक्रिय हैं। तर्क दिया जा रहा है कि यदि बड़े नेता मैदान में उतरते हैं तो इसका असर आसपास की सीटों पर होगा। जबकि सीमापुरी सीट से आम आदमी पार्टी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। पार्टी इस सीट को जीतकर एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। इसलिए इस सीट को शेष सीटों में शामिल किया है।

दिल्ली में भाजपा व अकाली गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ते हैं। उनकी अहम चार सीटों में राजौरी गार्डन, हरी नगर, कालकाजी व शहादरा सीट हैं। इन चारों सीट पर दोनों दलों की सहमति पर टिकट का फैसला होगा। इसी प्रकार संगम विहार सीट पूर्व विधायक एससीएस गुप्ता व किसी पूर्वांचल उम्मीदवार के चयन को लेकर फंसी है। वहीं जननायक जनता पार्टी (जजपा) से गठजोड़ की उम्मीद में नांगलोई जाट सीट पर भी उम्मीदवार का एलान नहीं किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली कैंट, कस्तूरबा नगर, महरौली व शाहदरा सीटों पर भी पार्टी ने अभी नामों की घोषणा नहीं की है।

टिकट की घोषणा में सबसे बड़ा बवाल 13 सीट पर ही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इन सीटों पर अपने-अपने दावेदार पेश किए हैं और एक दूसरे के उम्मीदवारों का भी विरोध कर रहे हैं। इसलिए पार्टी ने इन सीट पर फिर से सर्वेक्षण करने का फैसला लिया है। सर्वेक्षण के आधार पर ही सीट का आखिरी फैसला होगा। संभावना जताई जा रही है कि पार्टी की रिपोर्ट के बाद शनिवार को इन सीटों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे।

सीएए नहीं मानने पर पाक जाने को कहने वाला शिक्षक निलंबित

त्रिशूर, 17 जनवरी (भाषा)।

केरल के कोडुंगल्लूर में एक सरकारी बालिका विद्यालय के एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक ने कथित तौर पर विद्यार्थियों से कहा था कि अगर वे संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अधिकारियों के अनुसार शिक्षा विभाग के उपनिदेशक द्वारा इस घटना की जांच किए जाने के बाद गुरुवार को हिंदी शिक्षक कलेशन के खिलाफ कार्रवाई की गई।

चीन में वायरस फैलने पर भारत में कड़ी सतर्कता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

चीन में नोवेल कोरोना वायरस के फैलने की खबरों के मद्देनजर सरकार ने एक यात्रा परामर्श जारी करते हुए नागरिकों को कुछ एहतियाती उपायों का पालन करने को कहा है। इस वायरस से श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं। चीन में कई मौतें हुई हैं। सरकार ने संक्रमण की आशंका के मद्देनजर एहतियाती उपाय के तौर पर चीन से आने वाले यात्रियों की दिल्ली, मुंबई और कोलकाता हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनर से जांच करने का निर्देश दिया है। इस वायरस के दो अन्य एशियाई देशों- थाईलैंड और जापान में भी फैलने की खबर है। वायरस का संक्रमण चीन के एक सीफूड बाजार से शुरू हुआ है। उस बाजार को बंद कर दिया गया है।

विदेश मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके मद्देनजर अलग-अलग परामर्श जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के संचरण के बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन चीन की यात्रा करने वालों को सलाह दी जाती है कि वे खेतों, पशुओं के बाजारों या जहां बूचड़खाने हों वहां की यात्रा करने से बचें। इसके साथ ही लोगों को कच्चे या अधपके मांस के उपभोग करने से भी बचने की सलाह दी गई है।

परामर्श में कहा गया है कि उन लोगों के साथ निकट संपर्क से बचना चाहिए, जो अस्वस्थ हैं या जिनमें बीमारी के लक्षण हैं, जैसे खांसी, नाक का बहना आदि। अगर सांस की समस्या है तो यात्रियों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 11 जनवरी तक कोरोना वायरस से संक्रमण के 41 मामलों की पुष्टि हुई है।

जम्मू-कश्मीर में फरवरी में हो सकते हैं पंचायत चुनाव

नई दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर में ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंच के करीब 13,000 खाली पदों के लिए अगले महीने चुनाव हो सकते हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इस संबंध में 25 जनवरी को अधिसूचना जारी किए जाने का अनुमान है। यदि ये चुनाव हुए तो जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के प्रावधानों को खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद वहां ये पहले चुनाव होंगे।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के करीब 13,000 खाली पदों के लिए अगले महीने चुनाव हो सकते हैं और इस बारे में 25 जनवरी को अधिसूचना जारी किए जाने का अनुमान है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया फरवरी में ही संपन्न होने का अनुमान है।

समझौते के बाद बोडो उग्रवादी संगठन ने हथियार छोड़े

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

असम में सक्रिय बोडो उग्रवादी संगठन प्रतिबंधित एनडीएफबी ने शुक्रवार को एक समझौते पर दस्तखत के बाद हथियार छोड़ने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय, असम सरकार और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के बीच तितरफा समझौते पर नई दिल्ली में दस्तखत किए गए। असम में सक्रिय यह एकमात्र बोडो उग्रवादी समूह था, जो अलग बोडो राज्य की मांग कर रहा था।

इस समझौते के तहत यह उग्रवादी समूह हथियार छोड़कर शांति वार्ता में शामिल होगा। एनडीएफबी ने अपना हिंसक अभियान स्थगित करने के लिए सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समझौते के प्रारूप के हवाले से बताया कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) अपने अध्यक्ष बी सौरईगवरा के नेतृत्व में हिंसा छोड़ेगा और सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल होगा। त्रिपक्षीय समझौते पर एनडीएफबी, केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं असम सरकार के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। सौरईगवरा समेत एनडीएफबी के सक्रिय सदस्यों को 11 जनवरी को म्यामां से स्वदेश लाया गया था। एक अधिकारी के मुताबिक, सौरईगवरा, इसके 'महासचिव', 'कमांडर इन चीफ' और 'वित्त सचिव' समेत इसके शीर्ष नेता समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने हथियार छोड़ते हुए अधिकारियों के पास जमा कराए। इस समूह के पास 25 हथियार, 50 से अधिक कारतूस, 900 से अधिक मिश्रित गोलाबारूद और संचार के उपकरण थे। सौरईगवरा का समूह पूर्वोत्तर के अन्य उग्रवादी समूहों के साथ म्यांमा में सक्रिय था। उन्होंने एनएससीएन-के और परेश बरुआ के नेतृत्व वाले उल्फा धड़े के साथ एक संयुक्त मंच यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया का गठन किया था।

माता-पिता ने जताई खुशी

पेज 1 का बाकी

जताया। निर्भया पिता ने कहा कि इससे उन्हें उम्मीद जगी है कि अब दोषियों को जल्द से जल्द फांसी होगी। उन्होंने कहा- हमें खुशी है कि उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने की संभावना बढ़ गई है। हमें भरोसा था कि जैसे ही वे दया याचिका डालेंगे, वह अस्वीकार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जब दया याचिका की खबर आई थी तो वे निराश हो गए थे, लेकिन शुक्रवार के घटनाक्रम से उम्मीद फिर बंधी है।

निर्भया की मां ने भी राष्ट्रपति के फैसले पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को फांसी पर नहीं लटका दिया जाता है, तब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा- हमें पिछले सात साल से तारीख पर तारीख दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा तंत्र ऐसा है कि जहां दोषी की सुनी जाती है। हर जगह निर्भया के गुनहगारों का ही मानवाधिकार देखा जा रहा है। हमारा मानवाधिकार कोई नहीं देख रहा है।

संरा ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाया

पेज 1 का बाकी

राजकोषीय उपायों का रास्ता अपनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'राजकोषीय प्रोत्साहन और वित्तीय क्षेत्र में सुधार से निवेश तथा खपत में वृद्धि को गति मिलेगी। भारत की आर्थिक वृद्धि दर को पिछले स्तर पर लाने के लिए संरचनात्मक सुधारों की जरूरत होगी।'

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग के प्रमुख (एशिया प्रशांत क्षेत्र) नागेश कुमार ने कहा, 'भारत से संबंधित वृद्धि दर आंकड़े को संशोधित कर चालू वित्त वर्ष के लिए पांच फीसद और अगले वित्त वर्ष के लिए 5.8-5.9 फीसद कर दिया गया है।' रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि डब्ल्यूइएसपी में जीडीपी अनुमान में भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी वृद्धि के हाल के आंकड़ों पर गौर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का आकलन अक्टूबर 2019 में किया गया और एनएसओ का अग्रिम वृद्धि अनुमान जनवरी 2020 में जारी किया गया। इसके अनुसार देश की आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 में घटकर पांच फीसद पर आ जाएगी।

निर्भया मामले में अब एक फरवरी को होगी दोषियों को फांसी

पेज 1 का बाकी

पर अमल का फरमान (डेथ वारंट) फिर से जारी करने की मांग की। लोक अभियोजक इरफान अहमद ने अदालत को बताया कि मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार देर रात दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी जिसके बाद राष्ट्रपति ने इसे खारिज कर दिया।

मुकेश सिंह ने दो दिन पहले ही दया याचिका दायर की थी। दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय ने मुकेश सिंह की दया याचिका गुरुवार को गृह मंत्रालय के पास भेजी थी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की थी।

पैरामेडिकल की 23 साल की छात्रा के साथ 16 दिसंबर 2012 की रात को सामूहिक बलात्कार की वारदात हुई थी। छात्रा की 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के अस्पताल में मौत हो गई थी। मृत्यु वारंट के मुताबिक चारों दोषियों-मुकेश सिंह (32), विनय शर्मा (26),अक्षय कुमार सिंह (31)और पवन गुप्ता (25) एक फरवरी की सुबह छह बजे फांसी तिहाड़ जेल परिसर में फांसी होना निश्चित किया गया है।

कश्मीर पर भारत के रुख को लेकर शंका नहीं

पेज 1 का बाकी

का मामला है। दोनों देशों को शिमला और लाहौर समझौते के आधार पर इसका हल निकालना है। कुदाशेव ने बताया कि 22 और 23 मार्च को रूस में भारत-चीन-रूस की तितरफा बैठक होगी, जिसमें इस मुद्दे को लेकर और बातें होंगी। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेने के लिए जाएंगे। हाल में विदेशी राजनयिकों को कश्मीर ले गई थी भारत सरकार। उस दल में रूसी प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया था, इसको लेकर कुदाशेव ने स्पष्टीकरण दिया कि हमें वहां जाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, 'जिन्हें कश्मीर पर भारत के रुख को लेकर शंकाएं हैं, वे वहां जा सकते हैं, हमें कोई शक नहीं है।' सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दा उठाने की चीन की कोशिशों पर कुदाशेव ने कहा, 'शिमला समझौते और लाहौर घोषणापत्र के आधार पर यह भारत और पाकिस्तान के बीच का पूरी तरह से द्विपक्षीय मामला है।' उन्होंने कहा कि इसलिए संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर की चर्चा नहीं होनी चाहिए। कुदाशेव ने कश्मीर के हालात सुधारने के लिए भारत की तरफ से उठाए कदमों पर भी भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है। कश्मीर मामला भारत के संवैधानिक दायरे में आता है।

सीएए : बिना बताए केरल सरकार के अदालत जाने पर आरिफ को एतराज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम, 17 जनवरी।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा उन्हें सूचना दिए बिना सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किए जाने को लेकर वे रिपोर्ट मांग सकते हैं।

राज्य सरकार ने 13 जनवरी को इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इसे संविधान से परे घोषित करने का आग्रह किया था। खान ने केरल सरकार की निंदा करते हुए नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा-जब कभी मैं कोई उल्लंघन देखता हूं, जहां कहीं भी मैं किसी को कानून के विपरीत या संविधान की धाराओं के खिलाफ जाते हुए देखता हूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जवाब तलब न करूं।

कानपुर से गिरफ्तार हुआ पैरोल के दौरान फरार आतंकी जलीस अंसारी

पेज 1 का बाकी

गुमशुदगी की रिपोर्ट मुंबई के अग्रीपाड़ा थाने में दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया कि अंसारी को कानपुर के फेथफुलगंज क्षेत्र में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसके कब्जे से 47780 रुपए, एक पॉकेट डायरी, मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद किया गया है। अंसारी को लखनऊ लाया गया है और स्पेशल टास्क फोर्स तथा सुरक्षा एजंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं कि उसका इरादा क्या था।

अंसारी को पैरोल के दौरान रोजाना पूर्वाह्न साढ़े 10 बजे और दोपहर 12 बजे अग्रीपाड़ा थाने में हाजिरी देनी होती थी। मगर वह गुरुवार को निर्धारित समय पर थाने नहीं पहुंचा था। गुरुवार को उसके बेटे जैद ने पुलिस को बताया था कि जलीस सुबह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने की बात कहकर घर से निकले, मगर नहीं लौटे। उसके बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि अंसारी टाइम बम और टीएनटी को डेटोनेट करने का माहिर माना जाता है। वह वर्ष 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों समेत 50 से ज्यादा बमकांडों में शामिल था।

मनोज शशिधर सीबीआइ के संयुक्त निदेशक नियुक्त

नई दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा)।

वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी मनोज शशिधर को शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गई है। गुजरात कैडर के 1994 बैच के आइपीएस अधिकारी शशिधर को पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वह अभी अपने कैडर राज्य गुजरात में कार्यरत हैं।

सीएए पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार

पेज 1 का बाकी

विपक्ष शासित अन्य राज्यों में लागू करने के लिए केंद्र को सीएए में जरूरी संशोधन लाने ही पड़ेंगे। सिंह ने कहा कि केरल की तरह पंजाब भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजाब में जनगणना 2021 पुराने पैमानों पर ही होगी। केंद्र द्वारा जोड़े गए नए घटकों को इस जनगणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

संरा में कश्मीर मुद्दा उठाने का चीन ने किया बचाव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने के फैसले का सख्ती से बचाव करते हुए चीन ने कहा कि उसके प्रयास का मकसद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करना है और इसके पीछे उसका नेक इरादा है। चीन ने यह दावा भी किया है कि सुरक्षा परिषद में ज्यादातर सदस्यों ने घाटी की स्थिति पर चिंता जताई है।

1930 के जर्मनी जैसे हालात : अमरिंदर

पेज 1 का बाकी

उनके जीवनकाल में हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, 'आप इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बदलना चाहते हैं। जो हो रहा है, वह बेहद दुखद है। हमने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। हम केवल राजनीति के लिए भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। स्पष्ट है कि इतिहास से हमने कुछ भी नहीं सीखा है।' विधानसभा में पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का काम तब तक रोकने का आग्रह किया गया है, जब तक कि इससे जुड़े प्रपत्रों या दस्तावेजों को उचित रूप से संशोधित नहीं किया जाता है ताकि इस आशंका को दूर किया जा सके कि यह राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का पहला चरण है और भारत की नागरिकता से एक वर्ग को वंचित करने तथा संशोधित नागरिकता कानून लागू करने के लिए बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने भावुक स्वर में कहा, 'गरीब कहां जाएंगे और कहां से अपना जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे....यह एक बड़ा हादसा है। और बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मेरे जीवनकाल में....काश मैं यहां नहीं होता जब यह सब मेरे देश में हो रहा है ... राजनीति के लिए जब भाईचारे को समाप्त किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में हम कहां जा रहे हैं?

उन्होंने दावा किया कि 1930 के दशक में हिटलर के जर्मनी में जातीय सफाए के लिए जो किया गया था, अब वही घटनाएं भारत में हो रही हैं।

पंजाब विस में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास

पेज 1 का बाकी

इससे लोगों में काफी गुस्सा है और सामाजिक अशांति पैदा हुई है। इस कानून के खिलाफ पंजाब में भी विरोध प्रदर्शन हुए जो कि शांतिपूर्ण थे और इसमें समाज के सभी तबके के लोगों ने हिस्सा लिया था।' इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। केरल के बाद पंजाब दूसरा राज्य है जहां सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया है।

प्रस्ताव में कहा गया कि नागरिकता पर संशोधित कानून धर्मनिरपेक्षता के उस ताने-बाने को नकारता है जिस पर भारत का संविधान आधारित है। यह विभाजनकारी है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध है, जिसमें प्रत्येक के लिए समानता की बात निहित है। नागरिकता देने में धर्म आधारित भेदभाव के अलावा, ऐसा भी संदेह है कि सीएए हमारे कुछ लोगों की भाषाई एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए भी खतरा है। सीएए विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों (ओसीआइ) के कानून के किसी तरह का उल्लंघन करने पर उनके ओसीआइ) कार्ड के पंजीकरण को रद्द करने की भी बात करता है।

एनपीआर पर गैर-भाजपा राज्यों ने जताई आपत्ति

पेज 1 का बाकी

इसकी प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई। राजस्थान, पंजाब और केरल की ओर से बैठक में शामिल हुए अधिकारियों ने एनपीआर में प्रस्तावित सवालों को अव्यावहारिक बताते हुए इन्हें हटाने को कहा। हालांकि, बैठक में शामिल केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने यह कहकर केंद्र सरकार का बचाव किया कि लोगों को कुछ सवालों के जवाब अनिवार्य रूप से नहीं, बल्कि स्वैच्छिक रूप से देने हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार ने लिखित तौर पर अपनी आपत्ति जताते हुए अपना कोई अधिकारी भेजने से मना कर दिया था। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की और इसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ही कई राज्यों के मुख्य सचिव और जनगणना निदेशक शामिल हुए। यह सम्मेलन 2021 की जनगणना के 'हाउस लिस्टिंग' चरण और एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक चलने वाले राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर चर्चा के लिए बुलाया गया था।

एस-400 मिसाइलों की आपूर्ति 2025 तक

पेज 1 का बाकी

वाले देशों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। रूस पर प्रतिबंध के संदर्भ में ट्रंप प्रशासन ने भारत को चेतावनी दी थी। हालांकि, भारत-अमेरिकी के बीच विभिन्न स्तरों की कई वार्ताओं में इस मुद्दे पर कोई आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई।

बबुश्किन ने कहा कि भारत को दी जाने वाली सभी प्रणालियां 2025 तक अलग-अलग चरणों में भारत को सौंप दी जाएंगी। भारत ने दिसंबर 2018 में रूस से पांच अरब डॉलर में एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने का समझौता किया था। इसमें से 80 करोड़ डॉलर की पहली किश्त रूस को दी जा चुकी है।

सफल प्रक्षेपण : नए साल में इसरो ने भरी नई उड़ान

पेज 1 का बाकी

प्रक्षेपण यान से अलग होने के तत्काल बाद कमान और नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया तथा उपग्रह की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पूरी तरह दुरुस्त है। आगामी दिनों में उपग्रह की प्रणोदन प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए कक्षा उत्थान किया जाएगा ताकि इसे भूमध्य रेखा के 36,000 किमी ऊपर भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया जा सके। इसरो ने कहा कि कक्षा उत्थान अभियानों के अंतिम चरण में जीसैट 30 पर दो सौर सरणियों और एंटीना रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे।कक्षा में सभी परीक्षणों के सफल होने के बाद उपग्रह अपना काम आरंभ करेगा।

केरल : बीफ पर ट्वीट से भड़का विवाद

पेज 1 का बाकी

ठिकाने पर नहीं है? पोंगल और संक्रांति पर जब हम गायों, बैलों और अन्य मवेशियों के मानव जाति के लिए योगदान पर उनका सम्मान करते हैं।' कई लोग केरल पर्यटन विभाग के 'बीफ' वाले ट्वीट के समर्थन में भी आ गए। एक शख्स ने लिखा, 'एक परांठा और बीफ फ्राई। यह मेल स्वर्ग में बना है।' एक अन्य ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुरेश गोपी के पुराने वीडियो को साझा किया जिसमें वह बता रहे कि बीफ खाकर उनका वजन कैसे बढ़ गया। ट्वीट में लिखा है, 'प्रिय भक्तों। ये मलयाली अभिनेता सुरेश गोपी हैं।

भाजपा की पहली सूची में 57 नाम

पेज 1 का बाकी

नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि हरियाणा में भाजपा सरकार की साझेदार जजपा से संभावित समझौते की उम्मीद में जाट बहुल नांगलोई सीट पर उम्मीदवार की घोषित नहीं की गई है।

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन की पारंपरिक सीट कृष्णा नगर पर भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। वे इस सीट से पांच बार विधायक रह चुके हैं। उन्हें पार्टी ने 2013 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था।

इनके अलावा भाजपा के तीनों मौजूदा विधायक और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से, ओमप्रकाश शर्मा-विश्वास नगर से और जगदीश प्रधान-मुस्तफाबाद से फिर उम्मीदवार बनाए गए हैं। भाजपा की पहली सूची में 24 नए चेहरे हैं।

इस सूची में पूर्व मेयरों रविंद्र गुप्ता और योगेंद्र चंदोलिया के भी नाम हैं। चंदोलिया को फिर से करोलबाग से और रविंद्र गुप्ता को अल्पसंख्यक बहुल मटियामहल से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस से पहले आप और फिर भाजपा में शामिल सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को तिमारपुर से टिकट दिया गया है।

व्यापारी नेता राजकुमार भाटिया आदर्शनगर से और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आशीष सूद जनकपुरी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। छात्र संघ के एक और पूर्व अध्यक्ष अनिल झा फिर से किराड़ी से उम्मीदवार बने हैं।

www.readwhere.com

अश्विनी शर्मा पंजाब, स्वतंत्रदेव यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष

लखनऊ/जालंधर, 17 जनवरी (भाषा)। वरिष्ठ नेता स्वतंत्रदेव सिंह को शुक्रवार को निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष चुन लिया गया। उधर, अश्विनी शर्मा को शुक्रवार को सर्वसम्मति से भाजपा की पंजाब इकाई का अध्यक्ष चुन लिया गया।

उत्तर प्रदेश भाजपा के मीडिया सहप्रभारी आलोक अवस्थी ने कहा, 'स्वतंत्रदेव सिंह निर्विरोध उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष चुने गए हैं। यह घोषणा शुक्रवार को यहां पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने पार्टी कार्यालय में की। सिंह (55) का कार्यकाल तीन साल का होगा। उन्हें पिछले साल जुलाई में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी।

उधर, पंजाब भाजपा संगठन के चुनाव पर्यवेक्षक अनिल सरीन ने कहा कि निर्विरोध चुने गए अश्विनी शर्मा (55) श्वेत मलिक का स्थान लेंगे। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले शर्मा इससे पहले 2010 से 2013 के बीच पंजाब भाजपा अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। उन्होंने राज्य भाजपा महासचिव की जिम्मेदारी भी निभाई है।

टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(सीआईएन: L65910DL1989PLC034812)
पंजीकृत कार्यालय: चौथा तल, टॉवर 1, एनबीसीसी प्लाजा, सैक्टर-V, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली-110017, फोन: 011-29561180, फैक्स : 011-29561171
ईमेल: complianceofficer@tfciltd.com, वेबसाइट: www.tfciltd.com

सूचना

सेबी (सूचीकरण उत्तरदायित्व एवं प्रकट आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में हम आपको सूचित करते हैं कि टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के निदेशक मंडल की बैठक **31 दिसम्बर, 2019** को समाप्त तिमाही/नौ माह के लिये वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन के लिये, **शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020** को आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट **(www.tfciltd.com)**, बीएसई लि. की वेबसाइट **(www.bseindia.com)** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. की वेबसाइट **(www.nseindia.com)** पर उपलब्ध है।

कृते टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
हस्ता/-
(संजय आहूजा)
कम्पनी सचिव

दिनांक: जनवरी 17, 2020
स्थान: नई दिल्ली

अमृत कॉर्प लि.

CIN:L15141UP1940PLC000946
पंजी. कार्यालय: सीएम/28, प्रथम तल, गगन एन्क्लेव, अमृत नगर जी.टी. रोड, गाजियाबाद-201009 (उ.प्र.)
कॉर्पो. कार्यालय: अमृत कार्पोरेट सेन्टर, ए-95, सेक्टर-65, नोएडा-201309 (उ.प्र.)
फोन: 0120-4506900, फैक्स: 0120-4506910
ई-मेल: info@amritcorp.com, वेबसाईट: www.amritcorp.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 "सूचीयन विनियमन" के विनियमन 29, 33, 47 तथा लागू होने वाले किसी अन्य विनियमन के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल तथा ऑडिट कमिटी की बैठक मंगलवार, 11 फरवरी, 2020 को नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माह के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों पर विचार, परीक्षण तथा अनुमोदन किया जायेगा।

उक्त सूचीयन विनियमन के विनियमन 47(2) के अनुसार यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् **www.amritcorp.com** के साथ ही बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

अमृत कार्प लि. के लिये
हस्ता./-
(पी.के. दास)
कम्पनी सचिव

तिथि: 14.1.2020
स्थान: गाजियाबाद

ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड

पंजी. कार्या.: ए-23, मंदाकिनी एन्क्लेव, अलकनंदा, जीके II, नई दिल्ली-110019
फोन: 011-40562329, वेबसाईट:www.trinityasia.in, ई-मेल: trinityleague@trinitygroup.ind.in
CIN No: L74999DL1988PLC031953

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019 अनंकेक्षित	समाप्त पूर्व तिमाही 30.9.2019 अनंकेक्षित	31.12.2018 को समाप्त तत्स्थानीय तिमाही अनंकेक्षित	31.12.2019 को समाप्त नौ महीने अनंकेक्षित	31.12.2018 को समाप्त नौ महीने अनंकेक्षित	31.3.2019 को समाप्त वर्ष अंकेक्षित
1	आय						
	क) प्रचालनों से राजस्व	–	–	21.77	–	21.77	84.87
	ख) अन्य आय	5.19	3.57	3.14	12.96	6.40	10.24
	कुल आय (क+ख)	5.19	3.57	24.91	12.96	28.17	95.11
2	विशिष्ट मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि)	(5.65)	(5.02)	(2.33)	(14.87)	(42.84)	13.94
3	कर से पूर्व लाभ/(हानि)	(5.65)	(5.02)	(2.33)	(14.87)	(42.84)	13.94
4	अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) कर से बाद	(5.65)	(5.02)	(2.33)	(14.87)	(42.84)	11.43
5	अवधि के लिये कुल व्यापक आय	(5.65)	(5.02)	(2.33)	(14.87)	(42.84)	11.69
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य आईएनआर 10/- प्रति)	506.69	506.69	506.69	506.69	506.69	506.69
7	अन्य इक्विटी	–	–	–	–	–	(214.98)
8	आय प्रति शेयर (आईएनआर रु. 10/- प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं)						
	क) मूल	(0.11)	(0.10)	(0.05)	(0.29)	(0.85)	0.23
	ख) तरल	(0.11)	(0.10)	(0.05)	(0.29)	(0.85)	0.23

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिये अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019 अनंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.9.2019 अनंकेक्षित	समाप्त नौ महीने 31.12.2019 अनंकेक्षित
1	आय			
	क) प्रचालनों से राजस्व	–	–	–
	ख) अन्य आय	8.48	3.57	16.25
	ग) कुल आय (क+ख)	8.48	3.57	16.25
2	विशिष्ट मदों एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ एवं (हानि)	(3.75)	(5.69)	(13.65)
3	कर से पूर्व तथा विशिष्ट मदों के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	(3.75)	(5.69)	(13.65)
4	कर से बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि)	(3.75)	(5.69)	(13.65)
5	कुल व्यापक आय, अवधि के लिये	(3.57)	(3.57)	(11.53)
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य आईएनआर 10/- प्रति)	506.69	506.69	506.69
7	आय प्रति शेयर (आईएनआर रु. 10/- प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं)			
	क) मूल	(0.07)	(0.11)	(0.27)
	ख) तरल	(0.07)	(0.11)	(0.27)

* वित्तीय परिणामों की संलग्न टिप्पणी भी देखें।

टिप्पणी:

1. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 17 जनवरी, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत वांछित रूप में कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों ने 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
3. 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही में कम्पनी ने आईएनआर 50.00 लाख की मूल्य पर मै. एग्रोटेक रिस्क प्राईवेट लिमिटेड की 100% धारिता अर्जित की है।
4. यह कम्पनी एक ही खंड में प्रचालन करती है, अतः खंडीय विवरण नहीं दिया गया है।
5. उसे चालू अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिये जहाँ भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आँकड़े पुनसर्मूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं।

ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
देविन्दर कुमार जैन
प्रबंध निदेशक
DIN:00437646

तिथि: 17.1.2020
स्थान: नोएडा

डा. फ्रेश एसेट्स लिमिटेड

CIN: L74899DL1990PLC042302
पंजी. कार्यालय: बी-1/ई-24, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044
Phone: 91-11-41679238
E-mail: drfresh@drfreshassets.com
website: www.drfreshassets.com

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020 को पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ उस पर सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

यह सूचना स्टॉक एक्सचैंज की www.msei.in तथा कम्पनी की वेबसाईट www.drfreshassets.com पर उपलब्ध है।

डा. फ्रेश एसेट्स लि. के लिये
हस्ता./-
विजय प्रकाश पाठक
पूर्णकालिक निदेशक
DIN: 07081958

तिथि: 16.1.2020
स्थान: दिल्ली

इन्टीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजी.: कार्यालय सी-24, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024, भारत
Tel: +91-11-41552579
Email: info@integratedtech.in
Website: www.integratedtech.in
CIN:L31909DL1995PLC22176

बोर्ड की बैठक एवं ट्रेडिंग विण्डो बंद होने की सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 तथा लागू होने वाले अन्य विनियमनों के अनुपालन में कृपया ध्यान रहे कि इन्टीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020 को 3.00 बजे अप. में सी-24, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा उससे जुड़े विषयों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

पुनः सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 तथा सेबी पत्र रेफ. सं. LIST/COMP/01/2019-20 तिथि 2 अप्रैल 19 के अनुपालन में कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो 2 जनवरी, 2020 से अनुसूचित बोर्ड बैठक की पूर्णता से 48 घंटे अर्थात् सोमवार, 3 फरवरी, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

इन्टीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लि.
हस्ता./-
स्नेह चौहान
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 17.1.2020

पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

56-56, 5वां तल, फ्रीप्रेस हाउस, नरीमन प्वाइन्ट, मुम्बई-400021
टेली: 91-22-61884700, फैक्स: 91-22-22846797

ई-नीलामी बिक्री के लिये सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर, पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, जो पेगासस ग्रुप वन ट्रस्ट XXII (पेगसस) के ट्रस्टी की हैसियत में कार्यरत है, जिसे सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एसाइन्मेन्ट अनुबंध तिथि 30.9.2016 के माध्यम से इंडसइंड बैंक लि. द्वारा अधोलिखित प्रतिभूतियों, हित के साथ नीचे वर्णित ऋणधारक की बकाये को सौंपा गया है, के पास नीचे वर्णित प्रतिभूति परिसम्पत्ति गिरवी/चार्ज्ड है।

उसके अनुपालन में बकाये के भुगतान में नीचे वर्णित ऋणधारक तथा गारन्टरों की विफलता पर इंडसइंड बैंक लि. ने 14.9.2016 को सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना जारी कर ऋणधारकों को सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया। पुनः ऋणधारक तथा उसके गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे तथा 12.7.2019 को प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया। उपरोक्त के आलोक में नीचे वर्णित गिरवी सम्पत्तियों की मै. यू.आर. डायग्नोस्टिक्स प्रा.लि. तथा गारन्टर श्री मल्लाडी श्रीनिवास, श्रीमती पूजा श्रीनिवास एवं श्री उपेन्द्र फणि मल्लाडी से पेगासस एसेट्स रीकन्ट्रक्शन प्रा.लि. के बकाये 1.5.2016 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा लागत, चार्जेज एवं खर्चे के साथ यदि इस तिथि के बाद कोई भुगतान की गई हो, को घटाकर 30.4.2016 को रु. 5,60,27,463/- (रुपये पाँच करोड़ साठ लाख सत्ताईस हजार चार सौ तिड़ेसठ मात्र) की वसूली के लिये 21.2.2020 को "जैसा है जहाँ है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर बिक्री की जायेगी। भूमि एवं भवन के लिये आरक्षित मूल्य रु. 2,13,00,000 तथा धरोहर राशि रु. 21,30,000/- है।

बिक्री की जा रही अचल सम्पत्ति का विवरण:

ऋणधारक/ गारन्टर का नाम	मै. यूआर डायग्नोस्टिक्स प्राईवेट लि. श्री मल्लाडी श्रीनिवास श्रीमती पूजा श्रीनिवास श्री उपेन्द्र कुमार फणि मल्लाडी
बकाया देयता	30.4.2016 को रु. 5,60,27,463.00 (रुपये पांच करोड़ साठ लाख सत्ताईस हजार चार सौ तिरेसठ मात्र) के साथ 1.5.2016 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे
अचल सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति भूमि तथा भवन, मकान नं. 129, सेक्टर-28, अर्वण इस्टेट, फरीदाबाद, तहसील एवं जिला फरीदाबाद (प्लॉट एरिया 421.525 वर्ग यार्ड्स, निर्मित एरिया 2700 वर्ग फीट) का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी: उत्तरः रोड, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः प्लॉट नं. 130, पश्चिमः प्लॉट नं. 128
आरक्षित मूल्य	रु. 2,13,00,000/-
धरोहर राशि भुगतान	रु. 2,30,000/-
सम्पत्ति पर अग्रसारित दावे तथा प्रतिभूत क्रेडीटर की जानकारी में अन्य कोई देयता तथा मूल्य	ज्ञात नहीं
सम्पत्ति का निरीक्षण	10.2.2020 को 2.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. सम्पर्क नं. 9833654945, 9087788888
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	20.2.2020 के 4.00 बजे अप. तक
बोली खुलने का समय तथा स्थान	ई-नीलामी/ बोली द्वारा वेबसाईट (https://sarfaesi.auctiontiger.net) 21.2.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात http://www.pegasus-arc.com/ assets-to-auction.html देखें।

ई-नीलामी/ संबंधित सम्पत्ति की बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा ई-नीलामी में भाग लेने के लिये अपनी बोली जमा करने से पूर्व बोलीदाता वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net देखें अथवा सेवा प्रदाता मै. ई प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजी'ज लि., Auction Tiger, अहमदाबाद (हेल्पलाइन नं. 079-61200546/511, सम्पर्क व्यक्ति, श्री तिलक मराठा, मोबाईल नं. +916351896832, tilak@auctiontiger.net, श्री आकाश करटे, मोबाईल नं. +91 9833398547, ई-मेलः akash.karhe@auctiontiger.net से सम्पर्क करें।

स्थानः दिल्ली
तिथि: 18.1.2020

प्राधिकृत अधिकारी
पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
(पेगासस ग्रुप वन ट्रस्ट XXII के ट्रस्टी)

फार्म नं. आईएनसी-26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
कैलपर सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड
(पहले कैलपर सिक्योरिटीज़ लिमिटेड)
(CIN: U74899DL1995PTC069005)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **20, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002** में है,
के मामले में

....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरैंडम और एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय की **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"महाराष्ट्र राज्य"** में बदलने हेतु **बुधवार, 16 जनवरी, 2020** को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज कर सकता अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विषय के आधार हो, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **20, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **कैलपर सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड**
शरवन कामेश्वरलाल गुप्ता
(निदेशक)
डीआईएन: 00562910

दिनांक: 18 जनवरी 2020
स्थान: नई दिल्ली

फार्म नं. आईएनसी-25ए

सार्वजनिक कंपनी से एक प्राइवेट कंपनी में रूपांतरण के लिए समाचारपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, निगमित मामलों के मंत्रालय
उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनीज अधिनियम, 2013, कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनीज (संशोधन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
और
मैसर्स कंसोलिडेटेड कैपिटल इन्वेस्टकेयर लिमिटेड
इसका पंजीकृत कार्यालय ए-4, सैक्टर-4, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, यूपी-201301 इस के मामले में,
.....(आवेदक)

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी उपरोक्त नियमों के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन की इच्छुक है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तन की प्रभावी बनाने के लिए कंपनी को सक्षम करने में 01 जनवरी, 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संबंध में पुष्टिकरण की इच्छुक है।

कोई व्यक्ति जिसकी अभिरुचि कंपनी के इस प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है, वो वह अपनी अभिरुचि की प्रकृति ग्रहण फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में दर्ज कर सकता है और विरोध के आधार, यदि कोई है, को बताते हुए आवेदनकर्ता कंपनी को नीचे वर्णित इसके पंजीकृत कार्यालय में इसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, निगमित मामलों के मंत्रालय, बी-2, विंग दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा भेजे या डिलीवर कर सकते हैं।

कृते आवेदक की ओर से
हस्ता/-
विरेन्द्र गौरव कुमार
(निदेशक)
डीआईएन : 08245155
पता : 438/18 सुमन विहार, कॉलोनी मुजफ्फरनगर 251001 यूपी इन

दिनांक : 17.01.2020
स्थान : नोएडा

अदालती सूचना

आशा पे अतिरिक्त सिविल जज चतुर्थ (सीनियर डिविजन) देहरादून
न्यायालय सिविल जज चतुर्थ (सीनियर डिविजन) देहरादून
वाद संख्या 397 वर्ष 2016
पंजाब नेशनल बैंक ब्रेमनगर, देहरादून।
.....वादी
बनाम
श्री राजीव दुआ पुत्र श्री मदनलाल दुआ प्रो0 मैसर्स कशिश टीजर्स, 5 अन्नाजी मार्ग, देहरादून।
... प्रतिवादी

चूंकि वादी ने आपके विरुद्ध ऋण की वसूली हेतु वाद संस्थित किया है। वाद में दिनांक 01.02.2020 प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने एवं तनकीह हेतु नियत है। अतएव आपको एतद्द्वारा आहूत किया जाता है कि आप या तो स्वयं या ऐसे अभिवक्ता द्वारा जो सम्यक रूपेण अनुदिष्ट है और वाद सत्यापी तथ्य सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ है या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति है जो सब प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ है, उपरोक्त वर्णित दिवस से 10 पूर्व दिन में न्यायालय में उपस्थित हो और आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन ऐसे सब दस्तावेजों को पेश करें जिनका कि अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में सहारा लेने का आपका आशय है।

आपको यह सूचना दी जाती कि पूर्व वर्णित दिवस को आपकी उपस्थिति में चूक होने पर वाद आपकी अनुपस्थिति में सुना जायेगा और अवधारित किया जायेगा।

दस्तखत मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 13 माह 01 सन 2020 को जारी किया गया।

प्रकरणक
न्यायालय सिविल जज प्रथम (सीनियर डिविजन) देहरादून।

बिक्री उद्घोषणा

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-01

आर.सी. सं. 708/2018 दिनांक : 24.12.2019

पंजाब नेशनल बैंक बनाम प्रभात कुमार एवं अन्य

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

सेवा में,
सीटी सं. 1. प्रभात कुमार पुत्र धान सिंह, एच-I/113-114, सेक्टर-16, रोहिणी, नई दिल्ली-110089,
दूसरा पता : दूसरी एवं तीसरी मंजिल, प्लॉट सं. 209, पॉकेट 15, सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली-85
तीसरा पता : ए3/192, सेक्टर 17, रोहिणी, दिल्ली-85
सीडी सं. 2. जगजीत सिंह भाटिया पुत्र सुरिन्दर सिंह भाटिया, जी-3/35, पॉकेट 3, सेक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली-110085
दूसरा पता : दूसरी मंजिल, प्लॉट सं. 124, पॉकेट 9, सेक्टर 21, रोहिणी, दिल्ली-110086.

जैसा कि आप प्रमाणपत्र के अनुसार ओ.ए. दाखिल करने की तिथि अर्थात् 13.3.2015 से 10% प्रति वर्ष साधारण दर पर देय ब्याज, व्यय के साथ पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली द्वारा ओ.ए. सं. 216/2015 में तैयार की गई रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार रु. 45,21,199/- (रुपए पैंतालीस लाख इक्कीस हजार एक सौ निन्यानबे मात्र) की राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं जो आप पर बकाया हो गया है।

तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 19.03.2020 को 3.00 बजे अप. से 4 बजे के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) मैसर्स सी-1 इण्डिया प्रा.लि., उद्योग विहार, फेज 2, भवन सं. 301, गुरुग्राम, हरियाणा (भारत) दूरभाष : +91-7291981124/25/26 सम्पर्क व्यक्ति श्री विनोद चौहान मोबाइल नं. 9813887931 ई-मेल : support@bankeauctions.com वेबसाइट : https://www.bankeauctions.com द्वारा सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी।

किसी भी प्रकार की पूछताछ तथा सम्पत्ति के निरीक्षण करने के इच्छुक बोलीदाता सीएच बैंक के अधिकारी श्री सिवानंद भंजा, सहायक महाप्रबन्धक, पीएनबी एआरएमबी, मयूर विहार, दिल्ली मो. नं. 7044070801 से सम्पर्क करें।

यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. सम्पत्तियों, आरक्षित मूल्य तथा ईएमडी का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ज.ध.रा.
1	रोहिणी आवासीय योजना, रोहिणी, दिल्ली-110085 के लेआउट प्लान में स्थित बंधक सम्पत्ति सं. 209, पॉकेट 15, सेक्टर-24, द्वितीय एवं तृतीय तल बिल्ट-अप सम्पत्ति के छत के अधिकार सहित सम्पूर्ण आवासीय फ्रीहोल्ड, माप 32.00 वर्ग मीटर।	रु. 40,00,000/- (रुपये चालीस लाख मात्र) ज.ध.रा. रु. 4,00,000/- (रुपये चार लाख मात्र)

2. सम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जायेगी।
3. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
4. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।
5. ईएमडी का भुगतान 17.03.2020 तक रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III दिल्ली के पक्ष में रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III दिल्ली के पास देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा लिफाफे में किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
6. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, रिकवरी अधिकारी I, डीआरटी-III, नई दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
7. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 5 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III दिल्ली के पक्ष में डीडी द्वारा करना होगा।
8. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगत

बिक्री उद्घोषणा

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-II,
ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-01

आर.सी. सं. 567/2018 दिनांक : 02.01.2020

पंजाब नेशनल बैंक बनाम मेसर्स सिल्वर लाइन्स बाइजोक्स प्रा.लि.

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

सेवा में,
1. मैसर्स सिल्वर लाइन्स बाइजोक्स प्रा.लि., टी-2401, दूसरी मंजिल, फैज रोड, सुभाष नगर, नई दिल्ली-110005
साथ ही : दुकान नं. 95, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001
2. मुकुन्द प्रसाद श्रीवास्तव पुत्र शुभ नारायण प्रसाद श्रीवास्तव, 25-26, ब्लॉक सी-5, सुल्तानपुरी, नई दिल्ली
3. रीतू सिंगला पत्नी नितिन सिंगला, वी-14, भूतल, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली-110016
4. राजेश सिंगला पुत्र मोहन लाल सिंगला, वी-14, भूतल, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली-110016
5. नितिन सिंगला पुत्र राजेश सिंगला, वी-14, भूतल, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली-110016

जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा ओए नं. 178/2016, डीआरटी-III/दिल्ली में वसूली प्रमाणपत्र के संदर्भ में आपके द्वारा देय रु. 15,33,93,366.97 (रुपये पन्द्रह करोड़ तैंतीस लाख तिरानबे हजार तीन सौ छियासठ एवं सत्तानबे पैसे मात्र) तथा प्रमाणपत्र के अनुसार देय ब्याज एवं लागतों का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

तथा जैसा कि, 01.02.2016 से लागतों तथा उस पर ब्याज सहित रु. 15,33,93,366.97 (रुपये पन्द्रह करोड़ तैंतीस लाख तिरानबे हजार तीन सौ छियासठ एवं सत्तानबे पैसे मात्र) सीडी'ज पर बकाया हो गया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 22.02.2020 को 3.00 बजे अप. से 4 बजे के बीच ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली ''ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली'' के माध्यम से मै. ई-प्राक्योमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रॉक्योर), ए-201/208, वाल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कालेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत) टेली.: +91 07940016800, फैक्सः +91-7940016876 द्वारा वेबसाईट http://www.drt.auctiontiger.net के माध्यम से की जायेगी। सम्पर्क व्यक्तिः श्री नितीश झा, मोबाईल नं. 07982880393, ई-मेल आईडीः delhi@auctiontiger.net. अधिक विवरण के लिए सम्पर्क करें : श्री सिवानंद भंजा, सीएच बैंक के एजीएम, मो. नं. 7044070801.

यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए; ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी :

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ज.ध.रा.
1	सम्पत्ति अर्थात लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, सं. ए-19, कमला नगर, दिल्ली।	रु. 90,00,000/- ज.ध.रा. रु. 9,00,000/-

2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।
4. ईएमडी का भुगतान 20.02.2020 तक रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-III, दिल्ली के पास मुहरबन्द लिफाफे किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी मूल कॉपी, रिकवरी अधिकारी II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
6. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 4 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा।
7. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 3 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
8. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
9. संपत्ति की बिक्री 'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है' आधार पर की जा रही है।
10. अधोहस्ताक्षरी को अनुचित प्रतीत होने पर उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा नीलामी को रद्द करने का सम्प्रभु अधिकार प्राप्त है।

लॉट सं.	बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण, जहां संपत्ति चूककर्ता तथा सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का है, के नाम के साथ	संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य कोई ज्ञात विवरण
1	2	3	4	5
	सम्पत्ति अर्थात लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, सं. ए-19, कमला नगर, दिल्ली।	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 2 जनवरी, 2020 को दी गई।

(विकास जेटली)
रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली

बिक्री उद्घोषणा

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-01

आर.सी. सं. 213/2017 दिनांक : 07.01.2020

पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स पाइन एप्पल एस्टेट्स

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

सेवा में,
1. मैसर्स पाइन एप्पल एस्टेट्स प्रा.लि., पंजीकृत कार्यालय : 7/41, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
साथ ही : 240, बोंझा मैचलेस मेटल इण्डस्ट्रीज कम्पाउण्ड, पटेल मार्ग, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
2. श्री अमीष अरोड़ा पुत्र श्री सुधीर कुमार अरोड़ा, निवासी केएफ-16, कवि नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002
3. श्रीमती इन्दु अरोड़ा, निवासी केएफ-16, कवि नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002
4. श्री सुधीर कुमार अरोड़ा, निवासी केएफ-16, कवि नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002
5. मैसर्स सुप्रीम इलेक्टोकास्ट प्रा.लि., कार्यालय एन-102, कीर्तिनगर, नई दिल्ली
6. राजहंस होटल प्रा.लि., पंजीकृत कार्यालय : आनन्द विला, बुद्ध मार्ग, पटना, बिहार
साथ ही : 822 एवं 824, फर्रुखाबाद, दौलतपुर में स्थित, मेरठ, उत्तर प्रदेश।

जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा ओए नं. 12/15-डीआरटी-III, दिल्ली में वसूली प्रमाणपत्र के संदर्भ में आपके द्वारा देय रु. 11,49,32,813.70 (रुपये ग्यारह करोड़ उनचाल लाख बत्तीस हजार आठ सौ तेरह एवं सत्तर पैसे मात्र) तथा प्रमाणपत्र के अनुसार देय ब्याज एवं लागतों का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

तथा जैसा कि, 12.12.2014 से लागतों तथा उस पर ब्याज सहित रु. 11,49,32,813.70 (रुपये ग्यारह करोड़ उनचाल लाख बत्तीस हजार आठ सौ तेरह एवं सत्तर पैसे मात्र) सीडी'ज पर बकाया हो गया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 29.02.2020 को 3.00 बजे अप. से 4 बजे के बीच (यदि जरूरी हो तो बन्द होने के अन्तिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार सहित) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली ''ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली'' के माध्यम से मै. ई-प्राक्योमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रॉक्योर), ए-201/208, वाल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कालेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत) टेली.: +91 07940016800, फैक्सः +91-7940016876 द्वारा वेबसाईट http://www.drt.auctiontiger.net के माध्यम से की जायेगी। सम्पर्क व्यक्तिः श्री नितीश झा, मोबाईल नं. 07982880393, ई-मेल आईडीः delhi@auctiontiger.net.

किसी भी प्रकार की पूछताछ तथा सम्पत्ति के निरीक्षण करने के इच्छुक बोलीदाता सीएच बैंक के एजीएम श्री सिवानंद भंजा, मो. नं. 7044070801 से सम्पर्क करें।

यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए; ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।
2. सम्पत्तियों, आरक्षित मूल्य तथा ईएमडी का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ज.ध.रा.
1	सम्पत्ति सं. 822 एवं 824, फर्रुखाबाद, मेरठ, उ.प्र. क्षेत्रफल माप 7152.08 वर्ग गज	रु. 3,24,00,000/- (रुपये तीन करोड़ चौबीस लाख मात्र) ज.ध.रा. रु. 32,40,000/- (रुपये बत्तीस लाख चालीस हजार मात्र)

3. ईएमडी का भुगतान 27.02.2020 तक रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-III, दिल्ली के पास मुहरबन्द लिफाफे किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
4. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।
6. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, रिकवरी अधिकारी II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
7. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 4 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा।
8. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 3 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
9. असफल संविदाकार/रों को अपनी ज.ध.रा. की वापसी हेतु आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि को या इससे पूर्व डीआरटी-क्क्क की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाणपत्र सहित आवेदन करने का निर्देश दिया जाता है जिसे तदनुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित/आगामी तिथि पर वापस कर दिया जायेगा।
10. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
11. संपत्ति की बिक्री 'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है' आधार पर की जा रही है।
12. अधोहस्ताक्षरी को अनुचित प्रतीत होने पर उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा नीलामी को रद्द करने का सम्प्रभु अधिकार प्राप्त है।

लॉट सं.	बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण, जहां संपत्ति चूककर्ता तथा सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का है, के नाम के साथ	संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य कोई ज्ञात विवरण
1	2	3	4	5
	सम्पत्ति सं. 822 एवं 824, फर्रुखाबाद, मेरठ, उ.प्र. क्षेत्रफल माप 7152.08 वर्ग गज	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 7 जनवरी, 2020 को दी गई।

(विकास जेटली)
रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली

स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती मनाई गई

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 17 जनवरी।
स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती पंचांग के अनुसार शुक्रवार को माघ कृष्णपक्ष की सप्तमी तिथि के दिन श्रीरामकृष्ण मिशन सेवाश्रम मठ में हर्षोल्लासपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर सुबह चार बजे ब्रह्ममुहूर्त में मंगल आरती के साथ स्वामी विवेकानंद के जयंती समारोह का शुभारंभ हुआ। भजन, हवन और संतों के प्रवचन व प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मां, पत्नी व तीन बेटियों की हत्या कर की खुदकुशी की कोशिश

भागलपुर, 17 जनवरी (जनसत्ता)।

हताशा के शिकार एक आदमी ने अपनी बुजुर्ग मां समेत परिवार के पांच सदस्यों को गला घोंट कर मार डाला और खुद के शरीर पर भी धारदार हथियार से कई जख्म कर जान देने की कोशिश की। मगर इससे भी उसकी जान न गई तो चार मंजिला छत पर चढ़कर छलांग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे हवेली खड़गपुर अस्पताल में भर्ती कराया है। यह वाकया शुक्रवार तड़के का और मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाने के तहत कन्हैया टोला का है।

एसडीपीओ पोलस्ट कुमार के मुताबिक भरत केसरी गांव की गोशाला के बाहर घड़ी की दुकान चलाता है। दुकान के किरायानामा व इकरारनामे के कागजात घर से गुम हो जाने की वजह से वह परेशान हो अवसाद का शिकार हो गया था। कारण कि इकरारनामे के कागजात गोशाला कमेटी के अध्यक्ष ने दिखाने का दबाव बनाया था। उसे लग रहा था कि कागजात न दिखा पाने की हालत में उसे दुकान खाली करनी पड़ सकती है, जबकि कई साल से वह वहां दुकान खोल घड़ी बेचने का धंधा कर रहा था। इसी गुस्से में उसने इस घटना को अंजाम दिया। एसडीपीओ ने बताया कि शुक्रवार तड़के करीब चार बजे सबसे पहले उसने अपनी पत्नी आशा देवी की गला घोंट कर हत्या की। इसके बाद तीन बेटियों- शिवानी, शिवरन और सोनम को गला घोंट कर मार डाला।

फिर अपनी बूढ़ी मां सावित्री देवी की हत्या की। यह तो गनीमत रही कि मकर संक्रांति के दूसरे दिन इसका बेटा शिवम इंजीनियरिंग की तैयारी करने पटना गया था। वरना वह भी अपने पिता के हाथों मारा जा सकता था। इसके अलावा भरत ने अपने साढ़ू रतन केसरी के दो बेटों- ऋतिक और राजीव उर्फ रोशन की जान बख्श दी। ये दोनों इसी के यहां रहकर पढ़ रहे थे। घटना के समय घर में ही सोए थे। इन दोनों के पिता आसनसोल के जमुड़िया में रहते हैं। एसडीपीओ के मुताबिक सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच पांचों लाशों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और जख्मी भरत केसरी को गिरफ्तार कर इलाज कराया जा रहा है।

केन फिन होम्स लि.
सी-18, प्रथम तल, आरडीसी, गाजियाबाद, उ.प्र.-201002
फोनः 0120-4086097/7625079222
ईमेलः ghaziabad@canfinhomes.com CIN No. L85110KA1987PLC008699

कब्जा सूचना [नियम 8 (1) (अचल सम्पत्ति के लिये]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केन फिन होम्स लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप एवं उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 1.11.2019 जारी कर ऋणधारकों श्रीमती सोनिया एवं श्री भूपेन्दर को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 19,56,601/- के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 14 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 19,56,601/- तथा उस पर ब्याज के लिये सीएचएफएल के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पूर्ण प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के), सम्पत्ति प्रा. न. बी, सम्पत्ति सं. 179 म, जावन नगर, नई दिल्ली-110014, उत्तरः सम्पत्ति का भाग, पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः प्रवेश, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति।

तिथिः 17.01.2020 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः गाजियाबाद कैन फिन होम्स लि.

वेलियंट कॉम्यूनिकेशंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 71/1 शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015
सीआईएनः L74899DL1993PLC056657

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक **शुक्रवार, 7 फरवरी, 2020** को पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए कम्पनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

कृते **वेलियंट कॉम्यूनिकेशंस लिमिटेड**
स्थान नई दिल्ली **मनीष कुमार**
दिनांक 17.01.2020 कंपनी सचिव

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
ई-निविदा तिथि विस्तार सूचना ई निविदा सूचना

सं0 ETC/MU/T-239/2019-20, ETC/MU/T-240/2019-20 एवं ETC/MU/T-241/2019- 20 के सम्बन्ध में सूचित करना है कि पर्याप्त निविदा उद्धरण (बिड) प्राप्त न होने के फलस्वरूप उक्त निविदा को दिनांक 23.01.2020 तक विस्तारित किया जाता है। कृपया www.etender.up.nic.in पर विस्तार से सभी सूचना, विवरण/डाउनलोड तथा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन/विस्तार हेतु निविदा खुलने की तिथि तक लॉग ऑन करे। शेष अन्य नियम व शर्ते यथावत रहेंगी।

"राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें" पत्रांक/ No. 79/वि0पा0म0(ETC)/मु0नगर (MZN)/ दिनांक/ DATED 16.01.2020

ऋण वसूली अधिकरण-II, चंडीगढ़
(वित्त मंत्रालय)
एस.सी.ओ. नं. 33-34-35, 1ला तल, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़-160017
ओ.ए. नं. 2019 के 1288 में समन्स

सिंडिकेट बैंक बनाम एमए एक्स्ट्रीम पर्फ्यूम्स एंड पर्सनल केअर प्रा.लि. तथा अन्य

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, समय-समय पर यथा संशोधित के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित आरडीडीबी एवं एफआई अधिनियम, 1993 की धारा 19 के अंतर्गत समन्स

सेवा में,
1. श्री संजीव नैय्यर ऊर्फ संजीव नैयर, पुत्र श्री अजीत कुमार नैय्यर, निदेशकगारन्टर निवासीः एमरॉल्ड कोर्ट-2, फ्लैट नं. 302, एसेल टावर, एमजी रोड, गुड़गाँव, हरियाणा, मोबाईल नं. 9999191790, 9818087111, पुलिस स्टेशन-सेक्टर-29, गुरुग्राम, पैन नं. ACCPN3635Q, DIN No. 06701968

ऊपर वर्णित मामला **रु. 12,55,708.55** के ऋणों की वसूली के लिए बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 के अंतर्गत इस अधिकरण में दाखिल की गई है।

2. जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह सिद्ध हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है, अतः दो अग्रणी समाचार-पत्रों में इस सूचना के प्रकाशन द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिवत अधिकृत एजेन्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से **24.01.2020** को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। आपको यह कारण बताना होगा कि ओए में मांगी गई राहतों को क्यों न स्वीकार की जाए तथा व्यक्तिगत अथवा विधिवत अधिकृत एजेन्ट अथवा लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से अपनी प्रतिरक्षा में जवाब, यदि कोई हो, दाखिल करना होगा तथा इस अधिकरण के समक्ष ओए में आप जो भी आवश्यक समझें, सभी दस्तावेजों तथा शपथ-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा ओए की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी।

3. आपको यह कारण बताना होगा कि मांगी गई अंतरिम राहत(तों) को क्यूं न स्वीकार की जाये।

मेरे हाथ से तथा इस अधिकरण की मुहर लगाकर **14 जनवरी,** 2020 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार

J&K Bank Serving To Empower
द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
बाधित परिसंपत्ति पोर्टफोलिओ प्रबंध विभाग
अंचल कार्यालय उत्तर, प्लॉट नं. 132-134, सेक्टर-44, गुड़गांव (हरियाणा)
टे.:0124-4715800; ई-मेलः iapmd.del@jkbmail.com

1. श्री गुरप्रीत सिंह आनंद, पुत्र श्री जोगिन्दर पाल सिंह आनंद, निवासीः 0-2, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली (ऋणधारक/मार्टगैजर)
** साथ हीः अंसल्स सुशांत इस्टेट, फ्लैट नं. 704, टावर नं. 6, सेक्टर-52, गुड़गाँव, हरियाणा-122002
2. श्री जोगिन्दर पाल सिंह, पुत्र श्री माखन सिंह आनंद, निवासीः एस.आर.गंज, फायर स्टेशन के निकट, श्रीनगर, कश्मीर-190002 (गारन्टर)
** साथ हीः आनंद बिल्ला पाइन एन्क्लेव, बरजौला बघाट, श्रीनगर, कश्मीर जेएंडके-190002
** साथ हीः कोठी नं. 111, ग्रीन एवैन्यू

आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, एसडीपीआइ के छह चरमपंथी गिरफ्तार

बंगलुरु, 17 जनवरी (भाषा)।

बंगलुरु में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआइ) के छह सदस्यों की गिरफ्तारी के साथ एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है जिन्होंने 22 दिसंबर को सीएए के समर्थन में एक रैली में भाग लेने वाले एक आरएसएस कार्यकर्ता की कथित तौर पर हत्या का प्रयास किया था। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बंगलुरु के पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने बताया गिरफ्तार लोगों की पहचान इरफान, सैयद अकबर, सैयद सिद्दीकी, अकबर बाशा, सनाउल्ला और सादिक अमीन उर्फ साउंड अमीन के तौर पर की गयी। ये सभी शहर के केजी हल्ली इलाके के रहने वाले हैं।

पिछले महीने हुई सीएए समर्थक रैली में प्रमुख वक्ताओं में बंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और दक्षिणपंथी नेता चक्रवर्ती सुलीबेले शामिल थे।

राव के मुताबिक एसडीपीआइ के सदस्य चोरी की तीन मोटरसाइकिलों पर रैली स्थल पहुंचे। उन्होंने शुरू में भीड़ में घुसने का प्रयास किया लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण ऐसा नहीं कर सके। आयुक्त ने कहा कि वे पत्थर फेंककर दहशत पैदा करना चाहते थे ताकि लोग वहां से भागने लगें और उनके लिए अपने काम को अंजाम देना आसान हो जाए। हालांकि पत्थर निशाने पर नहीं लगे।

इसके बाद उन्होंने रैली में आए लोगों को पानी दे रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता वरुण पर अपना ध्यान लगा दिया और उन्होंने घटर लौटते समय वरुण पर हमला किया। आयुक्त के मुताबिक समय पर इलाज मिलने से वरुण की जान बच गई। उन्होंने बताया कि वे सभी एसडीपीआइ से हैं और 22 दिसंबर को बंगलुरु शहर में तबाही मचाने के लिए कायरतापूर्ण कृत्य करना चाहते थे। पुलिस आयुक्त ने बताया कि उन्हें उनके आका इस तरह के कामों को अंजाम देने के लिए 10,000 रुपए प्रति महीना देते थे। मामले की जांच आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को सौंपी गई है।

रहस्यमय परिस्थितियों में घर में मृत मिले एमजीपी के पूर्व नेता नाईक

पणजी, 17 जनवरी (भाषा)। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के नेता प्रकाश नाईक शुक्रवार सुबह अपने घर में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत मिले। पुलिस ने यह जानकारी दी।

नाईक ने 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव एमजीपी के टिकट पर सांताक्रूज निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन वह हार गए थे। नाईक ने बाद में पार्टी छोड़ दी थी। वह उत्तरी गोवा में पंचायत सदस्य थे। ओल्ड गोवा के पुलिस निरीक्षक कृष्ण सिनारी ने बताया कि नाईक का शव मेर्सेस गांव स्थित उनके घर में मिला, जिस पर गोलियों के निशान हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SHRI BALAJI BETEL NUTS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS		
1	Name of corporate debtor	Shri Balaji Betel Nuts Private Ltd.
2	Date of incorporation of corporate debtor	15-12-2010
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Delhi
4	Corporate Identity No./Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U16000DL2010PTC256780
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	208, 2nd Floor, EMCA House 23/23-B, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi 110002.
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	16.01.2020
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	13.07.2020
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Vikram Singh Rathore Reg. No.: IBBI/IPA-003/IPA-ICAI/N-00203/2018-19/12361
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Vikram Singh Rathore B 138 Vinoba Bhave Nagar, Amirapati Marg, Vaishali, Jaipur 302021. Vikram.nimbi@gmail.com
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Shri Balaji Betel Nuts Private Ltd. 208, 2nd Floor, EMCA House, 23/23-B, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi 110002. Vikram.nimbi@gmail.com
11	Last date for submission of claims	30.01.2020
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	**Not Applicable**
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	**Not Applicable**
14	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives Are available at:	**https://ibbi.gov.in/home/downloads** Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **Shri Balaji Betel Nuts Private Ltd.** on **16.01.2020.**
The creditors of **Shri Balaji Betel Nuts Private Ltd.** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **January 30, 2020** to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class [specify class] in Form CA.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.
Name and Signature of Interim Resolution Professional : Vikram Singh Rathore
Reg. No. IBBI/IPA-ICAI/N/00203/2018-19/12361
Date and Place : 17.01.2020, Delhi

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण
नई दिल्ली पीठ के समक्ष
कम्पनी याचिका (सीएए) सं. 165/एनडी/2019
कम्पनी आवेदन (सीएए) सं. 152/एनडी/2019 से सम्बद्ध
(कम्पनी अधिनियम 2013 की धाराओं 230 से 232 के तहत)
कम्पनी अधिनियम 2013 के मामले में
तथा

निम्नलिखित के मामले में :
ग्लोबल पॉवर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड तथा डीएस स्पाइसको प्राइवेट लिमिटेड एवं उनके सम्बद्ध शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य की समामेलन योजना।

एवं

निम्नलिखित के मामले में :

ग्लोबल पॉवर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, [सीआईएन : U31100DL2010PLC201125], [पैन : AADCG7523N], कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत पता है : 4828/24, प्रह्लाद लेन, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली-110002.	याचिकाकर्ता /समामेलक कम्पनी
डीएस स्पाइसको प्राइवेट लिमिटेड, [सीआईएन : U15122DL2013PTC254373], [पैन : AAECD6959Q], कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत पता है : 4828/24, प्रह्लाद लेन, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली-110002.	याचिकाकर्ता /समामेलित कम्पनी

याचिका की सूचना

ध्यान दें कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ की संस्तुति प्राप्त करने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत ग्लोबल पॉवर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड तथा डीएस स्पासको प्राइवेट लिमिटेड एवं उनके सम्बद्ध शेयरधारकों के मध्य समामेलन की एक योजना ("योजना") 13 दिसम्बर, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के पास याचिकाकर्ता कम्पनी द्वारा याचिका प्रस्तुत की गयी तथा इसे सुनवाई हेतु 18 दिसम्बर, 2019 और 2 जनवरी, 2020 को सूचीबद्ध किया गया तथा आदेश की घोषणा 8 जनवरी, 2020 को की गयी। अब सुनवाई हेतु कथित याचिका 27 मार्च, 2020 को 10.30 बजे प्रातः निश्चित की गयी है।

कथित याचिका का समर्थन या विरोध करने वाले किसी व्यक्ति को अपने इरादे की सूचना याचिकाकर्ता कम्पनी के अधिवक्ता के पास अपने द्वारा या अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने नाम तथा पते सहित इस प्रकार भेजी जाये ताकि वह याचिकाकर्ता कम्पनी के अधिवक्ता के याचिका की सुनवाई की निर्धारित तिथि से अधिकतम दो (2) दिन पूर्व पहुँच जाए।

यदि वह याचिका का विरोध करता है तो इस सूचना के साथ विरोध की पृष्ठभूमि अथवा अपना शपथपत्र उल्लिखित करना होगा।

याचिका की एक प्रति इसे प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यक्ति के पास इसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

दिनांक : 18 जनवरी, 2020.

[अनिरुद्ध दास]
शार्दूल अमरचन्द मंगलदास एण्ड कम्पनी
याचिकाकर्ता कम्पनियों के अधिवक्ता
अमरचन्द टावर्स
216, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III
नई दिल्ली-110020
दूरभाष : 26920500, 51590700 फैक्स : 26922900, 26924900
ई-मेल : anirudh.das@amsshardul.com
मोबाइल : 98100-98329

HDFC WITH YOU, RIGHT THROUGH

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली–110067
दूरभाष: 011-41596676/568, CIN L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

ई–नीलामी बिक्री सूचना (केवल ई–बिडिंग के माध्यम से बिक्री)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

कॉलम (क) में वर्णित कर्जदार (रों) और गारंटर (रों) और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कॉलम (ग) में दर्शाई गई प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित अचल सम्पत्ति (यों) जिनका हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी लि.), प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कॉलम (घ) में वर्णित अनुसार रचनात्मक/भौतिक कब्जा लिया था, उन्हें नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार **"जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" एवं "जो भी वहां है"** आधार पर बेचा जाएगा:

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत **कॉलम (क)** में वर्णित कर्जदार/बंधककर्ता (ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधियों (चाहे ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक (कों), प्रशासक (कों), संबंधित कर्जदार (रों)/बंधककर्ता (ओं) (अब मृतक) के उत्तराधिकारी और वारिस, जैसा भी मामला हो, को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है।

बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी लि.) प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट, यानी, www.HDFC.Com पर दिये गये लिंक को देखें।

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)
कर्जदार (रों)/बंधककर्ता (ओं)/गारंटर (रों)/कानूनी उत्तराधिकारी एवं विधिक प्रतिनिधियों (चाहे ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक (कों), प्रशासक (कों), संबंधित कर्जदा (रों)/बंधककर्ता (ओं)/गारंटर (रों) (अब मृतक) के उत्तराधिकारी और वारिस, जैसा भी मामला हो, का नाम।	वसूल की जाने वाली बकाया राशि (प्रतिभूत ऋण) (रु.)*	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	अधिग्रहण का प्रकार	निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य (रु.)	बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि	अग्रिम जमा राशि (रु.)	बोली बढ़ोत्तरी दर (रु.)	नीलामी की तिथि एवं समय
1) श्री गौतम अरोरा एवं सुश्री शैली सहाय (ऋण खाता सं. 604147923)	31 दिसम्बर 2018* को रु. 1,68,00,785/– (केवल एक करोड़ अड़सठ लाख सात सौ पचासी रुपए)	प्लॉट नं. एच–1/14, हौज खास, नई दिल्ली पर छत अधिकार के साथ फ्रीहोल्ड द्वितीय तल फ्लैट, द्वितीय तल पर एरिया परिमाप 1000 वर्ग फीट (लगभग) और प्लॉट एरिया 1616.69 वर्ग फीट पर निर्मित छत पर 800 वर्ग फीट (लगभग) जिसमें दूसरे तल पर ड्राइंग डायनिंग एवं किचन के साथ 2 बेडरूम और छत पर 2 रूम एवं किचन के साथ भूमि के निचले भाग पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।	भौतिक अधिग्रहण	27–जनवरी–2020 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु 1,45,00,000/- (केवल एक करोड़ पैंतालीस लाख रुपए)	20–फरवरी–2020 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 25,000/- (केवल पच्चीस हजार रुपए)	24-फरवरी-2020 प्रातः 10 बजे से 10:30 बजे तक
2) श्री गौतम चुघ, श्री गौरव चुघ श्री यादवंश कुमार चुघ सुश्री कमलेश चुघ (ऋण खाता सं. 614687740)	रु. 71,55,044/– (केवल इकहत्तर लाख पचपन हजार चौवालीस रुपए)	फ्लैट–सी–213, 21वां तल, दि पीसफुल होम्स, टॉवर–सी, एस नं. सैक्टर 70ए, गांव पालरा, गुड़गांव परिमाप सुपर एरिया 1565 वर्ग फीट (लगभग) के साथ एक कार पार्किंग स्थान का एकल उपयोग अधिकार।	भौतिक अधिग्रहण	27–जनवरी–2020 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु 69,00,000/- (केवल उनहत्तर लाख रुपए)	20–फरवरी–2020 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु.20,000/- (केवल बीस हजार रुपए)	24-फरवरी-2020 प्रातः 11 बजे से 11:30 बजे तक
3) श्री हिमाद्री चटर्जी (ऋण खाता सं. 609196623)	30 अप्रैल 2018* को रु. 91,93,677/– (केवल इक्यानवे लाख तीरानवे हजार छह सौ सतहत्तर रुपए)	दिव्यांश प्रथम खसरा नं. 407–408, गांव कनवानी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद में फ्लैट नं. 1311, तीसरा तल जिसमें 3 बेड रूम प्लस सर्वेंट रूम, 4 शौचालय एवं 3 बालकोनी शामिल हैं, सुपर एरिया परिमाप 1835 वर्ग फीट (लगभग) के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा एवं उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।	भौतिक अधिग्रहण	28–जनवरी–2020 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 64,50,000/- केवल चौसठ लाख पचास हजार रुपए)	20–फरवरी–2020 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु.10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	24-फरवरी-2020 दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक
4) श्री संजीव सक्सेना (ऋण खाता सं. 605081185)	31 अक्टूबर 2017* को रु. 17,81,471/– (केवल सत्रह लाख इक्यासी हजार चार सौ इकहत्तर रुपए)	फ्लैट नं. जी–2, एलआईजी, भूतल, वैशाली, प्लॉट नं. 6/111ए, सैक्टर–6, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, परिमाप 484 वर्ग फीट (लगभग)	भौतिक अधिग्रहण	29–जनवरी–2020 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु 16,50,000/- (केवल सोलह लाख पचास हजार रुपए)	20–फरवरी–2020 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु.10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	25-फरवरी-2020 अप. 3 बजे से 3:30 बजे तक
5) श्री मनीष शर्मा एवं सुश्री ममता शर्मा (ऋण खाता सं. 627611068)	31 मार्च 2019* को रु. 41,43,526/– (केवल इकतालीस लाख तैंतालीस हजार पांच सौ छब्बीस रुपए)	मकान नं. 211, ब्लॉक–एच, पॉकेट–17, सैक्टर–7, रोहिणी, नई दिल्ली में स्थित फ्रीहोल्ड स्वतंत्र तीसरा तल छत अधिकार के साथ, परिमाप 807 वर्ग फीट जिसमें 2 बेडरूम शामिल हैं।	भौतिक अधिग्रहण	28–जनवरी–2020 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 49,00,000/- (केवल उनचास लाख रुपए)	20–फरवरी–2020 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु.10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	24-फरवरी-2020 अप. 1 बजे से 1:30 बजे तक
6) सुश्री पूनम राघव, सुश्री रीना राघव एवं श्री विक्रम राघव (श्री चेतन राघव (कर्जदार) (अब मृतक) की पत्नी/माता/पिता एवं श्री चेतन राघव (कर्जदार) (अब मृतक) के अन्य ज्ञात एवं अज्ञात कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एवं वारिस (एलएसी नं. खाता सं. 606964022)	31 जनवरी, 2019* को बकाया रु 35,27,140/– (केवल पैंतीस लाख सत्ताइस हजार एक सौ चालीस रुपए)	एक्सप्रेस पार्क व्यू–2, प्लॉट नं. जीएच–03, सैक्टर थाई–V, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा में स्थित 2 बेडरूम फ्लैट नं. 801, 8वां तल, टॉवर–जे, सुपर एरिया 1114 वर्ग फीट (लगभग) और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।	भौतिक अधिग्रहण	29–जनवरी–2020 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु 26,00,000/- (केवल छब्बीस लाख रुपए)	20–फरवरी–2020 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु.10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	24-फरवरी-2020 अप. 2 बजे से 2:30 बजे तक
7) श्री स्कन्द मित्तल एवं श्रीमती मिली जैन (ऋण खाता सं. 615175675)	31 जुलाई 2019* को रु. 1,24,25,740/– (केवल एक करोड़ चौबीस लाख पच्चीस हजार सात सौ चालीस रुपए)	प्लॉट नं. जीएच–1सी, सैक्टर–168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश में स्थित यूनिट/फ्लैट नं. 602, छठा तल, टॉवर–1 के साथ आवासीय प्रोजेक्ट सनवर्ड अरिस्टा के साथ सम्बद्ध सभी क्षेत्र, सुपर एरिया 2,100 वर्ग फीट (लगभग) के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।	भौतिक अधिग्रहण	30–जनवरी–2020 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु 82,00,000/- (केवल बयासी लाख रुपए)	20–फरवरी–2020 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु.10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	24-फरवरी-2020 अप. 3 बजे से 3:30 बजे तक
8) श्री स्कन्द मित्तल एवं श्रीमती मिली जैन (ऋण खाता सं. 615175527)	31 जुलाई 2019* को रु. 1,17,22,977/– (केवल एक करोड़ सत्रह लाख बाईस हजार नौ सौ सतहत्तर रुपए)	प्लॉट नं. जीएच–1सी, सैक्टर–168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश में स्थित यूनिट/फ्लैट नं. 1003, 10वां तल, टॉवर–1 के साथ आवासीय प्रोजेक्ट सनवर्ड अरिस्टा के साथ सम्बद्ध सभी क्षेत्र, सुपर एरिया 2,100 वर्ग फीट (लगभग) के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।	भौतिक अधिग्रहण	30–जनवरी–2020 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु 82,00,000/- (केवल बयासी लाख रुपए)	20–फरवरी–2020 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु.10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	24-फरवरी-2020 सायं 4 बजे से 4:30 बजे तक
9) श्री सादत अनवर एवं श्रीमती शबनम सादत (ऋण खाता सं. 623521336)	30 अप्रैल 2019* को रु. 68,34,714/– (केवल अड़सठ लाख चौंतीस हजार सात सौ चौदह रुपए)	रहेजा सम्पदा, सैक्टर–92, गांव सिवाना, तहसील वजीरपुर, गुड़गांव में 3 बेडरूम फ्लैट नं. टी1–0012, भूतल, टॉवर–1, सुपर एरिया 1370 वर्ग फीट (लगभग) के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।	भौतिक अधिग्रहण	30–जनवरी–2020 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे	रु.45,00,000/- (केवल पैंतालीस लाख रुपए)	20–फरवरी–2020 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु.10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	24-फरवरी-2020 सायं 5 बजे से 5:30 बजे तक
10) श्रीमती पूनम प्रियदर्शिनी सिंह एवं श्री संजय जोशी (ऋण खाता सं. 617077920)	31 जुलाई 2019* को रु. 53,88,465/– (केवल तिरपन लाख अठ्ठासी हजार चार सौ पैंसठ रुपए)	पूर्वांचल रॉयल सिटी, प्लॉट नं. जीएच–05, सैक्टर–चाई–V, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 3 बेडरूम फ्लैट नं. बी–1/1459, टॉवर–12ए, सुपर एरिया 1735 वर्ग फीट (लगभग) के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।	भौतिक अधिग्रहण	23–जनवरी–2020 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु 52,00,000/- (केवल बावन लाख रुपए)	20–फरवरी–2020 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु.10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	25-फरवरी-2020 अप. 2 बजे से 2:30 बजे तक
11) श्री फहीम अली एवं श्रीमती हसन फातिमा (ऋण खाता सं. 622635250)	31 जुलाई 2019* को रु. 27,78,170/– (केवल सत्ताईस लाख अठहत्तर हजार एक सौ सत्तर रुपए)	खसरा नं. 1010, 1011 एवं 1012, गांव नूरनगर, राज नगर, परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एससीसी सेफियर में स्थित 2 बेडरूम फ्लैट नं. 501, चौथा तल, ब्लॉक–ई, सुपर एरिया 1000 वर्ग फीट (लगभग) के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।	भौतिक अधिग्रहण	23–जनवरी–2020 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु 25,00,000/- (केवल पच्चीस लाख रुपए)	20–फरवरी–2020 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु.10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	25-फरवरी-2020 प्रातः 10 बजे से 10:30 बजे तक
12) श्री अभिनव गालव एवं सुश्री नीतू गालव (ऋण खाता सं. 609027119)	31 दिसम्बर 2018* को रु. 20,23,476/– (केवल बीस लाख तेईस हजार चार सौ छिहत्तर रुपए)	बालमुकंदा रेजीडेंसी, खसरा नं. 948, राज नगर एक्सटेंशन, गांव नूर नगर एनएच–58, गाजियाबाद में स्थित 2 बेडरूम फ्लैट नं. ए–115, 11वां तल, टॉवर–ए, सुपर एरिया 950 वर्ग फीट (लगभग) के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।	भौतिक अधिग्रहण	22–जनवरी–2020 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 22,00,000/- (केवल बाईस लाख रुपए)	20–फरवरी–2020 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु.10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	25-फरवरी-2020 प्रातः 11 बजे से 11:30 बजे तक
13) श्री देवेन्द्र कुमार सिंह एवं सुश्री जुगनू सिंह (ऋण खाता सं. 601127177)	31 जुलाई 2019* को रु. 34,11,779/– (केवल चौंतीस लाख ग्यारह हजार सात सौ उन्यासी रुपए)	एसोटेक विन्डसर कोर्ट, जीएच–04ए, सैक्टर–78, नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित 3 बेडरूम फ्लैट नं. ई–0204, दूसरा तल, टॉवर–ई, सुपर एरिया 1465 वर्ग फीट (लगभग) और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।	भौतिक अधिग्रहण	22–जनवरी–2020 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु.45,50,000/- (केवल पैंतालीस लाख पचास हजार रुपए)	20–फरवरी–2020 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु.10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	25-फरवरी-2020 दोप. 12 बजे से 12:30 बजे तक

*साथ में भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उपार्जित उस पर लागू अनुसार आगे ब्याज 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर, प्रासंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि।

एचडीएफसी लि. के प्राधिकृत अधिकारी के पूरे ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार निम्नलिखित को छोड़कर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के संबंध में कोई अधिभार नहीं है।

श्रीमती पूनम प्रियदर्शिनी सिंह एवं श्री संजय जोशी की क्र.सं. 10 और श्री अभिनव गालव एवं सुश्री नीतू गालव की क्र.सं. 12 और श्री देवेन्द्र कुमार सिंह एवं सुश्री जुगनु सिंह की क्र.सं. 13 में सम्पत्तियों के संबंध में 29 फरवरी, 2020 तक बिल्डर/सोसाइटी की बकाया राशि सम्पूर्ण बिक्री राशि एवं बिक्री प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद एचडीएफसी लि. द्वारा भुगतान किया जाएगा। 1 मार्च 2020 के बाद बकायों को सफल खरीददार/बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाएगा।

अन्य सम्पत्तियों के संबंध में संभावित खरीददारों/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी बोली जमा करने से पूर्व और यदि कथित बकाया किसी सफल खरीददार/बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाता है तो सम्पत्ति के संबंध में बिल्डर/सोसाइटी या किसी अन्य सांविधिक/अन्य बकाया आदि के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करा लें।

क्रम सं. 5, 7 एवं 8 में सम्पत्ति के संबंध में कर्जदारों ने एचडीएफसी के खिलाफ निम्नलिखित मुकदमे दाखिल किये हैं। वाद/कार्यवाही का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सम्पत्ति क्रम सं.	मुकदमा/वाद सं.	वाद का शीर्षक
5	2019 का एसए नं. 253	माननीय डीआरटी–III दिल्ली में मनीष शर्मा बनाम एचडीएफसी लि.
7	2019 का सीएस नं. 586	न्यायालय एलडी. वरिष्ठ सिविल जज, तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली में स्कन्द मित्तल बनाम एचडीएफसी लि. एवं अन्य
8	2019 का सीएस नं. 587	न्यायालय एलडी. वरिष्ठ सिविल जज, तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली में स्कन्द मित्तल बनाम एचडीएफसी लि. एवं अन्य

उपरोक्त अभियोगों/कार्यवाहियों पर समय–समय पर माननीय कोर्ट द्वारा पारित अंतिम निर्णय और/या आदेशों, निर्देशों आदि के अधीन बिक्री की जाएगी। सफल बोलीदाता/खरीददारों को माननीय कोर्ट/डीआरटी के आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करते हुए उपरोक्त ऋणभारों सहित उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों से जुड़े सभी ऋणभारों को चुकाना होगा।

एचडीएफसी ने उपरोक्त अभियोग में कर्जदारों के दावे को शामिल नहीं किया है और वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित किए गए अनुसार प्रस्तावित बिक्री एचडीएफसी के पास उपलब्ध अधिकारों और उपायों से पूर्वाग्रह के बिना की जाएगी।

जैसा कि इस तिथि को एचडीएफसी/एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री करने, हस्तांतरण करने और/या निपटान करने से रोकने तथा/या स्थगित करने वाला कोई आदेश नहीं है।

एचडीएफसी, दस्तावेजों, जिन पर उपरोक्त कार्यवाहियों (जो न्यायाधीन लंबित है) में विश्वास किया गया है या संबंधित आवेदक द्वारा बहस में या अन्यथा आरोपित किन्हीं तथ्यों या किए गए प्रतिवेदनों में निहित जानकारी की सत्यता या पूर्णता का आश्वासन नहीं देता।

संभावित खरीददार/निविदादाता और इच्छुक पार्टियां एचडीएफसी के पास उपलब्ध उपरोक्त विषयों से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेजों सहित उपरोक्त कार्यवाहियों/पारित आदेशों में दाखिल सिफारिशों का स्वतंत्र रूप से जांच कर सकते हैं और निविदाएं जमा करने या प्रस्ताव देने से पूर्व इस बारे में स्वयं को सभी विषयों से संतुष्ट कर सकती हैं।

एचडीएफसी/एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी बाद में चाहे यह सूचना की अनुपलब्धता या अन्य के कारण किसी भी स्थिति में सफल बोलीदाताओं/खरीददारों द्वारा उपार्जित किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

सफल बोलीदाताओं/क्रेताओं को उपरोक्त जैसा भी हो सहित किंतु इतने तक सीमित नहीं, किसी भी आधार पर एचडीएफसी के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं होगा। फिर भी, यह संभावित बोलीदाताओं/क्रेताओं के हित में होगा कि वे बोली जमा करने और/या प्रस्ताव देने से पूर्व स्वयं सभी तथ्यों से अवगत रहें जो उनके निर्णय को प्रभावित कर सकता है।

मैसर्स श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड ई–बोली प्रक्रिया के माध्यम से नीलामी के आयोजन में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेंगे। सम्पत्ति का निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए **श्री शादाब अख्तर (मोबाईल नं. 9910453434) मैसर्स श्रीराम ऑटोमाल इंडिया लिमिटेड या श्री अजु अशोक, प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी लि. (011–41596568, मोबाईल नं. 9971380421) या श्री सचिन कपूर, प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी लि. (011–41596568, मोबाईल नं. 8968570037) या श्री नीलम मिश्रा (मोबाईल नं. 8527464627) से संपर्क कर सकते हैं।**

बोली दस्तावेज को हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी) के प्राधिकृत अधिकारी, दूसरा तल, द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली–110067 या मैसर्स श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड से संग्रह/प्राप्त किये जा सकते हैं।

प्रतिभूत परिसम्पत्ति को "जैसा है जहां है" एवं "जो है जैसा है" आधार पर बेचा जा रहा है।

दिनांक : 17 जनवरी 2020
स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय: रेमन हाउस, एच टी पारेख मार्ग, 169, बैकबे रिक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई–400 020

www.readwhere.com

शेयर बाजारों में स्थिरता, फंसे कर्ज की चिंता में बैंकों के शेयरों में गिरावट

मुंबई, 17 जनवरी (भाषा)।

शेयर बाजारों में शुरुआती बढ़त कायम नहीं रही, जिससे बंबई शेयर बाजार का सूचकांक और एनएसई निफ्टी शुक्रवार को लगभग स्थिर बंद हुए। सुप्रीम कोर्ट के दूरसंचार कंपनियों के समायोजिक सकल आय (एजीआर) मामले में निर्णय का बैंक क्षेत्र में दबाव वाली संपत्ति को लेकर समस्या और बढ़ने की चिंता के बीच निवेशक बाजार से दूर रहे।

तीस शेयरों वाला बीएसई सूचकांक कारोबार के दौरान एक समय 42,063.93 तक पहुंचा, लेकिन अंत में 12.81 अंक यानी 0.03 फीसद बढ़कर 41,945.37 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 3.15 अंक यानी 0.03 फीसद की मामूली गिरावट के साथ 12,352.35 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी कारोबार के दौरान एक समय 12,385.45 के उच्च स्तर तक चला गया था। सप्ताह के दौरान सूचकांक 345.65 अंक यानी 0.83 फीसद, जबकि निफ्टी 95.55 अंक यानी 0.77 फीसद मजबूत हुए।

सूचकांक के शेयरों में भारती एयरटेल सर्वाधिक लाभ में रही। इसमें 5.47 फीसद की तेजी आई। विशेषज्ञों के बयान के बाद कंपनी का शेयर चढ़ा है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के दूरसंचार कंपनियों पर वैधानिक 1.47 लाख करोड़ रुपए की देनदारी के पूर्व के आदेश को लेकर दूरसंचार कंपनियों की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद वोडाफोन आइडिया की भारतीय बाजार प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रभावित होगी। वहीं दूसरी तरफ भारती एयरटेल और रिलायंस जियो की बाजार हिस्सेदारी बढ़ेगी। वोडाफोन आइडिया का शेयर 25.51 फीसद लुढ़क गया।

जेट एयरवेज नीदरलैंड का कारोबार केएलएम को बेचेगी

नई दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा)।

दिवालिया हो चुकी जेट एयरवेज की योजना अपने नीदरलैंड के कारोबार को केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस को बेचने की है। जेट एयरवेज ने नकदी संकट के चलते पिछले साल अप्रैल में अपना परिचालन बंद कर दिया था। अभी कंपनी दिवाला प्रक्रिया के तहत है।

शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि वर्तमान में कंपनी का कामकाज संभाल रहे ऋणशोधन समाधानकर्ता विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वह हितधारकों के लिए कंपनी के समाधान और अधिकतम मूल्य को सुनिश्चित करने की दिशा में ऐसा कर रहे हैं।

कंपनी ने जानकारी दी कि नीदरलैंड में अलग से परिसमापन की प्रक्रिया जारी है और समाधानकर्ता ने वहां की स्थानीय अदालत द्वारा नियुक्त डच न्यासी के साथ प्रक्रिया में सहयोग करने की सहमति दी है।

कंपनी ने बताया कि डच न्यासी और कंपनी ने कोनिंकलिज्के लुचवार्ट मात्शापिज (केएलएम) के साथ 13 जनवरी 2020 को एक सशर्त खरीद-फरोख्त समझौता किया है।

अमेजन 2025 तक भारत में देगी दस लाख नौकरियां

नई दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा)।

वैश्विक ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन ने शुक्रवार को कहा कि वह प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक नेटवर्क में निवेश करेगी। उसकी योजना इसके माध्यम से अगले पांच साल में देश में दस लाख नए रोजगार सृजित करने की है।

कंपनी ने कहा कि यह रोजगार पिछले छह साल में उसके निवेश से सृजित हुए सात लाख से अधिक रोजगार से अलग होगा। कंपनी ने एक बयान में कहा, 'अमेजन की योजना 2025 तक भारत में दस लाख नए रोजगार सृजित करने की है।'

बयान के अनुसार, इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों शामिल है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, मनोरंजन सामग्री निर्माण, खुदरा, लॉजिस्टिक और विनिर्माण इत्यादि सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजित होगा।

अमेजन डॉट कॉम के प्रमुख जेफ बेजोस ने बुधवार को घोषणा की कि वह भारत में एक अरब डॉलर (7,000 करोड़ रुपए से अधिक) का निवेश करेंगे ताकि लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऑनलाइन लाने में मदद की जा सके और कंपनी 2025 तक 10 अरब डॉलर मूल्य के भारत में निर्मित सामान के निर्यात को प्रतिबद्ध है।

बेजोस ने कहा, 'हम अगले पांच साल में देश में दस लाख नए रोजगार सृजित करने के लिए निवेश कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'हमें, हमारे कर्मचारियों से अभूतपूर्व योगदान मिला है। हमने हमसे जुड़ने वाले छोटे कारोबारियों की असाधारण रचनात्मकता देखी है और ग्राहकों का सहयोग भी हमें मिला है और अब हम आगे क्या होने वाला है, उसे लेकर रोमांचित हैं।'

भारत में रोजगार सृजन और कौशल विकास पहलों को प्राथमिकता दी गई है। इसमें 2022 तक शहरी-ग्रामीण क्षेत्र के 40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

विदेशी निवेश का स्वागत, पर कायदे-कानून के दायरे में : गोयल

अमदाबाद, 17 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि देश उन सभी निवेश का स्वागत करता है, जो कानून का पूरी तरह से पालन करता है।

गोयल ने ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन पर दिए गए बयान के एक दिन बाद यह बात कही। उन्होंने गुरुवार को कहा था कि अमेजन भारत में एक अरब डॉलर का निवेश कर कोई अहसान नहीं कर रही। गोयल ने कहा कि कुछ लोगों ने उनकी बातों को गलत मतलब निकाला और उसे इस ढंग से पेश किया मानो मैंने अमेजन के बारे में कोई नकारात्मक बात कह दी है। उन्होंने कहा कि मैं केवल इतना कह रहा हूं कि निवेश नियमों के अनुसार और नियमन के जरिए आना चाहिए।

गोयल ने कहा कि खुदरा क्षेत्र में बड़े निवेश से छोटे व्यापारी प्रभावित नहीं होने चाहिए। उनके पास लाखों और करोड़ों रुपए तो नहीं हैं। वह यहां अमदाबाद डिजाइन सप्ताह का उद्घाटन करने आए थे। तीन दिन का यह कार्यक्रम विभिन्न डिजाइन और आर्किटेक्चर संस्थानों के छात्रों के लिए है। मंत्री ने कहा कि हम सभी प्रकार के निवेश का स्वागत करते हैं। हालांकि, अगर कोई निवेश कानून के दायरे से बाहर होता है तो जरूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई ही जाएगी।

कार्यालय नगर निगम, कोटा (राज.)

क्रमांकः ननिको/जन.स्वा/20/2744-52 दिनांकः 16.01.2020

ई-निविदा सूचना

नगर निगम कोटा क्षेत्र के जोन वाईज वार्डों में ऑटो टीपर के माध्यम से घर-घर कचरा संग्रहण कार्य का एक वर्ष के लिए अनुबन्ध हेतु ई-टेण्डरिंग (E-Tendering) के माध्यम से नगर निगम कोटा में पंजीकृत/अन्य केन्द्रीय, राजकीय विभागों, में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों, फर्म, साझेदारी फर्म कम्पनी एवं एकल स्वामित्व वाली फर्मों/सहकारी संस्थाओं से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदाओं से संबंधित निविदा प्रपत्र, शर्तें वेबसाईट **http://sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड की जा सकती है। तथा निविदाओं को इसी वेबसाईट पर ऑनलाईन भरी जानी है। निविदा संबंधी जानकारी नगर निगम कोटा की वेबसाईट **www.kotamc.org** पर भी देखी जा सकती है। निविदा के किसी भाग को अथवा निविदा को निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी, नगर निगम कोटा को निहित होगा।

- निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से) : 17.01.2020 से 07.02.2020 तक (सायं 6.00 बजे तक)
- निविदा अपलोड करने की तिथि : 17.01.2020 से 07.02.2020 तक (सायं 6.00 बजे तक)
- ई.एम.डी/निविदा शुल्क प्रोसेसिंग फीस प्राप्त करने की तिथि : 10.02.2020 (प्रातः 10:00 बजे सायं 6.00 बजे)
- निविदा की तकनिकी बिड खोलने की तिथि : 11.02.2020 (प्रातः 11.00 बजे)

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	धरोहर राशि	टेण्डर फीस
1	नगर निगम क्षेत्र के रामपुरा जोन के 22 वार्डों में ऑटो टीपर के माध्यम से डोर टू डोर कचरा (गीला/सूखा) संग्रहण करने कार्य	3,73,74,480/-	7,47,490/-	7500/-
2	नगर निगम क्षेत्र के मुख्यालय जोन के 24 वार्डों में ऑटो टीपर के माध्यम से डोर टू डोर कचरा (गीला/सूखा) संग्रहण करने कार्य	4,07,72,160/-	8,15,443/-	7500/-
3	नगर निगम क्षेत्र के विज्ञान नगर जोन के 19 वार्डों में ऑटो टीपर के माध्यम से डोर टू डोर कचरा (गीला/सूखा) संग्रहण करने कार्य	3,22,77,960/-	6,45,559/-	7500/-

नोटः (1) निविदा की प्रोसेसिंग फीस 1000/- एम.डी.आर.आई.एस.एल. जयपुर के नाम का डी.डी. संलग्न करना होगा। (2) घरोहर राशि एवं निविदा शुल्क की राशि यस बैंक कोटडी रोड के खाता संख्या 039385700000156 एवं आई.एफ.एस.सी. कोड YESB 0000393 में जमा कराकर बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति ऑनलाईन अपलोड करानी होगी या डी.डी. द्वारा जो आयुक्त नगर निगम कोटा के नाम देय होगा। बिना बिड राशि के निविदा मान्य नही होगी।

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा

प्रपत्र-'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	अजीत ऑटोमोटिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	29/03/1995
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74899DL1995PTC066882
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालयः सी-91/10 नजीबुल इंटरप्रेयल एरिया, रिंग रोड, नई दिल्ली-110052
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरम्भ की तिथि	19.08.2019
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्तुत की तिथि	18.01.2020
8.	संहिता की धारा 29(2)(एक) के अधीन समाधान आवेदकों की हकदारी	www.insolvencyandbankruptcy.in (यह आपकी के आईपीई की वेबसाइट है क्योंकि कोर्पोरेट देनदार की कोई वेबसाइट नहीं है)
9.	धारा 25ज के अधीन सूचना उपलब्धता के मानदंड:	www.insolvencyandbankruptcy.in (यह आपकी के आईपीई की वेबसाइट है क्योंकि कार्पोरेट देनदार की कोई वेबसाइट नहीं है)
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	25.01.2020
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	26.01.2020
12.	अंतिम शुल्कों के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	28.01.2020
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	28.01.2020
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	28.01.2020
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की तिथि	समाधान प्रोफेशनल इंडाईसी के माध्यम निवेश करने की क्षमता प्रदान करने की क्षमता और आईबीसी 2016 की धारा 29ए के तहत पात्रता सीए, पूर्व-जमाएं मानदंड के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में निजी/सुरक्षा प्लान/मूल्यांकन मैट्रिक्स/सूचना ज्ञापन के लिए अनुरोध साझा करेगा।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	04.02.2020
17.	समाधान प्रोफेशनल का समाधान योजना सौंपने की तिथि	इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल द्वारा जो की समाधान पेज में उल्लिखित है
18.	निष्पादन प्रतिभूतियों की अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	जैसे ही लेनदारों की समिति के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	नाम: रोहित सहगल आईपी पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-001/IP-P00528/2017-2018/10953
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जिसके पास संहिता के तहत पंजीकृत है	नाम: रोहित सहगल एएए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स में पार्टनर पता: ए-001, सुल्तान विहार सेक्टर-43 गुड़गांव हरियाणा-122002 ईमेल: iamrs101@gmail.com
21.	पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	पता: ई-10ए, कैलाश कॉलोनी, सेंटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 ईमेल: ajitauto@aaainsolvency.com, rohit.sehgal@aaainsolvency.com टेलिफोन: 011-46664800
22.	अतिरिक्त विवरण एवं अभिरुचि के पत्र उपलब्ध है	www.insolvencyandbankruptcy.in
23.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	18.01.2020

हस्ता./-
रोहित सहगल
एएए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लि.
समाधान प्रोफेशनल अजीत ऑटोमोटिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
आईपी पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P00528/2017-18/10953
ईमेल: rohit.sehgal@aaainsolvency.com
कार्यालय पता: ई-10ए, कैलाश कॉलोनी, सेंटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 फोन: 011-46664800

तिथि: 18.01.2020
स्थान: नई दिल्ली

NHHFDL

न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड, मैड्नाईन तत्त, एफ-4, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली-110049 कॉरपोरेट कार्यालयः सी-1, सैक्टर-3, नोएडा-201301, ईमेल- info@newhabitat.in, वेब: www.newhabitat.in मोबाईल: +91-9654841478, फोन: +91 120 4180500 Extn: 1135

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अधीन न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के कारण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार श्री अमित त्यागी और श्रीमती सारिका त्यागी निवासी : 12 राणा फार्म, सैक्टर-23, संजय नगर, गाजियाबाद, यू.पी को दिनांक 21.10.2019 को मांग सूचना जारी की गयी थी, जिसमें सूचना में उल्लिखित राशि रु. 9,63,056/- (रु. नौ लाख तिरेसठ हजार छप्पन मात्र) खाता नं. HSG/N/HEA/NOI/0917/0011, साथ में भविष्य का ब्याज, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), के नियम 8 और 9 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 14.01.2020 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा सामान्य रुप से जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन नीचे प्रत्येक सम्पत्ति के सामने अंकित राशि न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. 9,63,056/- (रु. नौ लाख तिरेसठ हजार छप्पन मात्र) खाता नं. HSG/N/HEA/NOI/0917/0011, साथ में भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा(8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसम्पत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल/बंधक सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट न 8, ब्लॉक-ए, खसरा नं. 166 मिन, कृष्णा विहार कॉलोनी, गाँव रईसपुर, परगना डासना, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, यू.पी. - 201002 में स्थित, चौहद्दी : पूरब में - 30फीट चौड़ा रोड भुजा 15 फीट, पश्चिम में - विजय बहादुर की भूमि भुजा 15 फीट, उत्तर में - प्लॉट न. ए-09, 40 फीट भुजा, दक्षिण में - प्लॉट न. ए-8, 40 फीट भुजा

दिनांकः 14.01.2020, स्थान : नोएडा, यू.पी. प्राधिकृत अधिकारी, न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड

"फार्म नं. आइएनसी-25ए"

सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनीज अधिनियम, 2013, कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 41 के विषय में।

तथा

मै. पासा क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय मकान नं. 31, ब्लाक ए, पीकेटी-3, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 के विषय में।

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ऐसे बदलाव को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को निजी लिमिटेड कंपनी में बदलने की इच्छुक है और कंपनी ने ऊपरकथित नियमों के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करने की इच्छुक है। कंपनी के प्रस्तावित बदलाव/स्थिति द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर **उत्तरी क्षेत्रीय निदेशक**, के पते **बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003** को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या कारणों को डिलीवर कर सकते है जिसकी प्रति नीचे वर्णित आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजनी हैः

हिते एवं कृते आवेदक
वरूण गुप्ता,
DIN: 00125553
मकान नं. 31, ब्लाक ए, पीकेटी-3, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
दिनांकः 17 जनवरी, 2020
स्थानः नई दिल्ली

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2022 तक लक्ष्य से अधिक होगी

नई दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा)।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई) सचिव आनंद कुमार ने शुक्रवार को कहा कि देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2022 तक 2,25,000 मेगावाट पहुंच जाने की उम्मीद है। यह सरकार द्वारा 2022 तक 1,75,000 मेगावाट क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य से कहीं अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन (सेकी) की विनिर्माण से जुड़ी पहली सौर परियोजनाओं की नीलामी में अडाणी ग्रीन एनर्जी और ऐशर पावर सफल बोलीदाताओं के रूप में उभरी हैं।

इंडिया एनर्जी फोरम के नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन में कुमार ने कहा, 'मंत्रालय को 2022 तक न केवल 1,75,000 मेगावाट का लक्ष्य हासिल करने का भरोसा है बल्कि यह उससे कहीं अधिक 2,25,000 मेगावाट पहुंच जाने का अनुमान है।' उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2022 तक 1,75,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2010 में 14,700 मेगावाट की स्थापित क्षमता थी जबकि अब यह बढ़कर 86,000 मेगावाट पहुंच गई है।

शुद्धिपत्र

जनसत्ता, दिल्ली में 17 जनवरी, 2020 को प्रकाशित "मै. विमला मारु फैशन्स प्रा. लि." के लिये दी गई ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में उस विज्ञापन में फैब्रिक के स्टॉक का आरक्षित मूल्य अनजाने में रु. 63,00,000/- (तिड़ेसठ हजार मात्र) छप गया है जिसे कृपया शब्दों में (रुपये तिड़ेसठ लाख मात्र) पढ़ें।

हस्ता./-
सतीश कुमार माथुर
विमला मारु फैशन्स प्रा.लि. के परिसमापक
आईबीबीआई पंजी. सं.
IBBI/IPA-002/IP-N00132/2017-18/10348
मोबाईल नं.: 8175859618

मैक्सप्लस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड

CIN: L65999DL1985PLC022321
पंजी. कार्यालयः 1, कम्युनिटी सेन्टर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065
Email: mcstitch.excom@gmail.com
website: www.maxpluslogisticslimited.com
Tel No.: 011-49057869

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020 को पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होगी जिसमें अन्य विषयों के साथ उस पर सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

यह सूचना स्टॉक एक्सचैंज की www.msei.in तथा कम्पनी की वेबसाईट www.maxpluslogistic-slimited.com पर उपलब्ध है।

मैक्सप्लस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
स्थानः दिल्ली संजीव चन्द्रा
तिथिः 16.1.2020 निदेशक एवं सीईओ
DIN: 00095561

Bank of Baroda (A Govt. of India Undertaking) बैंक ऑफ बड़ौदा (भारत सरकार का उपक्रम)

ई-नीलामी सूचना

जेडओएसएआरबी, 13वीं मंजिल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001,
दूरभाष : 011-23441320, मोबाइल : 9152941109, ई-मेल : dbadel@bankofbaroda.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जिसका बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की नीचे वर्णित बैंक के बकाये की वसूली के लिये 21.02.2020 को "जैसा है जहाँ है" जो कुछ भी वहाँ है तथा "जो भी जैसा है" आधार पर नीचे वर्णित सम्पत्तियों की बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा ईएमडी नीचे वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के समक्ष प्रदर्शित की गई है :

क्रम सं.	शाखा	कर्जदारों/जमानतियों के नाम	सम्पत्ति तथा स्वामित्व का विवरण	धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय / खाता सं. तथा आईएफएससी कोड	अधिकृत प्राधिकारी तथा सम्पर्क नं.
1.	ZOSARB, नई दिल्ली	मैसर्स नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लि. व्यक्तिगत गारंटी : 1. श्री अंकुर जैन 2. श्रीमती भारती जैन 3. श्री जितेन्द्र कुमार जैन 4. श्रीमती रागिनी जैन कॉर्पोरेट गारंटी 1. मैसर्स जैन स्टूडियोज लिमिटेड 2. मैसर्स अंकुर सर्विसेज एण्ड ग्रोथ फण्ड लिमिटेड 3. मैसर्स नेहरा कुम्भ प्रा.लि. 4. मैसर्स सुभग वीडियो कॉर्पोरेशन (प्रोपराइटर : मैसर्स रूरे माल इयाम चन्द प्राइवेट लिमिटेड)	आवासीय भवन सं. एच-31सी तथा एच-31 डी (सम्पत्ति सं. एच-31 का भाग) सम्पूर्ण भूतल (भूतल पर कोर्टयार्ड के पीछे 7x5 माप क्षेत्रफल के टॉयलेट को छोड़कर) जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली माप 184 वर्ग गज	12.03.2019 रु. 10,57,40,753/- तथा भावी ब्याज एवं प्रभार	रु. 207.00 लाख रु. 20.70 लाख रु. 0.50 लाख	21.02.2020 को 01.00 बजे अप. से 03.00 अप. तक 110911999999 BKDN0711109 (5वाँ कैरेक्टर 'शून्य' पढ़ा जाए)	श्री राहुल प्रताप मोबाइल : 9152941109

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए बैंक की वेबसाईट अर्थात् www.bankofbaroda.com में दी गई लिंक देखें।
बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 20.02.2020
टिप्पणीः आरक्षित मूल्य के बराबर तथा उससे कम में कोई बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
सम्पत्तियों के निरीक्षण की तिथि एवं समयः 18.02.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4 बजे अप. तक

यह बिक्री नीचे वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगीः

1. यह ई-नीलामी "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है आधार" तथा "जो भी जैसा है" आधार पर तथा उपचार रहित आधार पर भौतिक कब्जे के आधार पर बिक्री के लिए प्रस्तावित है। परिसम्पत्तियों तथा विनिर्देशनों का निरीक्षण कर स्वयं को संतुष्ट करने का उत्तर दायित्व क्रेता का ही होगा। यह ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिनिधित्व का द्योतक नहीं है अथवा उसे उसका द्योतक नहीं माना जाएगा।
2. नीलामी-सह-बिक्री का आयोजन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी https://bob.auctiontiger.net पद्धत्ति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसंपत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित संपत्ति(यों) के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य पर प्रारम्भ होगी तथा बोलीदाता अपने प्रस्ताव में न्यूनतम रु. 50,000/- का सुधार करके आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण ऊपर तालिका में दिया गया है जिसमें आईएफएससी कोड का 5वाँ कैरेक्टर 0 "शून्य" है में 20.02.2020 को या पूर्व एनईएफटी/आरटीजीएस/निधि अंतरण द्वारा या डिमांड ड्राफ्ट (दिल्ली में भुगतान योग्य) द्वारा किया जाएगा।
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/ फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर 20.02.2020 को या उससे पूर्व निम्न दस्तावेजों को अपलोड करेंः
क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण, ख) विधिवत भरी गई बोली प्रपत्र, ग) भारत सरकार द्वारा जारी इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पास्वर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर अपना लागिन आईडी तथा पास्वर्ड बना सकते हैं। यदि लागिन आईडी, पास्वर्ड बनाने, डैटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि., बी-704-5, वाल स्ट्रीट-क्क, ऑरिएन्ट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, संपर्क व्यक्ति श्री राम शर्मा-06351896834, ई-मेलः Delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net नितिशि झा- 7982880393, हेल्प लाइन नं.: 079-61200595/ 520/ 548, हेल्पलाइन ईमेल आईडी : support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑन लाइन वेब पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर अपलोडिंग तथा सम्पत्ति से संबंधित किसी पूछताछ के लिये आप किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं जि

सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू

वाशिंगटन, 17 जनवरी (एएफपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐतिहासिक महाभियोग की सुनवाई सीनेट में शुरू हो गई है।

सीनेट में सांसदों ने शपथ ली कि वह इस बारे में निष्पक्ष निर्णय करेंगे कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति को पद से हटाया जाए या नहीं।

अमेरिका के इतिहास में ऐसा तीन बार हुआ है जब सीनेट चैंबर उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट की अध्यक्षता में महाभियोग की अदालत में तब्दील हो गया। रॉबर्ट ने सीनेटरों को 'निष्पक्ष न्याय' करने की शपथ दिलाई। इस दौरान 99 सांसद मौजूद थे और एक अनुपस्थित थे।

ट्रंप कई महीनों से महाभियोग की प्रक्रिया का मजाक बना रहे हैं और सुनवाई की शुरुआत को उन्होंने 'फर्जी' करार दिया है। उन्होंने ओवल कार्यालय में संवाददाताओं से कहा, 'मुझे विश्वास है कि इसे बहुत जल्दी खत्म होना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'यह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है।' ट्रंप ने कहा कि उन्हें एक फर्जी प्रक्रिया से गुजरना होगा ताकि डेमोक्रेट इसे आजमा सकें और चुनाव जीत सकें।

डेमोक्रेटिक बहुल प्रतिनिधि सभा में ट्रंप पर 18 दिसंबर को महाभियोग चल चुका है, लेकिन सीनेट में उनके बरी होने की संभावना है क्योंकि यहां रिपब्लिक सदस्यों की संख्या ज्यादा है और ट्रंप को दोषी ठहराने और राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी।

शपथ लेने के बाद सीनेट को मंगलवार दोपहर एक बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। रिपब्लिक के एक सीनेटर जेम्स इनहोफ पारिवारिक कारणों से शपथ लेने नहीं पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि वह मंगलवार तक आ जाएंगे और उन्हें शपथ दिलाई जाएगी।

ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने डेमोक्रेट प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन के खिलाफ जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव बना कर सत्ता का दुरुपयोग किया और कांग्रेस को बाधित किया।

सुनवाई को फर्जी कहा ट्रंप ने

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई महीनों से महाभियोग की प्रक्रिया का मजाक बना रहे हैं और सुनवाई की शुरुआत को उन्होंने 'फर्जी' करार दिया है। उन्होंने ओवल कार्यालय में संवाददाताओं से कहा, 'मुझे विश्वास है कि इसे बहुत जल्दी खत्म होना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'यह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है।' ट्रंप ने कहा कि उन्हें एक फर्जी प्रक्रिया से गुजरना होगा ताकि डेमोक्रेट इसे आजमा सकें और चुनाव जीत सकें।

पाकिस्तानी अदालत ने 86 कट्टरपंथियों को 55 साल कैद की सजा सुनाई

इस्लामाबाद, 17 जनवरी (एपी)।

पाकिस्तान की एक अदालत ने एक कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के 86 सदस्यों को 2018 में हिंसक रैलियों में हिस्सा लेने के लिए 55 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि ईशनिंदा के एक मामले में एक ईसाई महिला को बरी किए जाने को लेकर ये रैलियां निकाली गईं थीं।

रावलपिंडी की एक अदालत ने गुरुवार की रात फैसला सुनाया। सुनवाई एक वर्ष से ज्यादा समय तक चली। कट्टरपंथी तहरीक ए लबैक पार्टी के वरिष्ठ नेता पीर एजाज अशरफी ने कहा कि सजा को चुनौती दी जाएगी। जिन लोगों को सजा दी गई है उनमें आमिर हुसैन रिजवी भी शामिल है जो पार्टी के मुखिया खादिम हुसैन रिजवी का भाई है। अशरफी ने कहा, 'न्याय नहीं हुआ है। हम फैसले को चुनौती देंगे।' 86 लोगों पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, लोगों को पीटने और उस वर्ष आसिया बीबी की रिहाई के खिलाफ धरना देकर सामान्य जनजीवन बाधित करने के आरोप हैं।

बीबी को 2009 में ईशनिंदा का दोषी पाया गया था और इस्लाम के अपमान के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी।

चीन की वृद्धि दर तीन दशक के सबसे निचले स्तर पर

बेजिंग, 17 जनवरी (भाषा)।

चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2019 में 6.1 फीसद रही है जो पिछले 29 साल में सबसे निचला स्तर है। घरेलू मांग के कमजोर रहने और अमेरिका के साथ 18 महीने तक चले व्यापार युद्ध के कारण दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।

चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने शुक्रवार को आधिकारिक आंकड़े जारी किए। यह आंकड़े अमेरिका के साथ बहुप्रतीक्षित पहले चरण का व्यापार समझौता होने के एक दिन बाद आए हैं। इस समझौते से दोनों देशों के बीच 18 महीने से जारी व्यापार युद्ध पर विराम लग गया है। इस युद्ध के चलते दोनों देशों ने एक दूसरे के 500 अरब डॉलर मूल्य तक के निर्यात उत्पादों पर 25 प्रतिशत तक शुल्क लगा दिया था।

ब्यूरो के अनुसार चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2019 में 6.1 प्रतिशत रही जो 1990 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन है। 2018 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 28 साल के निचले स्तर पर 6.6 फीसद रही थी। इससे पहले 2017 में यह 6.8 फीसद थी।

आंकड़ों के अनुसार 2019 में चीन की प्रति व्यक्ति व्यय योग्य आय 30,733 युआन (4,461.95 डॉलर) रही जो सालाना आधार पर 5.8 फीसद अधिक है। इसी तरह चीन में प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय सालाना आधार पर 5.5 फीसद बढ़कर 2019 में 21,559 युआन (3143.44 डॉलर) हो गया है। चीन ने 2020 तक अपनी शहरी और ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय को 2010 के मुकाबले दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

जन्मदर 1949 के बाद सबसे कम

बेजिंग, 17 जनवरी (एएफपी)।

चीन में 1949 के बाद सबसे कम जन्म दर पिछले वर्ष दर्ज की गई। इसके बाद चिंता बढ़ गई है कि समाज में लोगों की बढ़ती उम्र और कम होता श्रमबल सुस्त अर्थव्यवस्था पर असर डालेंगे। देश में 1949 में ही कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी।

जनसांख्यिकीय संकट से बचने के लिए सरकार ने 2016 में 'एक बच्चा नीति' में ढील दी ताकि लोग दो बच्चे पैदा कर सकें लेकिन इस बदलाव का असर नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, 2019 में जन्म दर प्रति एक हजार आबादी पर 10.48 रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम है।

रोहिंग्याओं को बसाने के लिए तैयार है कभी जलमग्न रहा द्वीप

ढाका, 17 जनवरी (एपी)।

मानसून के दौरान अक्सर डूब जाने वाले एक द्वीप को एक लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए तैयार किया गया है लेकिन कॉक्स बाजार में बरसों से रह रहे इन शरणार्थियों को यहां भेजने के लिए किसी भी तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है। अधिकारियों ने बताया कि भासन चार में बाढ़ सुरक्षा तटबंध, घर, अस्पताल, मस्जिद सभी बनाए गए हैं। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है।

बांग्लादेश शरणार्थी, राहत एवं प्रत्यर्पण आयुक्त महबूब आलम तालुकदार ने द एसोसिएटेड प्रेस को बताया, 'भासन चार बसने के लिए तैयार है। सभी तैयारियां हो चुकी हैं।' यह द्वीप एक लाख लोगों को बसाने के लिए बनाया गया है। यह संख्या बहुत ही कम है क्योंकि अगस्त, 2017 के बाद से अब तक करीब सात लाख रोहिंग्या मुस्लिम यहां आए हैं।

विद्रोहियों द्वारा हमले के बाद बौद्ध बहुल म्यांमा में सेना ने रोहिंग्या मुसलिम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जिसके बाद लाखों की संख्या में रोहिंग्या अपना घर छोड़ कर भागने को मजबूर हो गए।

इस द्वीप पर अभी विदेशी मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है। बांग्लादेश के एक फ्रीलांस पत्रकार सालेह नोमान हाल ही में इस द्वीप पर गए थे। उन्होंने बताया कि यहां विकास हो रहा है।

जोगी पिता-पुत्र पर नौकर को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला

बिलासपुर, 17 जनवरी (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी के खिलाफ नौकर को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।

बिलासपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इन पिता-पुत्र के खिलाफ सिविल लाइन थाने में गुरुवार देर रात मामला दर्ज किया गया है। जोगी के बिलासपुर स्थित आवास मरवाही सदन में बुधवार को उनके एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि जोगी के निवास में आत्महत्या करने वाले संतोष कौशिक के भाई कृष्ण कुमार कौशिक ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत की थी कि उसके भाई पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था और उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली।

पथरी को साईबाबा का जन्मस्थान मानने के पर्याप्त सबूत : दुर्रानी

औरंगाबाद, 17 जनवरी (भाषा)।

राकांपा के विधायक दुर्रानी अब्दुल्ला खान ने कहा कि इस बात को साबित करने के पर्याप्त सबूत हैं कि साईबाबा का जन्म परभणी जिले के पथरी में हुआ था और लोगों को डर है कि अगर महाराष्ट्र के इस शहर का विकास होता है तो शिर्डी का महत्व कम हो जाएगा जहां साईबाबा का विशाल मंदिर है।

पथरी के श्री साई जन्मस्थान मंदिर में भी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कस्बे के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की थी। खान ने कहा कि अहमदनगर जिले के शिर्डी में रहने वाले लोगों को डर है कि अगर पथरी का विकास होगा तो शिर्डी का महत्व कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि पथरी ही साईबाबा का जन्मस्थल है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहले इस तथ्य का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने कहा, 'शिर्डी साईबाबा की कर्मभूमि है, वहीं पथरी उनकी जन्मभूमि है और दोनों ही स्थानों का अपना महत्व है।'

97 वर्षीय महिला चुनी गईं सरपंच

जयपुर, 17 जनवरी (भाषा)।

राजस्थान के सीकर जिले में नीमकाथाना उपखंड के पुराणावास ग्राम पंचायत के चुनाव में एक 97 वर्षीय महिला ने सरपंच पद पर जीत दर्ज की है।

नीमकाथाना के उपखंड अधिकारी साधूराम जाट ने बताया कि पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में पुराणावास ग्राम पंचायत में सरपंच के पद पर जीत दर्ज करने वाली विद्यादेवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरती मीणा को 207 मतों से पराजित किया। सरपंच के पद पर चुनी गई विद्यादेवी को 843 मत मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी आरती मीणा को 636 मत मिले।

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
बवाना शाखा-प्लॉट नं. 48, 1ला तल, नरेला रोड, बवाना, दिल्ली-110039, भारत
फोन: 91 011 27751003, 27751004, फैक्स: 27751003,
ईमेल: bawana@bankofbaroda.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **बैंक आफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 7.10.2019 जारी कर ऋणधारकों मै. व्यान ट्रेडिंग कम्पनी, जे-3080, नरेला औद्योगिक क्षेत्र, नरेला, दिल्ली-110040, प्रॉप्राईटर श्री मनीश बंसल, निवासी: बी-8/66, 1ला तल, सेक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली-110085 तथा गारन्टर श्री सतीश कुमार बंसल, पुत्र श्री द्वारका प्रसाद बंसल, निवासी एच. नं. 428/1, गांधी नगर, चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा-127306 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 81,66,381.80 (रुपए इक्यासी लाख छियासठ हजार तीन सौ इक्यासी तथा पैसे अस्सी मात्र) तथा 30.9.2019 से ब्याज एवं अन्य चार्जेज तथा खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 14 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 81,66,381.80 (रुपए इक्यासी लाख छियासठ हजार तीन सौ इक्यासी तथा पैसे अस्सी मात्र) तथा 30.9.2019 से ब्याज एवं अन्य चार्जेज तथा खर्चे के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

अधोलिखित में शामिल इक्विटैवल मार्टगैज्ड सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
1) पालिका बाजार कॉलोनी, पुराना बस स्टैण्ड के निकट, तहसील चरखा दादरी, जिला भिवानी (हरियाणा) में प्लॉट नं. 18 पर शॉप नं. 18 म्युनिसिपैलिटी चरखा दादरी
2) पालिका बाजार कॉलोनी, पुराना बस स्टैण्ड के निकट, तहसील चरखा दादरी, जिला भिवानी (हरियाणा) में प्लॉट नं. 28-ए
3) पालिका बाजार कॉलोनी, पुराना बस स्टैण्ड के निकट, तहसील चरखा दादरी, जिला भिवानी (हरियाणा) में प्लॉट नं. 60, म्युनिसिपैलिटी चरखा दादरी

स्थानः दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
(बैंक ऑफ बड़ौदा)

बिक्री सूचना
संतोष ओवरसीज लिमिटेड (परिसमापन में)
परिसमापकः श्री रोहित सहगल
पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं. डीपीटी 501, डीएलएफ प्राइम टावर्स, ओखला फेज, नई दिल्ली-110020
ईमेल आईडीः assetsale2@aaaainsolvency.in, rohit.sehgal@aaainsolvency.com
सम्पर्क नं.: + 91 8800865284 (श्री पुनीत सचदेव/श्री वसीम)

ई-नीलामी
दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 31 जनवरी, 2020 को 3.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक
(प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ)

संतोष ओवरसीज लिमिटेड (परिसमापन में) जो आदेश तिथि 27 सितम्बर, 2019 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापक के परिसमापन सम्पदा का भाग है, के स्वामित्व की परिसम्पत्तियों की बिक्री। यह बिक्री परिसमापक द्वारा ई-नीलामी प्लेटफार्म https://aaa.auctiontiger.net के द्वारा की जायेगी।

परिसम्पत्तियां	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य (रु.)	ईएमडी राशि (रु.)	वृद्धि मूल्य (रु.)
ग्राम राजारामपुर, परगणा एवं तहसील-सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र. में स्थित भूमि एवं भवन (भूमि क्षेत्रफल माप 12.98 एकड़)	ए	19.50 करोड़	2 करोड़	5 लाख
ग्राम राजारामपुर, परगणा एवं तहसील-सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र. में स्थित प्लान्ट एवं मशीनरी	बी	12.00 करोड़	1.20 करोड़	5 लाख
ग्राम राजारामपुर, परगणा एवं तहसील-सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र. में स्थित भूमि एवं भवन के साथ प्लान्ट एवं मशीनरी (भूमि क्षेत्रफल माप 12.98 एकड़)	सी	31.50 करोड़	3.15 करोड़	5 लाख
प्लास्टिक (तिरपाल) स्क्रैप (मात्रा लगभग 6 टन)	डी	12/कि.ग्रा.	10,000	1/कि.ग्रा.
वुडन क्रेट्स स्क्रैप (मात्रा लगभग 5 टन)	ई	4/कि.ग्रा.	10,000	1/कि.ग्रा.

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:
1. ई-नीलामी स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. ई-प्रॉक्योमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Auction Tiger) के द्वारा "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है" आधार पर आयोजित होगी।
2. परिसम्पत्तियों के विवरणों, ऑन-लाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा, प्रतिज्ञापत्र, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियमों एवं शर्तों से शामिल सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाईटः https://aaa.auctiontiger.net पर उपलब्ध है। सम्पर्क करें: श्री तिलक मराठा, +91-6351896834/ 079-61200580 एवं 6351896834 tilak@auctiontiger.net, rikin@auctiontiger.net.\ support@auctiontiger.net. क. (लिंक https://aaa.auctiontiger.net पर जाकर बोलीदाता को अधोलिखित में से किसी एक i) कम्पनी का नाम (संतोष ओवरसीज लिमिटेड), अथवा ii) (राज्य एवं सम्पत्ति का प्रकार का उपयोग कर वर्णित कम्पनी को सर्च करना होगा।
3. अपनी बोली जमा करने से पूर्व इच्छुक बोलीदाताओं को अपने स्वयं के खर्चे पर सम्पत्ति के टाइटल, यदि कोई हो, स्थानीय करों के बकायों, बिजली एवं पानी के शुल्कों, रखरखाव शुल्कों, आदि परिसम्पत्तियों से संबंधित अपना स्वतंत्र जाँच कर स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिये। संभावित बोलीदाता श्री वसीमः +91-8800865284 से सम्पर्क कर पूर्व अनुमति के साथ साईट पर उपरोक्त सम्पत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को "संतोष ओवरसीज लिमिटेड- परिसमापन में", खाता नं. 50200045249887, एचडीएफसी बैंक, शाखा: बी-54ए, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-110048, आईएफएससी कोडः HDFC0000092 के पक्ष में देय किसी अनुसूचित बैंक के डीडी/ एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा अथवा "संतोष ओवरसीज लिमिटेड-परिसमापन में" के पक्ष में डीडी द्वारा धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करना होगा अथवा सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में दिये गये रूप में प्रारूप ए अथवा प्रारूप बी में ईएमडी राशि का बैंक गारन्टी देना होगा।
5. इच्छुक बोलीदाता को 1) पहचान के प्रमाण, 2) वर्तमान पता- प्रमाण, 3) पैन कार्ड, 4) वैध ई-मेल आईडी, 5) लैंडलाइन एवं मोबाईल फोन नम्बर, 6) परिशिष्ट 1 के अनुसार शपथ-पत्र अथवा वचन, 7) परिशिष्ट II के अनुसार बोली आवेदन प्रपत्र, 8) परिशिष्ट III के अनुसार बोलीदाता द्वारा उद्घोषणा, इन परिशिष्टों का सम्पूर्ण प्रारूप ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से लिया जा सकता है, की स्वतः सत्यापित प्रति के साथ ई-नीलामी में भागीदारी के लिये ईएमडी के साक्ष्य अथवा बैंक गारन्टी तथा भागीदारी के लिये अनुरोध पत्र जमा करना होगा। **ये सभी दस्तावेज 29 जनवरी, 2020 के 7.00 बजे सायं से पूर्व नीचे दिये गये पते पर डाक या ई-मेल द्वारा परिसमापक के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये। इच्छुक बोलीदाता को 29 जनवरी, 2020 को 5.00 बजे अप. से पूर्व https://aaa.auctiontiger.net पर ईएमडी जमा करने के विवरणों के साथ अपना केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना होगा।**
6. पोर्टल (https://aaa.auctiontiger.net पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिये योग्य बोलीदाता के नाम की पहचान परिसमापक द्वारा की जायेगी। ई-नीलामी सेवा प्रदाता (Auction tiger) योग्य बोलीदाताओं को ई-मेल द्वारा यूजर आईडी तथा पास्वर्ड उपलब्ध कराएंगे।
7. यदि बोली ई-नीलामी की समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन समय असीमित विस्तारों के साथ स्वतः आगे पांच मिनट बढ़ जायेगा। ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उन्हें इस आशय की सूचना दी जायेगी जो परिसमापक द्वारा स्वीकृति के अधीन होगा।
8. सफल बोलीदाता की ईएमडी बिक्री मूल्य के भाग के रूप में सुरक्षित रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाता की ईएमडी वापस लौटा दी जाएगी। **ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दी जाएगी।** परिसमापक सफल बोलीदाता के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी करेंगे तथा सफल बोलीदाता को परिसमापक द्वारा एलओआई जारी करने के 10 दिनों के भीतर शेष राशि (सफल बोली राशि-ईएमडी) का भुगतान करना होगा। एलओआई में वर्णित समय-सीमा में सफल बोलीदाता द्वारा शेष राशि के भुगतान में चूक करने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई संपूर्ण राशि (ईएमडी+अन्य कोई राशि) जब्त कर ली जाएगी।
9. सफल बोलीदाता को लागू होने वाले स्टाम्प शुल्कों/ अंतरण चार्ज, शुल्क आदि तथा अन्य सभी स्थानीय करों, शुल्कों, रैंट्स, गणना चार्जेज, नीलामी की संपत्ति से संबंधित शुल्कों आदि का वहन करना होगा।
10. परिसमापक को उसका कोई भी कारण बताए बिना किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई-नीलामी को स्थगित/ रद्द/ निलम्बित करने तथा सम्पत्ति अथवा उसके किसी भी भाग को ई-नीलामी से वापस लेने का अधिकार है।
11. सम्पूर्ण बिक्री राशि के भुगतान पर केवल सफल बोलीदाता के नाम में ही बिक्री प्रमाणपत्र/ अनुबंध जारी की जाएगी तथा अन्य किसी नाम में नहीं।
12. यह बिक्री दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमनों के प्रावधानों के अधीन होगी।
13. यदि एक से अधिक बोलीदाता ईएमडी जमा नहीं करते हैं तो परिसमापक को स्टेकधारकों से परामर्श कर नीलामी प्रक्रिया को रद्द करने का सम्प्रभु अधिकार होगा।
14. कम्पनी के व्यवसाय तथा प्रचालनों का ड्यू डिलिजेन्स करने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को परिसमापक के माध्यम से कार्यरत कम्पनी द्वारा स्थापित एवं प्रबंधित डैटा रूम ("डैटा रूम") में प्रवेश दी जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी की तिथि तक डैटा रूम में जानकारी की एक्सेस दी जाएगी। इच्छुक बोलीदाता द्वारा डैटा रूम में एक्सेस तथा जानकारी का उपयोग समय-समय पर परिसमापक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियमों के अनुसार की जा सकेगी।
15. **ई-नीलामी तिथि एवं समयः 31 जनवरी, 2020, 3.00 बजे अप. से 5.00 बजे सायं (5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ)**

तिथिः 16.01.2020
स्थानः दिल्ली
हस्ता./- रोहित सहगल, परिसमापक
संतोष ओवरसीज लिमिटेड (परिसमापन में)
IBBI पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00528/2017-2018/10953
पताः ए-604, सज्जन विहार, सेक्टर-43, गुड़गाँव, हरियाणा-122002
ईमेल आईडीः iamrs101@gmail.com
सम्पर्क नं.: 011 46664627; +91 8800865284 (श्री पुनीत सचदेव/वसीम)

J&K Bank Serving To Empower
द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
बाधित परिसंपत्ति पोर्टफोलिओ प्रबंध विभाग
अंचल कार्यालय उत्तर (दिल्ली), जेएंडके बिल्डिंग, प्लॉट नं. 132-134, सेक्टर-44, गुड़गाँव, हरियाणा,
टेली.: 0124-4715800, ई-मेल: iapmd.del@jkbmail.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [देखे नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी के पूर्वाधिकारी ने मांग सूचना तिथि 4.6.2019 जारी कर उसके प्रॉप्राईटर(रों) सह-मार्टगैजर(रों) तथा गारन्टर(रों) के माध्यम से प्रॉप्राईटरशिप फर्म को अधोलिखितः
1. मै. गंगा पॉलीमर्स, प्रधान कार्यालय का पताः 3058, बहादुरगढ़ रोड, सदर बाजार, दिल्ली-6 (ऋणधारक फर्म)
2. श्रीमती दीपा गुप्ता, पत्नी श्री अतुल गुप्ता, निवासीः फ्लैट नं. 839, सी.ए. अपार्टमेन्ट्स, ए-3, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63 (मार्टगैजर प्राप्राईटर)
3. श्री अतुल गुप्ता, पुत्र श्री मदन गोपाल गुप्ता, निवासीः फ्लैट नं. 839, सी.ए. अपार्टमेन्ट्स, ए-3, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63 (मार्टगैजर प्राप्राईटर)
4. सतपाल सिंह, पुत्र श्री अजीत सिंह, निवासीः आर-67, मॉडल टाउन, थर्ड स्टॉप, दिल्ली-09 (गारन्टर): साथ हीः 3053, बहादुरगढ़ रोड, सदर बाजार, दिल्ली-110006

को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,79,78,752.38 (रुपये एक करोड़ उन्यासी लाख अठहत्तर हजार सात सौ बावन तथा पैसे अड़तीस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 15 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु 1,79,78,752.38/- (रुपये एक करोड़ उन्यासी लाख अठहत्तर हजार सात सौ बावन एवं पैसे अड़तीस मात्र) 31.5.2019 को तथा उसके साथ उस पर आगे के ब्याज, लागत आदि के लिये द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. (बीयू: बहादुरगढ़ रोड, सदर बाजार, दिल्ली-110006) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

सम्पत्ति की अनुसूची

अचल सम्पत्ति का विवरण

1. श्री अतुल गुप्ता, पुत्र श्री मदन गोपाल गुप्ता के नाम में व्यावसायिक सम्पत्ति सं. 3056, वार्ड नं. XIII, बहादुरगढ़ रोड, दिल्ली-6 पर सभी निर्माणों के साथ टैरेस के साथ प्रथम् तल का इक्विटैबल मार्टगैज।
2. श्रीमती दीपा गुप्ता, पत्नी श्री अतुल गुप्ता के नाम में व्यावसायिक सम्पत्ति सं. 3057, वार्ड नं. XIII, बहादुरगढ़ रोड, दिल्ली-6 का इक्विटैबल मार्टगैज।
3. श्री अतुल गप्ता, पुत्र स्व. श्री मदन गोपाल गुप्ता एवं श्रीमती दीपा गुप्ता, पत्नी श्री अतुल गुप्ता के नाम में व्यावसायिक सम्पत्ति सं. 3058, वार्ड नं. XIII, बहादुरगढ़ रोड, दिल्ली-6 का इक्विटैबल मार्टगैज।
4. श्री अतुल गुप्ता, पुत्र श्री मदन गोपाल गुप्ता के नाम में आवासीय सम्पत्ति अर्थात् फ्लैट नं. 801, 8वाँ तल, टावर नं. ए-2, तुलिप गार्डन, सेक.-35, कुण्डली, जिला सोनीपत के इक्विटैबल मार्टगैज पर प्रभार का विस्तार

तिथिः 15.1.2020
स्थानः नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण
नई दिल्ली पीठ के समक्ष
कम्पनी याचिका (सीएए) सं. 171/एनडी/2019
कम्पनी आवेदन (सीएए) सं. 150/एनडी/2019 से सम्बद्ध
(कम्पनी अधिनियम 2013 की धाराओं 230 से 232 के तहत)
कम्पनी अधिनियम 2013 के मामले में
तथा
निम्नलिखित के मामले में :
सन्दर्भ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड तथा धरमपाल सत्यपाल लिमिटेड एवं उनके सम्बद्ध शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य की समामेलन योजना।
एवं
निम्नलिखित के मामले में :

सन्दर्भ फूड्स लिमिटेड, सीआईएन : U15122DL2005PTC142933, पैन AAJCS4985Q, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत पता है : 98, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020.	याचिकाकर्ता /समामेलक कम्पनी
धरमपाल सत्यपाल लिमिटेड, सीआईएन : U52110DL1989PLC038613, पैन : AAACD0132H, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत पता है : 98, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020.	याचिकाकर्ता /समामेलित कम्पनी

याचिका की सूचना

ध्यान दें कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ की संस्तुति प्राप्त करने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा

आस्ट्रेलिया पर भारत की दमदार जीत

341 रनों का लक्ष्य रखा भारत ने, आस्ट्रेलिया 304 पर ऑलआउट

राजकोट, 17 जनवरी (भाषा)।

शीर्ष बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान और गेंदबाजों के आक्रामक तेवरों के दम पर भारत ने दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आस्ट्रेलिया को शुक्रवार को यहां 36 रन से शिकस्त देकर तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। शिखर धवन (90 गेंदों पर 96 रन) केवल चार रन से शतक से चूक गए लेकिन उन्होंने विराट कोहली (76 गेंदों पर 78 रन) और केएल राहुल (52 गेंदों पर 80 रन) को आक्रामक पारियां खेलने के लिए शानदार मंच दिया जिससे भारत छह विकेट पर 340 रन का मजबूत स्कोर बनाने में सफल रहा।

बड़े लक्ष्य के सामने आस्ट्रेलिया तभी अच्छी स्थिति में दिख रहा था जब स्टीवन स्मिथ (102 गेंदों पर 98 रन) और मार्नस लाबुशेन (47 गेंदों पर 46 रन) क्रीज पर थे। आस्ट्रेलिया की टीम आखिर में 49.1 ओवर में 304 रन ही बना पाई।

भारत की तरफ से मोहम्मद शमी (77 रन देकर तीन), रविंद्र जडेजा (58 रन देकर दो), नवदीप सैनी (62 रन देकर दो), कुलदीप यादव (65 रन देकर दो) और जसप्रीत बुमराह (32 रन देकर एक) ने विकेट लिए। राहुल ने विकेट के पीछे भी अच्छा प्रदर्शन किया और दो कैच और एक स्टंप किया। आस्ट्रेलिया ने मुंबई में खेला गया पहला मैच दस विकेट से जीता था लेकिन भारत ने दमदार वापसी करके श्रृंखला को रोमांचक बना दिया। अंतिम एकदिवसीय मैच रविवार को बंगलुरू में खेला जाएगा।

धवन शतक से चूके

96 रन की पारी 90 गेंद में खेली शिखर धवन ने जिसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल है

80 रन की पारी खेली लोकेश राहुल ने जिसमें छह चौके और तीन छक्के लगाए

कुलदीप ने पूरा किया विकेटों का सैकड़ा

बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले भारत के 22वें गेंदबाज बन गए हैं। इस चाइनामैन गेंदबाज ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ राजकोट में दूसरे वनडे के दौरान एलेक्स कैरी का विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की। इसके बाद उन्होंने इसी ओवर में स्टीवन स्मिथ का महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किया। कुलदीप वनडे में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के 151वें गेंदबाज बन गए हैं।

धवन को लगी चोट, क्षेत्ररक्षण के लिए नहीं उतरे

सलामी बल्लेबाज शिखर धवन आस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय मैच के दौरान पैट कमिन्स का बाउंसर पसलियों पर लगने से भारत के चोटिल खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए। बीसीसीआइ ने विज्ञप्ति में कहा, 'शिखर धवन की दायीं तरफ की पसलियों पर चोट लगी।'

होबार्ट इंटरनेशनल के फाइनल में सानिया

होबार्ट, 17 जनवरी (भाषा)।

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा यूक्रेन की नादिया किचेनोक के साथ होबार्ट इंटरनेशनल महिला युगल के फाइनल में पहुंच गईं। सानिया और किचेनोक ने स्लोवेनिया की तमारा जिदांसेक और चेक गणराज्य की मारि बूजकोवा को एक घंटे 24 मिनट तक चले सेमी फाइनल में 7-6, 6-2 से मात दी।

सानिया और किचेनोक की पांचवीं वरीयता प्राप्त जोड़ी दूसरी वरीयता प्राप्त चीन की शुआइ पेंग और शुआइ झांग से खेलेगी। चीनी जोड़ी को वाकओवर मिला जब बेल्जियम की कर्स्टन फ्लिपकेंस और एलिसन वान ने चोट के कारण सेमी फाइनल मुकाबला छोड़ दिया। सानिया और उनकी जोड़ीदार को पहले सेट में काफी संघर्ष करना पड़ा लेकिन दूसरा सेट आसान रहा।

पहले सेट में मुकाबला बराबरी का था और स्कोर 6-6 रहने पर टाइब्रेकर तक खिंचा। टाइब्रेकर में सानिया और किचेनोक ने जीत दर्ज की।

दूसरे सेट में सानिया और किचेनोक ने विरोधी की सर्विस तीन बार तोड़कर आसानी से जीत दर्ज की। उन दोनों ने 11 में से चार ब्रेक प्वाइंट भुनाए जबकि विरोधी टीम पांच में से दो ही तब्दील कर सकी।

फाइल फोटो

सानिया मां बनने के बाद दो साल टेनिस से दूर थीं। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से निकाह करने वाली सानिया ने 2018 में इजहान को जन्म दिया। उन्होंने अक्तूबर 2017 में आखिरी टूर्नामेंट खेला था। भारतीय टेनिस को नई बुलंदियों तक ले जाने वाली सानिया युगल में नंबर एक रह चुकी हैं और छह बार की ग्रैंडस्लैम विजेता हैं। उन्होंने 2013 में एकल टेनिस खेलना छोड़ दिया था। वह 2007 में डब्लूटीए एकल रैंकिंग में 27वें स्थान तक पहुंची थीं।

दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज रबादा पर एक मैच का प्रतिबंध

पोर्ट एलिजाबेथ, 17 जनवरी (एपी)।

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबादा को इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के निर्णायक अंतिम क्रिकेट टैस्ट में खेलने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। रबादा को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की आचार संहिता का उल्लंघन करने के बाद एक टैस्ट के लिए प्रतिबंधित किया गया।

उन्होंने पोर्ट एलिजाबेथ में चल रहे तीसरे टैस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान जोए रूट का विकेट लेने के बाद जिस तरह जश्न मनाया वो आइसीसी संहिता का उल्लंघन था। वह गेंदबाजी करने के बाद रूट के करीब जश्न मनाते हुए भागे और तब वह मुट्ठी बंद कर जोर लगाते हुए चिल्ला रहे थे। उन्हें 'ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने तथा ऐसे एक्शन और भावभंगिमा करने' के नियम का दोषी पाया गया जो बल्लेबाज को आक्रामक होने के लिए उकसा सकती है। 24 साल के रबादा को एक डिमैरिट अंक दिया गया लेकिन पिछले दो वर्षों में यह उनका चौथा डिमैरिट अंक है।

शापमैन बनीं महिला हॉकी टीम की विश्लेषण कोच

नई दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा)।

भारत ने तोक्यो ओलंपिक से पहले हॉकी टीम के सहयोगी स्टाफ को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत शुक्रवार को ओलंपिक स्वर्ण पदकधारी यांके शॉपमैन को महिला टीम का विश्लेषण कोच नियुक्त किया गया। नीदरलैंड की यह पूर्व स्टार खिलाड़ी उस टीम का हिस्सा थीं जिसने 2008 बेजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक और 2004 एथेंस ओलंपिक में रजत पदक जीता था।

यांके शनिवार को बंगलुरु में साई सेंटर में चल रहे राष्ट्रीय शिविर में टीम से जुड़ जाएंगी। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सत्र के शुरुआती मैच के लिए टीम के साथ रहेंगी जिसमें भारत मेजबान और ब्रिटेन से खेलेगा। यांके को तोक्यो ओलंपिक तक इस पद पर नियुक्त किया गया है।

उन्होंने कहा कि मैं भारतीय महिला हॉकी टीम के साथ काम करने को लेकर सचमुच काफी उत्साहित हूं।

भारत 'ए' की जीत में चमके ऋतुराज

लिंकन (न्यूजीलैंड), 17 जनवरी (भाषा)।

भारत 'ए' के शीर्ष क्रम बल्लेबाजों ने शुक्रवार को दो अभ्यास मैचों के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड एकादश के खिलाफ 92 रन की जीत से आगामी वनडे श्रृंखला के लिए अच्छा अभ्यास किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत 'ए' ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट देकर 279 रन बनाए और फिर न्यूजीलैंड एकादश को 41.1 ओवरों में 187 रन पर समेट दिया।

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने चार विकेट चटकाए। कप्तान शुभमन गिल (66 गेंद में 50 रन, सात चौके) ने अर्धशतक बनाते हुए दूसरे विकेट के लिए एक अन्य विशेषज्ञ सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ (103 गेंद में 93 रन) के साथ 89 रन की भागीदारी निभाई। गिल के आउट होने के बाद ऋतुराज और सूर्यकुमार यादव ने 89 रन की साझेदारी की। सूर्यकुमार ने 48 गेंद में चार चौके और दो छक्के से 50 रन की पारी खेली।

क्रुणाल पंड्या ने 31 गेंद में 41 रन की पारी खेली जबकि संजू सैमसन (04) और विजय शंकर (13) प्रभाव डालने में असफल रहे। न्यूजीलैंड ए की शुरुआत अच्छी रही जिसमें जैकब भूला (50 रन) और जैक बॉयल (42) ने पहले विकेट के लिए 82 रन की भागीदारी निभाई। लेकिन इसके बाद खलील (43 रन देकर चार विकेट) और मोहम्मद सिराज (33 रन देकर दो विकेट) ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को जल्दी जल्दी आउट कर दिया।

कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतक बनाते हुए दूसरे विकेट के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ 89 रन की भागीदारी निभाई।

ऋतुराज ने इस मुकाबले में 103 गेंद में 93 रन बनाए।

एफआइएच प्रो लीग मुकाबला

ओलंपिक तैयारियां शुरू करेगी भारतीय टीम

भुवनेश्वर, 17 जनवरी (भाषा)।

भारतीय हॉकी टीम शनिवार को होने वाले एफआइएच प्रो लीग में नीदरलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले के जरिए तोक्यो ओलंपिक की अपनी तैयारियों की शुरुआत करेगी। भारत ने पिछली बार प्रो लीग नहीं खेला था लेकिन इस बार उसकी शुरुआत 2019 के प्रो लीग और यूरोपीय चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता नीदरलैंड से होगी। पहला मैच शनिवार को और दूसरा रविवार को कलिंगा स्टेडियम पर खेला जाएगा।

दुनिया की शीर्ष टीमों की भागीदारी में 'अपनी सरजमीं पर और बाहर' आधार पर खेले जा रहे टूर्नामेंट से भारत की ओलंपिक तैयारी पुख्ता होगी। नीदरलैंड के बाद भारत को आठ और नौ फरवरी को विश्व चैंपियन बेल्जियम से खेलना है। इसके बाद 22 और 23 फरवरी को आस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। भारत इसके बाद जर्मनी (25 और 26 अप्रैल) और ब्रिटेन (दो और तीन मई) में खेलेगा।

अध्यक्ष पद की दौड़ में मुंडा और राव

एएआइ चुनाव

नई दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर निलंबित भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआइ) के चुनाव शनिवार को होंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सेवानिवृत आइएएस अधिकारी बीवीपी राव अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। सचिव पद के लिए प्रमोद चांदुरकर और महासिंह के बीच मुकाबला होगा।

मुंडा और राव की अगुआई वाले दो गुटों ने पिछले साल जून में नई दिल्ली और चंडीगढ़ में अलग-अलग चुनाव करवाए थे। इसके बाद विश्व तीरंदाजी ने एएआइ को निलंबित कर दिया था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब दोनों गुट पहली बार आमने-सामने होंगे। विश्व तीरंदाजी ने भी चुनावों पर नजर रखने के लिए अपना पर्यवेक्षक भेजा है।

कुल 31 राज्य संघ एएआइ का हिस्सा हैं लेकिन केवल 26 राज्यों को मतदान में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। प्रत्येक राज्य के दो-दो मत होंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हैं। इस तरह से कुल 52 मत अध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आठ उपाध्यक्ष, सात संयुक्त सचिव और एक कोषाध्यक्ष सहित 19 सदस्यीय कार्यकारी समिति का चयन करेंगे।

प्रजनेश आस्ट्रेलियाई ओपन क्वालीफायर से बाहर

मेलबर्न, 17 जनवरी (भाषा)।

भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन आस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल के मुख्य ड्रॉ में जगह नहीं बना सके और क्वालीफायर के आखिरी दौर में लातविया के अर्नेस्ट गुलबिस से सीधे सेटों में हारकर बाहर हो गए।

विश्व रैंकिंग में 122वें स्थान पर काबिज प्रजनेश को गुलबिस ने 7-6, 6-2 से हराया। प्रजनेश ने इससे पहले स्थानीय वाइल्ड कार्डधारक हैरी बूरचियेर और जर्मनी के यानिक हंफमैन को मात दी थी।

यौन उत्पीड़न मामले में हो कड़ी सजा : साई

नई दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा)।

भारतीय खेल प्राधिकरण ने स्वीकार किया कि उसके केंद्रों पर यौन उत्पीड़न के आरोपियों को कड़ी सजा दिए जाने की जरूरत है। हालांकि उसने इस आलोचना को खारिज किया कि यह खतरा बेलगाम हो गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दस साल में साई के 24 केंद्रों में यौन उत्पीड़न के 45 मामले पाए गए हैं। एक आला अधिकारी ने कहा कि इन मामलों में सजा और कड़ी होनी चाहिए। फिलहाल इसमें तबादले, वेतन और पेंशन में कटौती और प्रतिबंध शामिल है। उन्होंने कहा कि इसमें सजा कड़ी होनी चाहिए लेकिन यह नीतिगत फैसला है जो मंत्रालय स्तर पर ही लिया जा सकता है। साई के रिकार्ड के अनुसार 2011 से 2019 तक साई को यौन उत्पीड़न की 35 शिकायतें मिली जिनमें से 13 में सजा दी गई और 15 में जांच चल रही है।

तीन मामले फर्जी शिकायत के निकले जबकि दो में आरोपी को अदालत से बरी कर दिया गया। एक आरोपी ने खुदकुशी कर ली जबकि दूसरे ने शिकायत वापिस ले ली। इन 35 मामलों में से 27 कोचों के खिलाफ और आठ साई अधिकारियों के खिलाफ थे। अधिकारी ने कहा कि हर साल करीब 15 हजार खिलाड़ी साई के विभिन्न केंद्रों पर प्रशिक्षण के लिए जुड़ते हैं। यानी पिछले दस साल में डेढ़ लाख प्रशिक्षु साई से जुड़े। क्षेत्रीय निदेशक मीना बोरा की अध्यक्षता वाली यौन उत्पीड़न समिति के दिल्ली मुख्यालय के अलावा साई की 12 क्षेत्रीय समितियां भी हैं।

यौन उत्पीड़न के लंबित मामलों को चार सप्ताह में निपटाने का निर्देश

खेल मंत्री किरन रिजीजू ने शुक्रवार को कहा कि साई संस्थानों में यौन उत्पीड़न की लंबित शिकायतों का निपटारा अगले चार सप्ताह में किया जाएगा। उन्होंने पिछले दस सालों में भारतीय खेल प्राधिकरण के 24 केंद्रों में यौन उत्पीड़न के 45 मामलों का दावा करने वाली रिपोर्ट के संदर्भ में कहा कि इस संस्था के संस्थान आम तौर पर सुरक्षित स्थल हैं। रिजीजू ने बयान में कहा कि साई परिसरों में यौन उत्पीड़न के लिए शून्य सहिष्णुता है। जो भी जांच चल रही है उसमें तेजी लाई जाएगी। मैंने सभी लंबित मामलों का अगले चार सप्ताह में निबटारा करने के निर्देश दिए हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यौन उत्पीड़न के मामलों से निबटने व लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों के हमारे खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने वाली मौजूदा प्रणाली को अधिक मजबूत बनाया जाए।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 62, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।